प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा
(डी.एल.एड.)

पाठ्यक्रम-506
समावेशी-संदर्भ में बच्चों को समझना

ब्लॉक-4
बालिका एवं बाल अधिकार

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
A 24/25, सांस्थानिक क्षेत्र, सैक्टर-62 नौएडा,
गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201309
वैबसाइट : www.nios.ac.in

EXPERT COMMITTEE

Dr. Sitansu S. Jena
Chairman, NIOS, NOIDA
Sh. B.K.Tripathi
IAS, Principal Secretary, HRD,
Govt. of Jharkhand, Ranchi
Prof. A.K. Sharma
Former Director, NCERT, New Delhi
Prof. S.V.S. Chaudhary
Former Vice Chairperson, NCTE,
New Delhi
Prof. C. B. Sharma
School of Education, IGNOU, New Delhi
Prof. S.C. Agarkar
Professor, Homi Bhabha Centre for Science Education , Mumbai

Prof.C.S. Nagaraju
Former Principal,
RIE (NCERT),Mysore
Prof. K. Doraisami
Former Head, Department of Teacher Education and Extension, NCERT,New Delhi
Prof. B. Phalachandra,
Former Head, Dept of Education & Dean of Instruction, RIE (NCERT), Mysore
Prof. K. K. Vashist Former Head, DEE, NCERT, New Delhi
Prof. Vasudha Kamat
Vice Chancellor,
SNDT Women's University, Mumbai

Dr. Huma Masood
Education Specialist, UNESCO,
New Delhi
Prof. Pawan Sudhir
Head, Deptt. of Art & Aesthtic Education, NCERT,New Delhi
Sh. Binay Pattanayak
Education Specialist, UNICEF, Ranchi
Dr. Kuldeep Agarwal
Director(Academic), NIOS,NOIDA
Prof. S.C. Panda
Sr. Consultant(Academic),
NIOS, NOIDA
Dr. Kanchan Bala Kachroo
Executive Officer(Academic),
NIOS,NOIDA

COURSE COORDINATOR

Prof. B. Phalachandra,
Former Head, Dept of Education &
Dean of Instruction, RIE (NCERT), Mysore

LESSON WRITERS

Dr. Sharmista, Lecturer
BGS. B.EdCollege, Mysore
Dr. T. N. Raju, I/C Principal
BES B.EdCollege,Bangalore
Dr. Kavya Kishore, Lecturer,
IASE, Bangalore
Dr. Parimala, Guest Faculty
Dept of Women Studies,
Maysore University
Dr. Jayanthi Narayan
Consultant, Special Education,
(LD & ID), Former Dy. Director,
National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad

Ms. Lakshmi Prasad. C
Student Counsellor
SSN College of Engineering,
Rajiv Gandhi Salai
Kalavakkam , Tamil Nadu
Dr. D. Rekha,
Project coordinator, V-Lead, Mysore
Dr. S. Bhaskra
Retd Principal, RV Teachers College,
Bangalore
Mr. H. L. Satheesh,
Teacher, DM School,
RIE, Mysore

Dr. I.P. Gowramma, Asstt. Prof,
RIE, Mysore
Ms.Vidya Pramod, Faculty, CBR Net work Bangalore
Dr.Asha Kamath
Assistant Professor,
Regional Institute of Education ,
Mysore
Ms. Kalapana Prakash
Programme Co-ordinator
KPAMRC Bangalore

CONTENT EDITOR

Prof. S.K. Panda,
Professor STRIDE, IGNOU,
New Delhi

TRANSLATORS

Dr. Ravinder Pal
Retd. Sr. Lecturer,
DIET, New Delhi

Ms. Anuradha
Lecturer, DIET
New Delhi

Dr. Satyavir Singh
Principal, S.N.I. College,
Pilana, Baghpat (U.P.)

Dr. Anil Kumar Teotia
Sr. Lecturer,
SCERT, New Delhi

PROGRAMME COORDINATOR

Dr. Kuldeep Agarwal
Director(Academic), NIOS,
NOIDA

Prof.S.C.Panda
Sr. Consultant (Teacher Education),
Acad. Deptt, NIOS, NOIDA

Dr. Kanchan Bala Kachroo
Senior Executive Officer (Teacher Education), Acad. Deptt, NIOS, NOIDA

COVER CONCEPTUALISATION & DESIGNING

Mr. D.N. Upreti
Publication Officer, Printing, NIOS,NOIDA
Mr. Dhramanand Joshi
Executive Assistant, Printing, NIOS NOIDA

TYPESETTING

M/S Shivam Graphics
431, Rishi Nagar, Delhi-34

SECRETARIAL ASSISTANCE

Ms. Sushma
Junior Assistant, Academic, Department,
NIOS, NOIDA

अध्यक्ष का संदेश .....

प्रिय अधिगमकर्ता,

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लगभग 2.02 करोड़ अधिगमकर्ताओं के साथ वर्तमान में यह विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षण प्रणाली है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के पास अपने शैक्षिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए देश में और उसके बाहर 15 से अधिक क्षेत्रीय केंद्रों, 2 उपकेंद्रों और 5000 अध्ययन केंद्रों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तन्त्र है। यह अधिगमकर्त्ताओं को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से केंद्रिक गुणवत्ता-शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण का उपागम उपलब्ध कराता है। इसके कार्यक्रमों का वितरण मुद्रित सामग्री के माध्यम से मुखाभिमुख शिक्षण से युग्मित, सूचना एवं संचार तकनीकि, श्रव्य-दृश्य कैसेट्स, आकाशवाणी प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण आदि से अनुपूरित होता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को प्रारंभिक स्तर पर अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अधिकार संपन्न किया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण प्रस्ताव राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा उस क्षेत्र में कार्यरत अन्य अभिकरणों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह संस्थान शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार विभिन्न राज्यों में अप्रशिक्षित अंत:सेवी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में एक बहुत ही नवीन एवं चुनौतीपूर्ण द्वि-वर्षीय उपाधि प्रदान करता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम के इस उपाधि पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे सुखानुभूति हो रही है। मैं आपके राज्य के बच्चों के प्रारंभिक-शिक्षा में योगदान के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अनुसार सभी शिक्षकों के लिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना अनिवार्य हो गया है। हम समझते हैं कि एक अध्यापक के रूप में आपका अनुभव, एक अच्छा शिक्षक होने के लिए आवश्यक अपेक्षित कौशल आपको पहले ही प्रदान कर चुका है। चूंकि कानून द्वारा अब यह अनिवार्य है अत: आपको यह कार्यक्रम पूर्ण करना पड़ेगा। मैं आश्वस्त हूं कि आपके द्वारा अब तक संचित ज्ञान और अनुभव निश्चय ही आपको इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रशिक्षण मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से दिया जाता है और एक शिक्षक के रूप में आपके नियमित कार्य को बाधित हुए बिना आपको पेशेवर रूप से प्रशिक्षित होने का विस्तृत अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से आपके उपयोग के लिए विकसित स्व-अनुदेशात्मक सामग्री आपको सेवा के लिए योग्य होने के अतिरिक्त आपकी समझ सृजित करने और एक अच्छा शिक्षक होने में सहायक होनी चाहिए।

इस महान प्रयत्न में शुभकामनाओं सहित!

एस.एस. जेना

अध्यक्ष

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

पाठ्यक्रम अवधारणा मानचित्र

पाठ्यक्रम-506 ''समावेशी-संदर्भ में बच्चों को समझना''

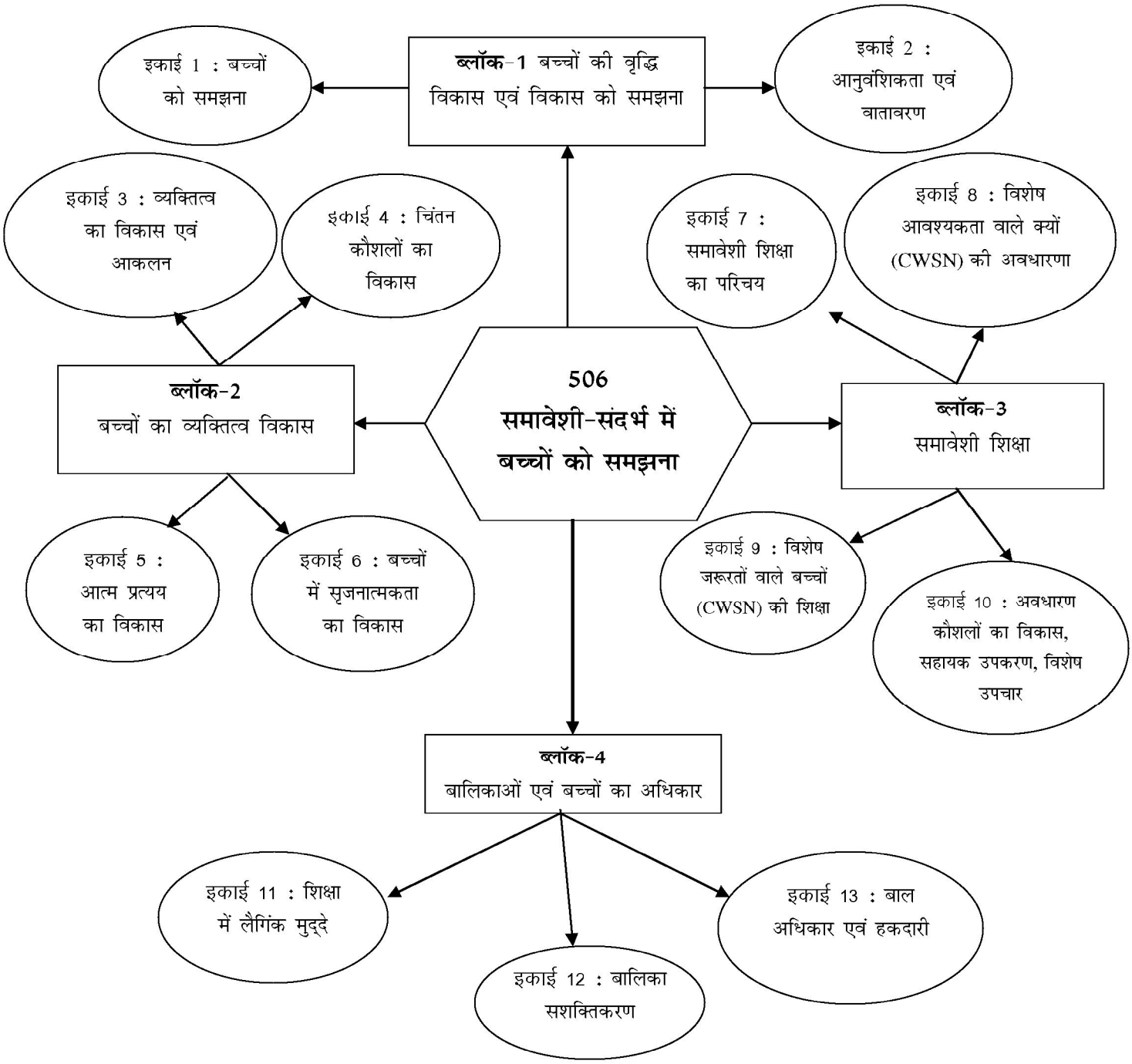

श्रेय अंक (8=6+2)

खण्ड	इकाई	इकाई का नाम	सैद्धान्तिक अध्ययन अवधि (घंटों में)		प्रयोगात्मक अध्ययन
			विषय-वस्तु	क्रियाकलाप	
ब्लॉक-1 बच्चों की वृद्धि विकास एवं विकास को समझना	**इकाई 1**	बच्चों को समझना	6	3	• आपके विद्यालय के बच्चों के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना।
	इकाई 2	आनुवंशिकता एवं वातावरण	6	3	• अपनी कक्षा के षिक्षार्थियों पर आनुवंषिक प्रभावों की सूची बनाओ। • अपने विद्यालय में एक ही परिवार से भाई बहनों पर वातावरण के प्रभाव से संबंधित गुणों का पता लगाओ।
ब्लॉक-2 बच्चों का व्यक्तित्व विकास	**इकाई 3**	व्यक्तित्व का विकास एवं आकलन	8	4	• अपनी कक्षा के षिक्षार्थियों में व्यक्तित्व की विषेषताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए।
	इकाई 4	चिंतन कौशलों का विकास	8	4	• आपके विद्यालय शिक्षार्थियों में प्रश्न पूछने संबंधी कौशल के विकास के तरीकों की पहचान करना।
	इकाई 5	आत्म प्रत्यय का विकास	10	5	• आत्म प्रत्यय के विकास हेतु कक्षा कक्ष शर्तों की पहचान करना।
	इकाई 6	बच्चों में सृजनात्मकता का विकास	9	7	• अपनी कक्षा में सृजनात्मकता में वृद्धि हेतु आपके द्वारा पैदा की जाने वाली परिस्थितियों को सूचीबद्ध करना।
ब्लॉक-3 समावेशी शिक्षा	**इकाई 7**	समावेशी शिक्षा का परिचय	6	3	• आपके विद्यालय में समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध करना।
	इकाई 8	विशेष आवश्यकता वाले क्यों (CWSN) की अवधारणा	7	4	• अपने विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिगम संबंधी जरूरतों की पहचान करना।
	इकाई 9	विशेष जरूरतों वाले बच्चों (CWSN) की शिक्षा	9	6	• गृह–आधारित शिक्षा के लिए क्रियात्मक योजना तैयार करना।
ब्लॉक-4 बालिकाओं एवं बच्चों का अधिकार	**इकाई 10**	अवधारण कौशलों का विकास सहायक उपकरण, विशेष उपचार	9	3	• अपने विद्यालय में किसी भी प्रकार की बाधा के संदर्भ में विशेष उपचारों पर सेमिनार
	इकाई 11	शिक्षा में लैगिंक मुद्दे	9	6	• लैंगिक मुद्दों पर अपने विद्यालय की भूमिका की पहचान करना।
	इकाई 12	बालिका सशक्तिकरण	9	6	• अपने विद्यालय की बालिकाओं में जीवन कौशलों के विकास में अपनी भूमिका को

					सूचीबद्ध करना।
	इकाई 13	बाल अधिकार एवं हकदारी	9	6	• अपने विद्यालय एवं आस–पास के क्षेत्र में बाल अधिकारों के हनन को सूचीबद्ध करना।
		शिक्षण	15		
			120	60	30
कुल योग			**120+60+60=240**		

ब्लॉक-4
बालिका एवं बाल अधिकार

इकाई 11 : शिक्षा में लैगिंक मुद्दे

इकाई 12 : बालिका सशक्तिकरण

इकाई 13 : बाल अधिकार एवं हकदारी

खंड प्रस्तावना

खण्ड 4 : बालिका एवं बाल अधिकार

एक विद्यार्थी के रूप में आप खण्ड 4 : बालिका एवं बाल अधिकार का अध्ययन करेंगे। इस खण्ड में शिक्षा में लैगिंक मुद्दे, बालिका सशक्तिकरण तथा बाल अधिकारों से संबंधित तीन इकाईयां हैं। प्रत्येक इकाई कुछ भागों तथा उपभागों में विभाजित है। इससे पहले आप खण्ड 1 : बाल विकास एवं वृद्धि का आधार, खण्ड 2 : बच्चों का व्यक्तित्व विकास तथा खण्ड 3 : समावेशी शिक्षा का अध्ययन कर चुके हैं।

इकाई 11 : शिक्षा में लैगिंक मुद्दे

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप जेंडर की अवधारणा को समझ सकेंगे तथा सेक्स एवं जेंडर में अंतर कर सकेंगे। आप लैगिंक भेदभाव के स्रोत, प्रकार तथा विभिन्न कारकों को जान सकेंगे। आप लैगिंक भेदभाव के उद्भव तथा इतिहास को जान सकेंगे। साथ ही आप लैगिंक सूचकों जैसे पुरुष-स्त्री अनुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की वर्तमान स्थिति की जान सकेंगे। आप लैगिंक भेदभाव से मुक्त समाज के निर्माण में अध्यापक की भूमिका पर चर्चा करने के योग्य हो सकेंगे।

इकाई 12 : बालिका सशक्तिकरण

यह इकाई आपको सशक्तिकरण के प्रत्यय, सशक्तिकरण के सूचकों तथा बालिका सशक्तिकरण की आवश्यकता को समझने में सहायता करेगी। आप बालिका शक्तिकरण में शिक्षक की भूमिका को समझ सकेंगे। आप बालिका सशक्तिकरण हेतु विभिन्न स्तरों पर हुए प्रयासों को जान सकेंगे तथा विभिन्न संस्थाओं की बालिका सशक्तिकरण में भूमिका का वर्णन कर सकेंगे।

इकाई 13 : बाल अधिकार एवं हकदारी

यह इकाई आपको मानव अधिकार तथा बाल अधिकारों का अर्थ समझने में सहायता करेगी। आप बाल अधिकारों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिशों को जान सकेंगे। आप नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की सिफारिशों को जान सकेंगे। आप बालश्रम के अर्थ को समझ सकेंगे तथा इसको समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा कर सकेंगे। आप बाल अधिकारों के संरक्षण में अध्यापक की भूमिका तथा RTE 2009 में अध्यापकों हेतु निर्धारित सिफारिशों को समझ सकेंगे।

विषय सूची

क्रम. सं.	*पाठ का नाम*	*पृष्ठ संख्या*
1.	इकाई 11 : शिक्षा में लैगिंक मुद्दे	1
2.	इकाई 12 : बालिका सशक्तिकरण	36
3.	इकाई 13 : बाल अधिकार एवं हकदारी	56

इकाई 11 शिक्षा में लैंगिक मुद्दे

टिप्पणी

संरचना

11.0 प्रस्तावना

11.1 अधिगम उद्देश्य

11.2 लैंगिक की अवधारणा

11.2.1 लिंग और लैंगिक के मध्य अंतर

11.2.2 एक व्यक्ति की जैविक और लैंगिक की विशेषतायें

11.2.3 लैंगिक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना

11.3 लैंगिक भेदभाव

11.3.1 भेदभाव का अर्थ और लैंगिक भेदभाव

11.3.2 लैंगिक भेदभाव के स्रोत और प्रकार

11.3.3 लैंगिक भेदभाव का कारण

11.3.4 लैंगिक भेदभाव की उत्पत्ति और इतिहास

11.4 लैंगिक के स्थिति संकेतक

11.4.1 लिंग अनुपात

11.4.2 शिक्षा

11.4.3 स्वास्थ्य

11.4.4 कार्य दल में भागीदारी

11.4.5 अत्याचार और नृशंसता

11.4.6 लैंगिक भेदभाव पर विजय प्राप्त करना

11.4.7 कक्षाकक्ष में लैंगिक भेदभाव

11.4.8 जेन्डर निष्पक्ष मूलक समाज की रचना में अध्यापकों की भूमिका

11.5 सारांश

11.6 प्रगति जाँच के उत्तर

11.7 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

11.8 अन्त्य इकाई अभ्यास

11.0 प्रस्तावना

पूर्व की इकाइयों में आप विभिन्न सुविधा वंचित समूह और उनका समस्याओं के बारे में पढ़ चुके है। एक आप सुविधावंचित वर्ग जिनकी ओर अध्यापक का ध्यानाकर्षण करने की आवश्यकता है। वह वर्ग स्त्रियों और लड़कियों का वर्ग है। लड़कियों और स्त्रियों को समाज में अत्यंत हानि उठानी पड़ती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वे स्त्री है। यह एक सही सोच रखने वाले व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया के लिए यह एक गंभीर मुद्दा है। स्त्रियों को समाज में जिन हानियों का सामना करना पड़ता है वे कई मामलों में अनोखे होते है। अत: इस पर हमें अलग से बात करने की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है यदि हम अपने, परिवार, समाज और देश को बेहतर, मानवीय और न्यायपूर्ण बनाना चाहते है। इसका देश के सामाजिक, नैतिक और आर्थिक विकास पर गंभीर असर पड़ता है। इस इकाई में हम स्त्री और पुरूष के असमानता के बारे में उसके कारको, और उसके रूप के बारे में सीखेगे। स्त्री और पुरूष के लिए न्यायसंगत अधिक समानता मूलक समाज की रचना के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस इकाई में स्कूल और अध्यापको की ऐसी दुनिया बनाने में जहाँ पर स्त्री और पुरूष को सम्मान और अधिकार समान रूप से प्राप्त हो तथा उनके विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो, उनकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे।

11.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप योग्य होंगे।

- लिंग और स्त्री पुरूष के मध्य अंतर करने में।
- जैविक गुण और लैंगिक के गुणों के लिए उदाहरण देने में।
- दिये गये कथनों को लिंग संबंधी और स्त्री पुरूष संबंधी कथनों में वर्गीकरण करने में।
- लड़के और लड़कियों के मुख्य सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों की सूचीकरण करने में।
- लैंगिक भेदभाव का अर्थ और कारणों की व्याख्या करने में।
- लैंगिक भेदभाव को मिटाने की आवश्यकता को न्यायोचित ठहराने में।
- हमारे पुरूष भेदभाव रहित समाज की रचना के लिए अध्यापकी की भूमिका की व्याख्या करने में।

11.2 लिंग की अवधारणा

11.2.1 लैंगिक और लिंग के मध्य अंतर:-

क्या आपने 'Gender' शब्द के बारे में सुना है? कुछ व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल एक व्यक्ति

टिप्पणी

के लिंग के अर्थ के रूप में करते है। जबकि दोनों शब्दों के अर्थ में कुछ अंतर है। जब आप आवेदन पत्र भरते है तो आपसे आपके लिंग (sex) के बारे में विवरण भरने के लिए कहा जाता है। आप अपने लिंग के रूप में स्त्री या पुरूष दर्शाते है। इसका अर्थ है कि लिंग यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति लड़का या लड़की है या स्त्री या पुरूष है। शरीर के इस अंग का अंतर शरीर के विशेष अंग से संबंधित है जो प्रजनन से संबंधित है। उदाहरण के लिए औरतों की बच्चेदानी होती है यह उनके शरीर का एक भाग है। इसी तरह पुरूषों की प्रोस्टेट ग्लैन्ड होता है यह पुरूष के शरीर का एक हिस्सा है। इस प्रकार स्त्री और पुरूष के शरीर में कुछ अंतर होता है। प्रकृति ने प्रजनन और उससे संबंधित कार्य के लिए इन्हें बनाया है। इस प्रकार एक व्यक्ति का लिंग जैविक विशेषता है जो उन्हें स्त्री या पुरूष के रूप में अलग करता है।

व्यक्ति का लिंग एक लड़का या लड़की एक पुरूष या एक स्त्री को दर्शाता है। यह अंतर स्त्री और पुरूष के शरीर में प्रकृति प्रदत्त है। ये अंतर जैविक है और प्राय: अपरिवर्तनीय होता है।

आइये अब हम जेन्डर (Gender) शब्द को समझने का प्रयास करते है। समाज लड़के और लड़कियों से अलग-अलग प्रकार के व्यवहार की आशा रखता है। लड़को से आक्रामक और साहसी होने की उम्मीद रखते है। पुरूषों से बाहर जाकर कार्य करने और धनोपार्जन की आशा रखते है। वह रोजीरोटी कमाने वाला है। जबकि स्त्रियों से नरमी और दब्बूपन की आशा रखते है।

इन्हें घर-परिवार बनाने वाले के रूप में देखा जाता है। यह प्रकृति प्रदत्त नहीं है वरन समाज द्वारा बनाया गया सामाजिक व्यवस्था है। समाज स्त्री और पुरूषों के लिए अलग-अलग भूमिका निधारित करती है 'पुरूषों के कार्य' और स्त्रियों के कार्य' में कार्यों को बाँटा जाता है स्त्री और पुरूष द्वारा किये गये कार्यों का आकलन अलग-अलग ढंग से करते हैं तथा दोनों के लिए अलग-अलग सुविधायें और जिम्मेदारियाँ देता है। यह स्त्रियों और पुरूषों पर अलग-अलग ढंग से अंकुश लगाता है।

''हम लड़के और लड़कियों को क्या बनाते है'' यह जेन्डर है यह लड़के और लड़कियों के विकास के अवसर उपलब्ध कराने के बारे में हैं। इसका संबंध उनके लालनपालन सामाजीकरण, संस्कृति और आदर्श व्यक्ति से संबंधित है जो हम उनको देते है। जेन्डर समाज व संस्कार द्वारा लड़के और लड़कियों को क्या बनाते है, से संबंध रखता है।

समाजीकरण के पश्चात स्त्रियों और पुरूषों के विकसित व्यक्तित्व को हम Gender (जेन्डर) कहते है।

इस प्रकार जेन्डर उन गुणों, आदेशों व कार्यों का निरूपण है जिन्हें स्त्रियों और पुरूषों से समाज उम्मीद करता है। जेन्डर समय-समय पर और एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में परिवर्तित होता रहता है।

टिप्पणी

आइये अब हम लिंग और जेन्डर के मध्य मुख्य अंतरों को समझते है।

लिंग	जेन्डर
जैविक संरचना	सामाजिक सांस्कृतिक संरचना
प्रकृति प्रदत्त	सामज निर्मित
स्थिर	परिवर्तनीय
व्यक्तिगत	व्यवस्थित
अस्तरीय	स्तरीय
अपरिवर्तनशील	परिवर्तनशील

11.2.2 एक व्यक्ति की जैविक व लैंगिक विशेषतायें

एक व्यक्ति की जैविक विशेषता:- एक व्यक्ति या एक स्त्री या एक पुरूष के रूप में पैदा होता है। प्रकृति ने स्त्रियों को गर्भधारण, बच्चे को जन्म देने व स्तनपान कराने की विशेषतायें दी है। इन सबके लिए विशेष अंग प्रकृति ने दिये है। चूंकि इन जैविक क्रियाओं को पुरूषों को प्रकृति ने नहीं दिया है अत: ये अंग पुरूषों में विद्यमान नहीं है। हाँलाकि पुरूषों को प्रजनन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अलग प्रकार का अंग प्रकृति ने दिया है। ये अन्तर प्राकृतिक है। स्त्रियों और पुरूषों के प्रजनन से संबंधित कुछ आवश्यक अंग आकृति 1 में दिये गये है। चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके स्त्री और पुरूषों के प्रजनन अंगो की सूची बनाये।

स्त्री और पुरूष के प्रजनन अंगों का चित्र

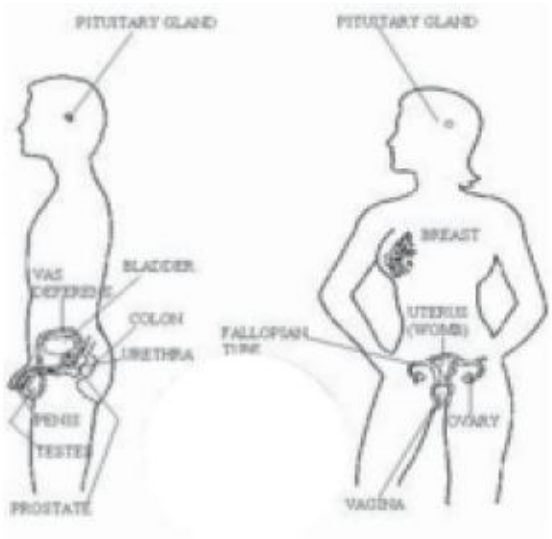

आकृति 1 : स्त्री और पुरूष के शरीर के अंगों में भिन्नता

टिप्पणी

आइये कुछ ऐसे उदाहरण पर विचार करते है जो स्त्री और पुरूषों के लैगिंक अंतर की समझ को सुदृढ़ करेगा। एक व्यस्क पुरूष वीर्य उत्पन्न करता है जबकि एक व्यस्क स्त्री अंडाणु उत्पन्न करती हैं। इसका समाज या संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक है तथा यह एक देश से दूसरे देश या संस्कृति में बदलता नहीं है। एक व्यक्ति में xx गुणसूत्र की उपस्थिति उसे स्त्री बनाता है। तथा xy गुणसूत्र की उपस्थिति व्यक्ति को पुरूष बनाता है। एक स्त्री के पास गर्भाशय होता है जबकि एक पुरूष के पास यह नहीं होता है। अब आप जान गये ऐसा क्यों होता है? यह एक जैविक भिन्नता है। आइये स्त्री और पुरूष के कुछ जैविक भिन्नताओं पर विचार करते है।

पुरूष	स्त्री
1. किशोरावस्था में आवाज भारी, कर्कश हो जाती है।	1. किशोरावस्था में आवाज तीखी हो जाती है।
2. दाढ़ी और मूँछ उगना शुरू हो जाता है।	2. किशोरावस्था में स्तन विकसित होना प्रारम्भ हो जाता है।
3. शरीर पेशीय हो जाता है	3. शरीर कोमल हो जाता है।
4. मासिक चक्र नहीं होता है	4. मासिक चक्र किशोरावस्था में प्रारम्भ हो जाता है।
5. अन्य	5. अन्य

एक व्यक्ति का लिंग गुण:- जैविक विभिन्नतायें - अर्थात स्त्री या पुरूष होना किसी व्यक्ति को सामाजिक गतिविधि में भागीदारी को सीमित नहीं करता है। हाँलाकि जिंदगी के कुछ क्षेत्रों में पुरूषों की अधिकता होती है जबकि जीवन के कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों की अधिकता होती है। ऐसा क्यो है? उदाहरण के लिए हम किसी स्त्री को खेत में हल चलाते शायद ही देखते है। कई व्यक्ति सोचते है कि खेत जोतना पुरूषों का कार्य है। इसी प्रकार पुरूषों को बच्चों एवं परिवार के अन्य सदस्यों के कपड़े धोते शायद ही देखा हो। इसको लोग प्राय: स्त्रियों का कार्य समझते है। प्राय: घरेलू काम को स्त्रियों का कार्य समझा जाता है। तथा घर के बाहर के कार्य को लड़को और पुरूषों का कार्य समझा जाता है। हममें में से अधिकांश सोचते है कि कठिन कार्य पुरूषों के लिए है जबकि आसान कार्य स्त्रियों के लिए है। हम यह भी विश्वास करते है कि कुछ विशेष कार्य सिर्फ स्त्रियों के लिए उपयुक्त है जैसे शिक्षण व नर्स का कार्य। इसी प्रकार कुछ कार्यों को सिर्फ पुरूषों के लिए उपयुक्त समझा जाता है। इस पर आपके विचार क्या है?

हम स्त्री और पुरूष के विशेषताओं का विचार भी रखते है। यह राय व्यक्ति के लिंग से कोई संबंध नहीं रखता है। समाज विशेष भूमिकाओं कार्यो, विशेषताओं और उम्मीदों को लिंग के आधार पर आरोपित करता है। भूमिकाओं, आशाओं, विचारों को समाज व संस्कृति द्वारा आरोपित

करना जेन्डर भेदभावों का निर्माण करता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे।

समाज सामान्यत: लड़कियों को कोमल सुसंस्कृत, विनीत और आज्ञाकारी होने की आशा करता है। और लड़को को आक्रमक, सुदृढ़ कठोर, साहसी आदि होने की उम्मीद रखते है। हम लड़कियों और लड़कों के व्यवहार भिन्न होने की उम्मीद क्यों रखते है? यह भिन्नतायें प्राकृतिक नहीं है। ये समाज के द्वारा आरोपित है। लड़के और लड़कियों में इस प्रकार की भिन्नताये प्राकृतिक नहीं है, जेन्डर भेदभाव है। लड़के और लड़कियों की प्रारम्भिक अवस्था में शारीरिक भिन्नतायें लिंग के अतिरिक्त दृष्टिगोचर नहीं होती है। यद्यपि किशोरावस्था के पदार्पण होने पर शारीरिक भिन्नतायें स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगती है। उनके सामाजिक और मनोभावात्मक विशेषताओं में बड़े होने के साथ-साथ भिन्न होने लगता है। ऐसी कुछ विशेषताओं को नीचे सारणी में दिया गया है।

आकृति 2- लड़के के खेलने का सामान बैटबाल, जीप और लड़कियों के खिलौने गुड़ियों, रसोई का सामान का चित्र

समाज लड़के और लड़कियों को भिन्न रूप से आँकता है। लड़के के जन्म होने पर बड़े धूमधाम से उनके जन्मदिवस को मनाते है जबकि लड़कियों के जन्म पर खुशी नहीं मनाते है।

ऐसा क्यों होता है? हम लड़के और लड़कियों का लालन पालन अलग-अलग ढंग से करते है। हम लड़के और लड़कियों की प्रंशसा या दंड अलग-अलग कारणों से देते है। हम लड़के और लड़कियों के खिलौने अलग अलग उपलब्ध कराते है। व्यक्तियों को ऐसा करने के लिए क्या उकसाता है। यह पुन: एक जेन्डर संबंधी भिन्नतायें है। लड़कियाँ भी बैट-बॉल या जीप से खेल सकती है। लड़के भी गुड़ियाँ और रसोई घर के सामानों से खेल सकते है। वे इस गतिविधि का भी आनंद लेते है। यद्यपि ऐसा करने के लिए उन्हें शायद ही प्रेरित किया जाता है।

घर से बाहर की गतिविधियों में भाग लेने के लिए लड़कियों के लिए लड़कों की अपेक्षा अत्यंत सीमित अवसर है। लड़कों को घर से बाहर घूमने फिरने के लिए प्रेरित किया जाता है जबकि लड़कियों को घर के अंदर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है।

टिप्पणी

कारक	लड़का	लड़की
लिंग	ताकतवर	Fair व कमजोर
शरीर	रफ और कठोर सुरक्षित अभेद्य ऊँची तेज आवाज प्रधान धनोपार्जक	कोमल और कमजोर नाजुक व कोमल अत्यधिक असुरक्षित तीखी आवाज पारिवारिक सदस्य
सामाजिक	घर का मुखिया बिरादरी का नेता नेतृत्व करने के लिए पैदा नियत्रंक संसाधन विभाजक कर्कश आवाज सोच और कार्य में स्वतंत्रता साहसिक मास्टरफुल बुद्धिमान यांत्रिक कार्यकुशल विज्ञान व गणित में कुशल सांसारिक व्यवहार कुशल अत्यधिक तार्किक	आदर्श माँ, पत्नी, बहन त्यागमयी सेवा करने के लिए नियंत्रित संसाधन उपभोक्ता कोमल आवाज सोच विचार व कार्य में निर्भरता संवदेनशील सुंदर और सुशील अन्तर्निहित प्रकृति यांत्रिक कार्यो में कमजोर भाषा ज्ञान सुदृढ़ मूर्ख अत्यधिक भावुक
मनोभावात्मक	उच्च सामाजिक बुद्धिमत्ता स्वार्थपरक लापरवाह और रूष्ट ताकत संगह व प्रदर्शन पैसे व प्रभाव पर ध्यान देना	निम्न सामाजिक बुद्धिमत्ता भावुकता अपने शरीर के प्रति सचेत समर्पण अपनी सुंदरता का ध्यान रखना

यह सब लड़के और लड़कियों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है।

11.2.3 जेन्डर सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना के रूप में:-

जेन्डर भेदभाव सांस्कृतिक रूप से प्रभावित और सामाजिक रूप से संरचित होता है। इसलिए हम विभिन्न संस्कृति में जेन्डर की भूमिका व अपेक्षाओं में अत्यधिक भेदभाव देखते हैं उदाहरण के लिए हमारे देश के कई भागों में महिलाओं को साड़ी पहनने व लंबे बाल रखने के लिए कहा जाता है। कुछ अन्य संस्कृति में स्त्रियों का स्कर्ट पहनना व छोटे बाल रखना सामान्य समझा

जाता है। व्यक्ति जैसे-जैसे बड़े होते है वे जेन्डर की भूमिका और अपेक्षाओं को आत्मसात करते है। बच्चे जीवन के प्रारंभिक अवस्था से ही जेन्डर के द्वारा अपना वर्गीकरण करने लगते है। वे सीखने के एक भाग के रूप में अपना पुरूषत्व व अपने स्त्रीत्व का प्रदर्शन करते हैं। लड़के अपनी शारीरिक और सामाजिक वातावरण का स्वार्थपरक ढंग से इस्तेमाल अपने शारीरिक ताकत या अन्य कौशलों द्वारा करते है। जबबि लड़कियाँ अपने को सुंदर प्रदर्शित करना सीख जाती है। बच्चे जेन्डर के आधार पर दूसरों के व्यवहार तथा स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करते है तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर अपने आपको ढालने की कोशिश करते है। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति/घटना उनके अध्यापक, मातापिता, पड़ोसी, फिल्मे, मीडिया, प्रदर्शन हो सकता है। जेन्डर विभाजित क्रियाकलाप यह विश्वास उत्पन्न करता है कि जेन्डर भेदभाव पुरूष और स्त्री की आवश्यक प्रकृति है। जेन्डर भेदभाव हमारे विश्वास प्रयास और सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ होता है। स्त्री एवं पुरूषों को विपरीत वर्गो में बाँट कर देखना जेन्डर भेदभाव को और सुदृढ़ करता है। लड़के और लड़कियों के मध्य जेन्डर भेदभाव एक सीखा हुआ व्यवहार है जो समाजीकरण और संस्कृतिकरण का परिणाम है। इसलिए हम कहते है कि जेन्डर एक सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना है।

प्रगति जाँच-1

1. निम्नांकित कथन 'सत्य' या 'असत्य' है बताइये। प्रत्येक कथन के उत्तर को उपलब्ध रिक्त स्थान में लिखिये।

   (अ) जेन्डर विशेषतायें प्राकृतिक भिन्नता है

   (ब) स्त्री या पुरूष होना एक जैविक गुण है।

   (स) जेन्डर गुण एक समाज से दूसरे समाज में अलग-अलग होता है

   (द) किसी व्यक्ति का जेन्डर प्राय स्थिर होता है जबकि लिंग परिवर्तनीय है।

   (इ) जेन्डर सामाजीकरण और संस्कृति की देन है।

   (ई) व्यक्ति के लिए स्त्री होना एक नकारात्मक चीज है।

2. निम्नांकित को 'जेन्डर गुण' और 'जैविक गुण' में वर्गीकरण करिये

   (i) पुरूष स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान होते है

   (ii) स्त्रियाँ बच्चे पैदा कर सकती है।

   (iii) स्त्रियों की आवाज पुरूषों की अपेक्षा अधिक तीखी है।

   (iv) पुरूष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक आत्म विश्वास रखते है।

   (v) कुछ विशेष सामाजिक क्रियाकलाप महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है

टिप्पणी

(vi) पुरूषों में दर्द सहन की क्षमता महिलाओं से अधिक होता है।

(vii) स्त्रियों में xx गुणसूत्र होता है जबकि पुरूषों में xy गुण सूत्र होता है।

(viii) स्त्रियों के लिए सुंदर दिखना और चरित्र अन्य चीजों के अपेक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है।

(ix) कुछ कार्य पुरूषों के बजाय स्त्रियों के लिए अधिक उपयुक्त होता है।

(x) घरेलू कार्य करना महिलाओं और लड़कियों का कर्त्तव्य है

(xi) स्त्रियों का दूसरा नाम ईर्ष्या है।

11.3 लैंगिक (Gender) भेदभाव

हम लड़के और लड़कियों से समान रूप का व्यवहार नहीं करते है। पुरूष और स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए समान अवसर प्राप्त नहीं होते है। क्यों? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? क्या जीवन के इन क्षेत्रों में स्त्रियाँ समान अधिकार रखने के लिए अक्षम है? लड़की या स्त्री होना उनकी क्षमताओं को सीमित नहीं करता है। इसके बावजूद भी जीवन के कई क्षेत्रों में स्त्रियों को कार्य करने, भाग लेने के लिए अवसर नहीं दिये जाते है।

अवसर न प्रदान करना भेदभाव और पक्षपात की ओर इंगित करता है। आइये इस खंड में जेन्डर भेदभाव के बारे में अध्ययन करते है तथा यह किस प्रकार लड़के और लड़कियों को प्रभावित करता है?

11.3.1 भेदभाव और लैंगिक भेदभाव

आइये एक या दो उदाहरणों के द्वारा भेदभाव का अर्थ समझते है। आइये बात करते है एक गाँव में अनुसूचित जातिसे संबंधित व्यक्तियों को एक कुएँ से पानी नहीं निकालने देते है जबकि दूसरों को पानी निकालने देते है। पानी सभी के लिए मूलभूत आवश्यकता है। निकट के कुएँ से पानी निकालने नहीं देना स्पष्ट रूप से व्यक्तियों को सुविधा वंचित करना है। यह जातिगत भेदभाव है। आइये एक और उदाहरण लेते है। दो व्यक्ति है दोनो समान रूप से सक्षम है एक काली त्वचा वाला है जबकि दूसरो व्यक्ति साफ रंग वाला है। एक क्रियाकलाप के लिए हमें एक का चुनाव करना है। काली त्वचा वाले व्यक्ति को उसके रंग के आधार पर चुनाव न करना भेदभावपूर्ण प्रवृत्ति है।

भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के कथन इस प्रकार है- Discriminatory behaviours take many forms but they all involve some form of exclusion or rejection. इस प्रकार 'भेदभाव' एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विरूद्ध व्यवहार या विचार है क्योंकि केवल

वे व्यक्ति/समूह किसी विशेष वर्ग या श्रेणी से संबंध रखते है। इस प्रकार भेदभाव व्यक्तिगत जरूरत, विशेषता, क्षमता की परवाह नहीं करता है। इस प्रकार भेदभाव नकारात्मक की ओर इंगित करता है। भेदभाव एक विशेष समूह या व्यक्ति से दूसरो की अपेक्षा किसी अन्यायोचित पूर्वाग्रह के कारण निकृष्ट ढंग से व्यवहार करता है या करने की प्रकृति रखता है। क्या आप अपने स्थान में भेदभावपूर्ण व्यवहार, आचरण होते देखा है? इसकी एक सूची बनाइये। उन पूर्वाग्रहों के बारे में सोचिये जिसके कारण इस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

आइये अब जेन्डर भेदभाव के बारे में बात करते है। जेन्डर भेदभाव का आधार लिंग है। यह एक व्यक्ति के प्रति असमान व्यवहार है जो उस व्यक्ति के लिंग के उपर आधारित है।

जेन्डर भेदभाव को कभी-कभी लिंगवाद के रूप में निरूपित किया जाता है। लिंगवाद किसी भी सामाजिक स्थिति में, जहाँ पर पूर्वाग्रह आचरण होता है, घटित होता है, और यह नहीं होता यदि वे विपरीत लिंग के नहीं होते। कोई भी अन्यायपूर्ण विचार, योजना, वृत्ति या विश्वास जो कि एक स्त्री या पुरूष से असमान रूप से व्यवहार करता है तथा जिसके कारण एक विशेष लिंग से संबंधित व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है या चुनाव करने से रोकता है, जेन्डर भेदभाव है। यह एक प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित रूप है और कुछ परिस्थितियों में यह अवैधानिक है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराना भेदभाव नहीं है बल्कि जेन्डर संवेदनशीलता है। कभी-कभी भेदभाव इतना स्पष्ट नहीं होता है जैसे कि आकृति 3 में दिखाया गया है।

आकृति 3: नौकरी में जेन्डर भेदभाव

इस प्रकार के भेदभाव के लिए कोई कारण या तर्क नहीं है। क्या आपने इस प्रकार के अन्य भेदभावपूर्ण विज्ञापन देखा है?

एक लड़की अपने मित्र के घर एक प्रोजेक्ट कार्य पूरा करने के लिए जाना चाहती है, उसे या तो जाने नहीं दिया जाता है या दिन छिपने से पहले घर वापस आने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के प्रतिबंध लड़कों पर नहीं लगाया जाता है। लड़की को कुछ कार्य नहीं करने दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है।

टिप्पणी

आइये एक और उदाहरण पर विचार करते है- कुछ संस्कृति में स्त्रियों को गाड़ी चलाने की आज्ञा नहीं दी जाती है। यदि कोई पुरूष स्त्री से घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं है तो उस पुरूष को स्त्री के साथ गाड़ी चलाने नहीं दिया जाता है। यदि किसी भी पुरूष को छात्राओं के संपर्क में न आने दिया जाये या स्त्रियों को गाड़ी चलाने न दिया जाये तो विद्यालय बस को कौन चलायेगा? लड़कियों की शिक्षा का क्या होगा?

हम प्राय: देखते है कि लड़के खेल के मैदान में बहुत सी खेल सामग्रियों के साथ खेलते है। जबकि लड़कियों को बिना खेल सामग्री के घर के भीतर खेलने के लिए कहा जाता है। और कभी-कभी उन्हें भीतर खेल खेलने के लिए मना किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह न्यायोचित है?

जेन्डर भेदभाव लड़कों और पुरूषों को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए खेल के मैदान में चोटग्रस्त बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह न रोये। क्यों? क्या यह इसलिए है कि वह एक लड़का है? उससे उम्मीद की जाती है कि वह हार को कभी स्वीकार न करें। एक पुरूष घर बनाने व सम्भालने वाला नहीं हो सकता है। यह भी जेन्डर भेदभाव है हालांकि आज के जमाने में अधिकतर भेदभाव स्त्रियों और लड़कियों के विरूद्ध होता है। इसलिए हम अधिक ध्यान स्त्रियों और लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव पर दे रहे है। अत: जेन्डर भेदभाव जैसा कि हमने आज समझा वह भेदभाव लड़कियों और स्त्रियों के विरूद्ध भेदभाव है।

11.3.2 लैंगिक भेदभाव के स्त्रोत: और प्रकार

भेदभाव प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या खुले तौर पर या दबे छुपे रूप से हो सकता है। प्रत्यक्ष भेदभाव घटित होता है जब जेन्डर का इस्तेमाल, भेदभाव के लिए स्पष्ट रूप से किया जाता है। एक उदाहरण पर विचार करते है। आप एक विद्यार्थी का चुनाव कक्षा नेता के लिए करना चाहते है। एक अध्यापक के रूप में शायद सोचे कि कक्षा नेता के लिए एक लड़की के बजाय एक लड़के का चुनाव करना बेहतर है। यह प्रत्यक्ष भेदभाव है। किसी कर्मचारी को गर्भधारण करने पर बर्खास्त करना प्रत्यक्ष भेदभाव है।

अप्रत्यक्ष भेदभाव तब घटित होता है जब कुछ प्रावधान या वृत्ति इस प्रकार के होते है जो स्त्रियों व लड़कियों को सुविधा वंचित करता है। उदाहरण के लिए यदि एक मालिक अपने पुरूष कर्मचारियों के लिए। नये फर्नीचर खरीदता है यह एक अप्रत्यक्ष जेन्डर भेदभाव है।

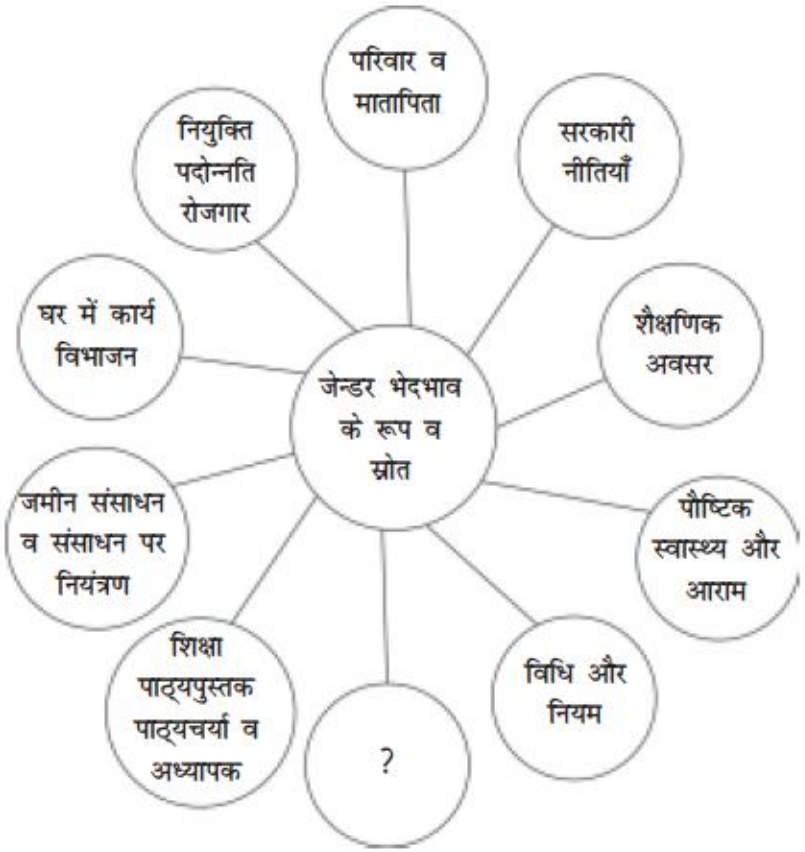

आकृति 4: जेन्डर भेदभाव के स्त्रोत

स्त्रियों व लड़कियों के विरूद्ध जेन्डर भेदभाव के कई रूप हो सकते है। यद्यपि यह एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में भिन्न-भिन्न हो सकता है। जेन्डर भेदभाव कई स्त्रोतों से उत्पन्न हो सकता है। यह घर से प्रारम्भ होता है और यह विद्यालय, आम स्थानों, कार्यस्थल, नौकरी में नियुक्ति, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, राजनैतिक दलों, संसद और विधानसभा आदि तक फैला हुआ है। आकृति 4 से आपको भेदभाव के विभिन्न स्त्रोतों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगा। आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। प्रत्येक स्थिति में कम से कम जेन्डर भेदभाव वृत्तियों की पहचान करें।

आकृति 5

टिप्पणी

एक लड़की के जन्म से पहले ही जेन्डर भेदभाव की शुरूआत हो जाती है। भ्रूण हत्या के विरूद्ध सख्त वैधानिक नियम होने के बावजूद बड़े स्तर पर लड़की भ्रूणहत्या हो रही है। इससे इस बात को बल मिलता है कि जेन्डर भेदभाव जन्म से पहले ही प्रारम्भ हो जाता है। परिवार में प्राय: लड़कियों की उपेक्षा की जाती है तथा लड़कों को विशेष सुविधायें दी जाती है। लड़कियों की पौष्टिकता और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है। इसके फलस्वरूप अधिक संख्या में लड़कियों की मौत हो जाती है। शिक्षा के अवसर उपलब्ध न कराना उनकी पसंद के कोर्स पढ़ने के लिए हतोत्साहित करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों को हतोत्साहित करना प्राय: सामान्य बात है। नौकरी के क्षेत्र में स्त्रियों की अपेक्षा पुरूषों को पसंद किया जाता है।

परिवार के भीतर भी जेंडर असमानता संबंधों में प्राय: देखा जाता है। ये असमानता कई रूप ध ारण कर सकता है। उदाहरण के लिए घरेलू कार्यो को पूरा करने का उत्तरदायित्व और बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी का बोझ महिलाओं और लड़कियों के उपर ही होता है। इसका प्रभाव लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा नौकरी और पदोन्नति के क्षेत्र में होगा। यह उनकी बाहर की दुनिया की समझ-बोध को सीमित करता है। इससे उनके व्यावसायिक क्षेत्रों के विभिन्न कार्यों की समझ और ज्ञान प्रभावित होता है।

कई लड़कियों को घर के कार्य करने में सहायता करनी पड़ती है तथा अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाती है। अत: अधिकांश समय वह घर के भीतर रहती है। इससे उनकी शिक्षा व भविष्य प्रभावित होता है साथ ही उनका बचपन भी छिन जाता है कई ऐसे उदाहरण है जब लड़कियों का यौवनारंभ होता है तो उसे विद्यालय से निकाल लिया जाता है। कुछ संस्कृति में उनके जननांग को विकृत करने की प्रथा है। लड़के पैदा न करने के लिए स्त्रियों को तंग किया जाता है कुपोषण के कारण लड़कियाँ अधिक मरती है। कई ऐसे उदाहरण है जहाँ परिवार के लोग ही बालिकाओं को त्याग देते है या मार देते है।

ये कुछ सुपरिचित उदाहरण है जो जेन्डर भेदभाव की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं।

जब अपनी पसंद के पाठ्यक्रम पढ़ने की बात आती है तो जेन्डर भेदभाव अस्पष्ट तरीके से होता है। लड़कियों को ऐसे कोर्स लेने के लिए हतोत्साहित किया जाता है जिनमें उन्हें घर से दूर जाना या रहना पड़ता हो। कई लोग यह विश्वास करते है कि यांत्रिक इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ कार्य जैसे क्लर्क, अध्यापन, नर्सिंग, घर सम्भालना आदि कार्यों को लड़कियों के लिए उपयुक्त समझा जाता है।

यात्रा व घूमने फिरने में पाबंदी, जीविकोपार्जन करने के लिए हतोत्साहित करना, छेड़छाड़, अपने पंसद की नौकरी करने से रोकना, जमीन जायदाद में हिस्सा न देना, घूमने फिरने व अपनी बात करने के लिए प्रतिबंध लगाना, कार्य स्थल में यौनशोषण, घरेलू हिंसा, शारीरिक छेड़छाड़ आदि जेन्डर भेदभाव के रूप है। अलग कार्य वातावरण उपलब्ध कराना भी जेन्डर भेदभाव है। इसका

रूप, कम वेतन, नियुक्ति, पदोन्नति या बोनस नियमों, के रूप में हो सकता है। प्रवेश, चुनाव, नियुक्ति या खेल के चुनाव में और शैक्षणिक अवसरों पर जेन्डर भेदभाव हो सकता है।

हमे जमीनजायदाद के स्वामित्व या उपयोग के संबंध में भी जेन्डर भेदभाव देखने को मिलता है। आधारभूत परिसंपत्ति जैसे घर, जमीन को स्त्री पुरूष दोनों के बीच समान रूप से बाँटा जाता है। जमीन जायदाद के मालिकाना हक की अनुपस्थिति, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी और तरक्की को और कठिन बना देता है। इस प्रकार की असमानता दुनिया के अधि कांश हिस्सों में विद्यमान है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर इसके भिन्नभिन्न रूप है। उदाहरण स्वरूप भारत में पैतृक संपत्ति पर पुरूषों का हक समझा जाता है। हाँलाकि हाल ही में संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी के संबंध में वैधानिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है।

शिक्षण तंत्र भी कुछ हद तक स्त्री और पुरूष के बीच की असमानता को बरकरार रखती है। प्रथम पाठयपुस्तक में लड़कों को कठोर मानसिक रूप से सुदृढ़ व कौशल युक्त व साहसिक प्रदर्शित किया जाता है जबकि लड़कियों को कोमल विनीत तथा घरेलू कामकाज करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तक कि लड़के और लड़कियों की वर्दी भी भिन्न होती है। लड़कियों के लिए निर्धारित वर्दी कुछ विद्यालयी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त नहीं होता है जैसे खेल व पेड़ पर चढ़ना। द्वितीय जब बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है तो वह अपने मन मस्तिष्क में पहले को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तृतीय विद्यालय वातावरण में बालिका अपनी लैंगिकता का शिकार है। पुरूष, रूपये पैसे, नम्बर, या अन्य भौतिक वस्तु के बदले यौनचार कर सकता है और इसमें यदि वह सफल नहीं हुआ तो हिंसा पर उतारू हो जाता है।

मौलिक रूप से जेन्डर भेदभाव स्त्रियों और लड़कियों को चुनाव की स्वतंत्रता से वंचित करना है। जेन्डर भेदभाव के कई रूप हमे सामाजिक संस्थाओं में देखने को मिलता है। कई संस्कृति में लड़कियों की इच्छा के विरूद्ध शादी करना या उनकी सलाह के बिना रिश्ता तय करने की प्रथा प्रचलित है जोकि प्राय: यौनशोषण में परिणित होता है। महिलाओं को संबंध विच्छेद करने और उत्तराधिकार के संबंध में समान अधिकार प्राप्त नहीं है। बहु विवाह प्रथा भी जेन्डर भेदभाव का कारण है। कई कार्य क्षेत्रों में विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में समान कार्य करने के बावजूद महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। मातापिता द्वारा लड़कियों को घर से बाहर जाकर कार्य करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है।

11.3.3 लैंगिक (Gender) भेदभाव का कारण:-

सुनिश्चित रूप से जेन्डर भेदभाव व पक्षपात का कारण बताना कठिन है। यह सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों के सम्मिलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। हाँलाकि कुछ कारणों की पहचान करना संभव है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में स्त्रियों और पुरूषों के बीच असमानता विद्यमान है।

टिप्पणी

मानवधिकार आयोग के अनुसार जेन्डर भेदभाव का एक मुख्य कारक धर्म है। परंपरा और धार्मिक लेख व्यक्तियों के सोच व कार्य को ढालता है। कई धर्म स्त्रियों को पुरूषों से नीचे स्तर पर रखता है इससे समाज में असमानता का निर्माण होता है। धर्म के द्वारा इस प्रकार के भेदभावपूर्ण आचरण आरोपित करने की प्रथा का अनुयायी बिना प्रश्न किये हुए पालन करते है। लगभग सभी धर्मो में व्यक्तिगत नियम है और इन नियमों में स्त्रियों के लिए बहुत कम अधि कार है। क्या आपके धर्म में इस प्रकार की विषयवस्तु आप पाते है? क्या आपने किसी भी ध र्म के लेखों व प्रथाओं में जेन्डर पक्षपात का सामना किया है?

जैसाकि हम पहले ही सीख चुके है कि जेन्डर सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना है। संस्कृति हमारे सोचने व कार्य करने के ढंग को आधार प्रदान करता है। कई संस्कृति में पुरूषों को वरिष्ठता का दर्जा तथा स्त्रियों को निम्नस्तर पर रखना सामान्य बात है।

बच्चों के लालनपालन उनके आदर्श, व्यक्ति और सामाजीकरण का उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव होता है। माता-पिता को लड़केलड़कियाँ अपना आदर्श मानते है। लड़कियाँ अपनी माँ का तथा लड़के अपने पिता का अनुसरण करते है। परिवार में मातापिता समाज के परंपरा के निर्वहन करते हुए लड़कियों को निकृष्ट सामाजिक स्तर पर रहने के लिए उन्हें तैयार या उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था व आगे लड़केलड़कियाँ उन आचरण व व्यवहारों को सीखते है जिनकी उम्मीद समाज उनसे करता है। जन्म से ही लड़के और लड़कियों को अलग-अलग ढंग से देखा व समझा जाता है। मातापिता नवजात बालिका को छोटी, कोमल और नाजुक कहते है जबकि नवजात बालक को कठोर और ताकतवर कहते है। वे अपने नवजात बालक ओर बालिका से अलग-अलग ढंग से बात करते है।

मातापिता अपने बच्चों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते है यह शायद लिंग रूढ़िवाद के रचना में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। लिंग रूढ़िवाद एक सामूहिक विचारधारा विश्वास और आशाओं का समूह है जो स्त्रियों और पुरूषों के बारे में होता है तथा प्राय: आधारहीन होता है। लड़के और लड़कियों को अलग-अलग खेल सामग्रियाँ दी जाती है। बेटियों को अधिक संरक्षण दिया जाता है तथा साथ में उनके उपर अधिक पाबंदियों और नियंत्रण रखा जाता है। लड़कों को अधिक साहसी ताकतवर और उपलब्धि अर्जित करने के लिए उत्साहित किया जाता है। माता-पिता दोनों लड़के और लड़कियों के लिए जेन्डर उपयुक्त व्यवहार का सुदृढ़ीकरण पुरस्कार या सकरात्मक क्रियाओं के द्वारा करते है तथा उनकी आशाओं के विपरीत व्यवहार करने पर उन्हें दंड देते है। साथी भी जेन्डर रूढ़िवाद को बढ़ावा देते है।

कई मातापिता बेटियों को बोझ समझते है। इसलिए वे उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और विकास में राशि व्यय नहीं करते है। निम्न स्तरीय शिक्षा के कारण नौकरी भी निम्न स्तरीय मिलती है और इसके परिणिति गरीबी और दूसरों पर निर्भर होना है। इस प्रकार की निर्भरता से पुरूषों के इस विचारधारा को बल मिलता है कि स्त्रियाँ निकृष्ट होती है। जिन स्त्रियों की शिक्षा कम होती है

टिप्पणी

उनके पास अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कम तरीके होते है और भेदभाव का विरोध करने की शक्ति कम होती है।

बच्चे जो पुस्तके पढ़ते है, कहानियाँ सुनते हैं उनके द्वारा भी जेन्डर भेदभाव व पक्षपात करने की वृत्ति को बल प्रदान किया जाता है। किसी महत्वपूर्ण कार्यों में महिलाओं और लड़कियों की लगभग नहीं के बराबर भागीदारी होने के कारण बच्चों में यह धारणा बनती है कि पुरूष समाज में वरिष्ट स्थान रखता है। शैक्षणिक संस्थान, अध्यापक और पाठ्यचर्या भी काफी हद तक जेन्डर पक्षपात और भेदभावपूर्ण वृत्तियों को बढ़ावा देती है। एक ही अध्ययन कक्ष में बैठे हुए लड़के व लड़कियाँ जिनके पाठ्यपुस्तक समान है, अध्यापक समान है। फिर भी उनके शिक्षण प्रशिक्षण अलग अलग ढंग से होता है। कुछ अन्य कारण जो जेन्डर भेदभाव का बढ़ावा देते है वे है- अज्ञानता, जातिप्रथा, परिवार की इज्जत, परिवार की आय का स्तर और सामाजिक मान्यतायें। ऐसे दुष्चक्र है जिसमें ऐसी मान्यताओं विश्वास और वृत्तियाँ है जो पुरूषों को प्राथमिकता देता है तथा उनके वर्चस्व को स्वीकार करता है और इससे जेन्डर के मध्य असमान संबंधों की रचना होती है। इसे पितृत्व आधारित शासन कहते है।

अब तक आप समझ चुके होंगे कि जेन्डर पक्षपात की जड़ें कई जगहों पर जमीं हुई है। इसे कई तरीकों से और अधिक मजबूत बनाया जाता है। लड़कियों को समान अधिकार और अवसर तभी प्राप्त हो सकते जब इसके लिए मातापिता विद्यालय और अध्यापक जन प्रतिनिधि, मिडिया सामाजिक संस्था निर्माता सब मिलकर कार्य करेंगे। मातापिता को चाहि कि वे अपने बेटियों को सशक्त बनाने के लिए घर तथा विद्यालय के कार्यो दोनों में उत्साहपूर्वक भाग ले। सरकार, प्रशासक, विद्यालय और अध्यापक लड़कियों को शिक्षा और सामाजिक कार्यो में भाग लेने के लिए उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उत्साहित करें। जब इस तरह के प्रयास किये जायेगे तो जेन्डर समानता और सुदृढ़ होगा।

11.3.4 लैंगिक (Gender) भेदभाव का इतिहास और उद्‌भव

जेन्डर भेदभाव की शुरूआत की कई व्याख्याये है। जेन्डर भेदभाव की सबसे सशक्त व्याख्या को भौतिकतावाद सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धान्त विभिन्न संस्कृतियों में स्त्रियों और पुरूषों के स्थिति से संबंधित आंकड़ों का इस्तेमाल जेन्डर असमानता की व्याख्या करने के लिए करता है। ये सिद्धान्त प्रतिपादक तर्क देते है कि जेन्डर असमानता का कारण समाज के आर्थिक ढाँचे में पुरूष और स्त्री किस प्रकार बाँधे हुए है।

वे इस बात पर बल देते है कि बहुमूल्य संसाधनों पर नियंत्रण और वितरण एक ऐसा तथ्य है जो पुरूषों को अधिक लाभप्रद स्थिति में रखता है। पुरूषों और स्त्रियों के बीच असमानता की जड़े आर्थिक असमानता, परिनिर्भरता, राजनैतिक अस्पष्टता तथा अस्वस्थ्य सामाजिक संबंध पर जमी हुई है। इस दृष्टिकोण से यह लगता है कि स्त्रियों का समाज में निम्नस्तर का होना उनके जैविक स्थिति का परिणाम नहीं है परन्तु सामाजिक संबंधों का परिणाम है।

टिप्पणी

परिवारिक संरचना की उत्पत्ति से श्रम विभाजन की जरूरत पड़ी। कुछ समझने योग्य कारणों से घरेलू कार्य औरतों के हिस्सों में और घर से बाहर के कार्यों में पुरुष संलग्नरत हुए। इस प्रकार के कार्यविभाजन से महिलाओं को कई प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा और इससे पुरूषों को लाभ मिला। पुरूषों को ताकत, जमीन जायदाद और सम्मान से संबंधित समझा जाता है। स्त्रियों को बच्चों पैदा करना, उनका लालन पालन करने की जिम्मेदारी तथा घरेलू कार्यो की जिम्मेदारी का बोझ उनकी बहुमूल्य संसाधन पर नियंत्रण क्षमता को कम करता है। इसके अतिरिक्त जेन्डर असमानता के उद्‌भाव के कई और सिद्धान्त है। इसके बारे में जानने का आप प्रयास करें।

ऐतिहासिकरूप से लैंगिकवाद ने अधिकांश समय स्त्रियों का अहित किया है। 1980 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जेन्डर असमानता के लंबे इतिहास को पहचाना और इसका जिक्र करते हुए कहा है– "gender inequality is a cumulative distortion of the past."

स्त्रियों के उपयुक्त व्यवहार की भारतीय विचार की जड़े 200 ई. पूर्व में मनु द्वारा निर्धारित नियमों में ढूँढा जा सकता है।

अस्वदया: स्त्रिय: कार्या: पुरूषै: स्वैर दिवा–निशमू।
विषयेषु च सज्ज्न्त्या: संस्थाप्या आत्म्नो 0शे।।

1 x 2. Day and night woman must be kept in dependence by the males (of) their (families) and if they attach themselves to sensual enjoyment they must be kept under one's contral.

पिते रक्शति कऊँआरेम्ता रक्षति यौगने। रक्षान्ति स्चिरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र अहति।

1 x 3. Her fahter protects (her) in childhood, her husband protects (her) in youth, and her sons protect (her) in old age, a woman is never fit for independence.

कुछ ज्ञानी यह धारणा रखते हैं कि पुराने समय में स्त्रियों को समान अधिकार व सम्मान प्राप्त थे। हाँलाकि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट स्मृति के साथ तथा अन्य संस्कृति के शासकों के आने के साथ हुआ। स्त्रियों को एक वस्तु की तरह समझना शायद बहुत बाद में हुआ। भारतीय स्त्रियों की स्थिति और कमजोर तथा निम्नतम हुआ जब कई समुदायों में सती प्रथा, बालविवाह, दहेज प्रथा, और विधवा विवाह पर प्रतिबंध सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गया। परदा प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। देवदासी या मंदिर की स्त्री का यौनशोषण शुरू हुआ। बहुविवाह प्रथा का चलन बहुत बड़े स्तर पर प्रारम्भ हुआ इसे एक समय पुरूषों का प्रतिष्ठा प्रतीक समझा जाता था। कुछ सुधारात्मक आंदोलन जैसे जैनवाद में स्त्रियों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल किया जाना। इसके बावजूद स्त्रियों को अधिकतर समय नियंत्रण और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। ऐसा समझा जाता है कि बाल विवाह प्रथा लगभग छठी शताब्दी में प्रारम्भ हुआ।

शिक्षा विकास और वैधानिक नियमों के बावजूद आज भी महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है। यौन शोषण, मानव तस्करी दहेज, प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, अपहरण, छेड़खानी, बलात्कार, तेजाब से जलाना, लिंग विकृतिकरण, बालिका भ्रूण हत्या, बालिकाओ की हत्या बूढ़ी महिलाओं की उपेक्षा आज भी लगातार जारी है।

प्रगति जाँच-2

1. निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है बताइये। यदि असत्य है तो कथन को सही करिये।
   (i) पुत्र की चाहत रखना स्त्रियों के विरूद्ध पक्षपात को प्रदर्शित करता है।
   (ii) जेन्डर समानता को बढ़ावा देने में मातापिता की कोई भूमिका नहीं है।
   (iii) जेन्डर समानता समाज की रचना करने के लिए अध्यापक सक्रिय रूप से भूमिका निभा सकता है।
   (iv) दहेज प्रथा को रोकने के लिए तथा उसके विरूद्ध लड़ने के लिए भारत में PNDT Act की घोषणा की गई।
   (v) भारतीय संविधान महिलाओं और पुरूषों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखता है।
   (vi) प्रति हजार लड़को के अनुपात में लड़कियों की संख्या हमारे देश में कम हो रही है।
   (vii) महिलाओं के अधीनीकरण के लिए मुख्यत: जैविक कारक जिम्मेदार है।
   (viii) कक्षाकक्ष संचालन में सभी अध्यापक जेन्डर संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते है।
2. निम्नांकित में से कौन सा कथन जेन्डर भेदभाव या जेन्डर पक्षपात का उदाहरण है।
   (i) एक अध्यापक लड़कियों को एक विशेष प्रकार के स्कूल कार्य नहीं देता है।
   (ii) उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी लड़कियों की फीस माफ और छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना।
   (iii) जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में महिला उम्मीदवार के लिए सीट आरक्षित करना।
   (iv) यदि एक महिला अपनी शिकायत लेकर थाना जाती है तो पुलिस उसकी शिकायत दर्ज नहीं करती है।
   (v) बसों में स्त्रियों से छेड़खानी।
   (vi) सरकारी अस्पताल में स्त्री रोगी की जाँच के लिए अलग कक्षा का प्रावधान।
   (vii) स्त्रियों को मातृत्व अवकाश व बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश प्रदान करना।

टिप्पणी

(viii) छेड़खानी से पीड़ित स्त्री या लड़की को उसके साथ हुए हादसे की जानकारी किसी को न देने के लिए कहना।

3. निम्नांकित मे से सबसे उपयुक्त स्तर का चुनाव करें।

(1) महिलाएँ स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं है। यह कथन है।

(अ) रामायण (ब) मनु स्मृति (स) महाभारत (द) उपनिषद

(2) भारत में निम्नांकित में से एक अवैध नहीं है।

(अ) सती होना या इसको बढ़ावा देना

(ब) दहेज लेना व देना

(स) स्त्रियों को स्त्री खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधायें देना

(द) कार्यस्थल पर यौन शोषण करना

(3) निम्नांकित में से जेन्डर भेदभाव का एक उदाहरण है।

(अ) बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर माता तथा पिता दोनों का नाम अंकित करना

(ब) लड़कियों को अपारंपरिक कोर्स की पढ़ाई करने के लिए उत्साहित करना

(स) स्त्रियों की निजता का सम्मान करें।

(द) एक ही प्रकार के कार्य करने के बावजूद पुरूषों को महिलाओं से अधिक वेतन देना।

11.4 लैंगिक के स्थिति संकेतक

पुरूषों और स्त्रियों के बीच की असमानता को समझने के लिए हमें पुरूषों और स्त्रियों के स्तर को जानने की आवश्यकता है। क्या स्त्री और पुरूष को समान अवसर, समान अधिकार और बराबर का सम्मान मिलता है? भारत में क्या स्थिति है? यदि जेन्डर असमानता है तो उसके बाद सूचक है शिक्षा स्वास्थ्य जमीन जायदाद का स्वामित्व क्यों में भागीदारी विवाह के लिए आयु, महिलाओं के विरूद्ध अपराध आदि हमारे समाज में पुरूषों और स्त्रियों की दशा का वर्णन करता है।

आइये ऐसे ही कुछ स्तर सूचकों के बारे में संक्षिप्त रूप से अध्ययन करते है।

11.4.1 लिंग अनुपात

समाज में स्त्रियों की दशा का एक महत्वपूर्ण व संवेदनशील सूचक लिंग अनुपात है। प्रत्येक 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। किसी भी समाज में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या भी 1000 होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में

आकृति 6

लिंग अनुपात लगातार कम होता जा रहा है। यह स्थिति शहरी इलाको में और भी अधिक खतरनाक है। एक अन्य महत्वपूर्ण विचार शिशु लिंग अनुपात है। यह 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के मध्य लिंग अनुपात है। United Nations Children's Fund के आकलन के अनुसार भारत के जनसंख्या में से लगभग 500 लाख लड़कियाँ और स्त्रियाँ लापता है। इसका कारण या तो बालिका भ्रूण हत्या या उचित देखभाल के अभाव के कारण बालिकाओं का उच्च मृत्युदर है। 1901 से 2011 के जनसंख्या रिपोर्ट में लिंग अनुपात में लगातार गिरावट का मुद्दा सामने आया। शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात में गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक है। 2011 जनसंख्या के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात 940 है और बाल लिंग अनुपात 914 है। इस प्रकार का अस्वस्थ्य प्रथा लगातार जारी है। हमे अपना भविष्य सुदृढ़ करना है तो हमे हर हाल में बालिकाओं को अवश्य बचाना चाहिए।

11.4.2 शिक्षा

परिवार और समाज में स्त्रियों की दशा का सीधा संबंध शिक्षा से है। जेन्डर समानता और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक मूलाधार सूचक है। बालिका साक्षरता का स्तर, साक्षरता स्तर में जेन्डर, असमानता, प्रवेश का स्तर और प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर ये सभी प्रासंगिक सूचक है। उच्च शिक्षा स्तर, उच्च आत्मसम्मान, उच्च आय क्षमता, अच्छा स्वास्थ्य और अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना सुनिश्चित करता है।

स्त्रियों की मुक्ति में शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व होने के बावजूद भी शैक्षणिक गुणवत्ता अभी भी पहुँच से दूर है। साक्षरता दर में बहुत बड़ा जेन्डर अंतराल है। विभिन्न स्तरो पर लड़कियाँ विद्यालय छोड़ती हैं। लगभग 2450 लाख भारतीय स्त्रियाँ लिखने और पढ़ने की

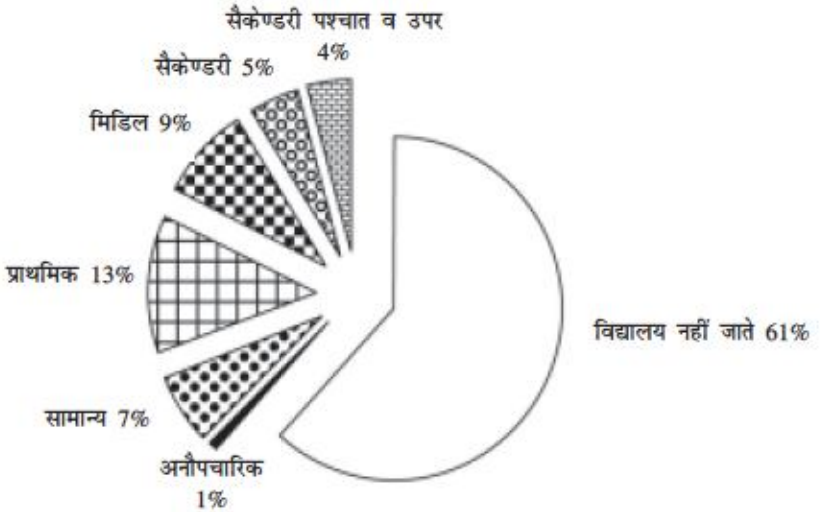

आकृति 7- भारत में स्त्रियों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ (स्त्रोत G01, 2001)

टिप्पणी

सुविधा से वंचित है। सन 2000 में वयस्क साक्षरता दर 15 वर्ष व इससे ऊपर की लड़कियों के लिए 46.41% और 69% पुरूष के लिए है। आपके विचार से लड़कियों की कम साक्षरता दर के क्या कारण है? क्या आपके आसपास की लड़कियाँ विद्यालय जा रही है? यदि नहीं तो इसके संभावित कारण क्या हो सकते है? पता कीजिये। साक्षरता दर केवल एक सूचक है। कुछ और सूचक है जिसमें प्रवेश की दर शामिल है, विद्यालय छोड़ने की दर व विभिन्न ग्रेड स्तर पर लड़कियों की संख्या भी शामिल है। इन क्षेत्रों में लड़कियों की दशा का पता लगाइयें।

आकृति 7 में भारतीय स्त्रियों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ दिखाया गया है। जैसेजैसे शैक्षणिक स्तर पर उपर जाते हैं तो स्त्रियों की संख्या कम होती जाती है। कई राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आपके राज्य में क्या स्थिति है? इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है?

11.4.3 स्वास्थ्य

सभी स्त्रियों व पुरूष को स्वस्थ और सुरक्षित रहने का अधिकार है। हाँलाकि आँकड़े बताते है कि स्वास्थ्य दशा में भी जेन्डर अंतराल विद्यमान है, स्वास्थ्य सुविधाओं व स्वास्थ्य परिणाम में जेन्डर भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है। नवजात बालिकाओं की मृत्युदर सभी आयु वर्ग में सब से अधिक है।

नवजात मृत्युदर (IMR) की परिभाषा प्रत्येक 1000 बालिकाओं पर जन्म के प्रथम वर्ष के भीतर संभावित बालिकाओं की संख्या जो जीवित नहीं बच पाती है के रूप में किया गया है। बालकों का जैविक और आनुवंशिक कारणों से मृत्यु होने की ज्यादा संभावना बालिकाओं की अपेक्षा अधिक है। हाँलाकि भारत में नवजात बालिकाओं की मृत्युदर बालकों की मृत्युदर से अधिक है। यह मृत्युदर पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

भारत में स्त्रियों की औसत पौष्टिक ग्रहणशीलता लगभग 1400 कैलोरी प्रतिदिन है। जबकि आवश्यक जरूरत लगभग 2200 कैलोरी है। कई लड़कियाँ और स्त्रियाँ खून की कमी, पौष्टिकता का अभाव, और कम वजन से ग्रसित है।

लड़कियों की शादी की न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष है। वैधानिक नियमों के बावजूद भारत में कई लड़कियों को 18 वर्ष की आयु पूरा हाने से पूर्व ही शादी कर देते है। यह समस्या म. प्र. राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक प्रचलित है। जल्दी विवाह करने से जल्दी गर्भाधारण बचपन का विनाश और शिक्षा से वंचित करना है।

कम उम्र में गर्भधारण करने से कम वजन के बच्चे पैदा हो सकता है। या मृत बच्चा हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, यह उन माताओं के साथ अधिक हो सकता है जो शारीरिक कमजोरी व अपौष्टिकता से ग्रसित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आकलन के अनुसार सन 2008 में लड़कियों की विवाह का राष्ट्रीय औसत आयु 18.4 वर्ष था जबकि 2001 में यह औसत आयु बढ़कर 20.6 वर्ष हो गया। यह एक स्वागत योग्य प्रवृत्ति है।

भारत में लगभग 38% स्त्रियाँ HIV से ग्रसित है। हाँलाकि AIDS संबंधी इलाज करने वाले संस्थान में केवल 25% बिस्तर स्त्रियों के लिए उपलब्ध है। अन्य महिलाओं को उपेक्षित कर दिया जाता है। लगभग 12% भारतीय स्त्रियाँ प्रजनन संबंधी बीमारियों से ग्रसित है। लगभग 300 स्त्रियाँ गर्भ व प्रसव संबंधी कारणों से प्रतिदिन मृत्यु का शिकार होती है। प्रति 100000 जीवित जन्म पर प्रतिवर्ष मातृ मृत्युदर घट रही है परन्तु फिर भी यह एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है।

कुछ अन्य स्वास्थ्य सूचक है मातृ मृत्युदर प्रजननदर और औसत जीवन वर्ष है। इन मापदंडो पर स्त्रियों की दशा जानने का प्रयास करें।

11.4.4 कार्यदल में भागीदारी

स्त्रियों और पुरूषों की आर्थिक स्थिति, प्रतिष्ठा, ताकत के निर्धारण के लिए कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यदल भागीदारी में कार्य करने योग्य व्यक्तियों या कार्य की तलाश में प्रयासरत युवाएँ शामिल है। कार्यदल में भागीदारी महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह आर्थिक वृद्धि क्षमता को प्रभावित करता है। जनसंख्या, भागीदारी और उत्पादकता ऐसे कारक है जो आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करता है। महिलाये जनसंख्या के 50% भाग है। हालाँकि श्रमदल और उत्पादकता में भागीदारी अत्यंत कम है।

कार्यस्थल पर जेन्डर असमानता देखा जा सकता है। समाज में जेन्डर असमानता की उपस्थिति का यह भी एक कारक होता है। यह स्त्रियों की दशा को प्रभावित करता है। कार्य में स्त्रियों की भागीदारी से संबंधित आँकड़े बताते है कि कार्यदल में स्त्रियों की भागीदारी की दर बहुत कम है। पिछले तीन दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 15% महिलाये कार्यदल का हिस्सा बने हुए है ये आँकड़े आगे बढ़ नहीं रहे है। ग्रामीण स्त्रियों की भागीदारी शहरी स्त्रियों के मुकाबले में तीन गुना ज्यादा है। स्त्रियों की कार्यदल में भागीदारी पिछले कुछ वर्षो में लगातार घट रही है। ये एक चिंता का विषय है।

अधिकांश स्त्रियाँ असंगठित क्षेत्रों में जैसे, कृषि में, दैनिक मजदूर के रूप में, भवन सड़क निर्माण के क्षेत्र में मजदूरी करते है या कम वेतन वाले नौकरी कर रहे है। अधिकतर स्त्रियाँ बिना वेतन के कार्य कर रही है। एक आकलन के अनुसार लगभग दो तिहाई स्त्रियाँ दैनिक मजदूरी करती है। हालाँकि आर्थिक वृद्धि में उनके योगदान को पहचाना नहीं जाता है। ऐसा क्यो है? क्या स्त्रियाँ जो करती है वह कार्य नहीं है?

इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है वेतन में समानता। वेतन समानता का अर्थ है समान कार्य के लिए समान वेतन देना। पिछले 30 वर्षो में स्त्रियों की वेतन संबंधी समानता में कुछ उन्नति हुई है परन्तु अभी भी उनको पूरा अधिकार नहीं मिला है, आज भी पुरूषों को स्त्रियों से अधिक वेतन समान कार्य के लिए दिया जाता है। एक ही प्रकार के कार्य करने के बावजूद भी स्त्रियो और पुरूषों के कार्य को अलग-अलग महत्व दिया जाता है। परंपरागत रूप से स्त्रियों

टिप्पणी

का कार्य है। सहायक और सहयोगी कार्य इन कार्यों को पुरूषों और स्त्रियों के वेतन में मिलता है। जो स्त्रियाँ कम वेतन वाले कार्य करते है उनके पास सौदा शक्ति कम होता है। अधिकतर स्त्रियाँ पुरूषों की तरह फुलटाइम जाब न करके पार्ट-टाइम जाब करती है या परिवार के लिए अपने कार्य से समय निकालती है। इससे उनके वेतन तथा पदोन्नति के अवसर प्रभावित होते है। असंगठित क्षेत्रों में वेतन अंतराल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्त्रियों के नाम पर शायद ही कोई अचल संपत्ति हो। यदि होगा भी तो उन पर उनका बहुत ही कम नियंत्रण होता है। कार्यरत स्त्रियों के पास भी पुरूषों के मुकाबले में काफी कम संपत्ति है। इससे उनकी दशा पर प्रभाव पड़ता है।

11.4.5 अत्याचार और नृशंसता

अत्याचार और नृशंसता समाज में स्त्रियों की दशा का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यद्यपि स्त्रियाँ किसी भी आम अपराध की शिकार हो सकती है जैसे धोखाधड़ी, लूटना छिनना चोरी आदि। परन्तु ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं को ही लक्ष्य बनाकर किया गया हो ऐसे अपराध को स्त्रियों के विरूद्ध अपराध कहा जाता है। बालिका भ्रूणहत्या, मर्डर, बालयौन शोषण, लड़कियों से छेड़छाड़, दहेज, बाल विवाह, बलात्कार, वंचित रखना, स्त्री तस्करी, नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा यौन शोषण, जननांग विकृतीकरण वेश्यावृत्ति में धकेलना जबरदस्ती गर्भपात कराना, अपहरण, अश्लील प्रदर्शन, तंग करना, घरेलू हिंसा आदि कुछ ऐसे अपराध है जिसे स्त्रियों के विरूद्ध किया जाता है। National Crime Record Bureau के 2005 के आँकड़ों के अनुसार हर 29 वे मिनट में एक बलात्कार की घटना घटती है, हर 15 मिनट में महिलाओं से छेड़खानी होती है, हर 53 मिनट में यौन हिंसा केस सामने आता है, हर 14 मिनट में एक स्त्री का मर्डर होता है, हर 9 मिनट में नृशंसता महिला के विरूद्ध होता है तथा हर 77 मिनट में दहेज प्रताड़ना से एक महिला की मृत्यु होती है। और अधिक जानकारी आप NCRB के website पर देख सकते है।

घरेलू हिंसा और घर के चारदीवारी के भीतर होने वाली हिंसा लगातार बढ़ रही है और ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है तथा यह जेन्डर भेदभाव का सूचक है। उच्च शिक्षा, धन और संपत्ति होने पर घरेलू हिंसा को कम करता है। सरकार ने 2005 में एक कानूनी नियम महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा रोकने के लिए लागू किया।

एक पुरानी कहावत है कि समाज में स्त्रियों की दशा से सभ्यता की माप होती है। यद्यपि हम देखते है हमारी संस्कृति और समाज के द्वारा निर्मित बेड़ियों में महिलाये जकड़ी हुई है। आकृति 8 में सामाजिक बंधनों के दुष्चक्र में फँसी स्त्रियों को चित्रित किया गया है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमे कई विकल्प तलाशने होंगे ताकि स्त्रियों और पुरूषों दोनों के लिए न्यायसंगत समाज की रचना की जा सके।

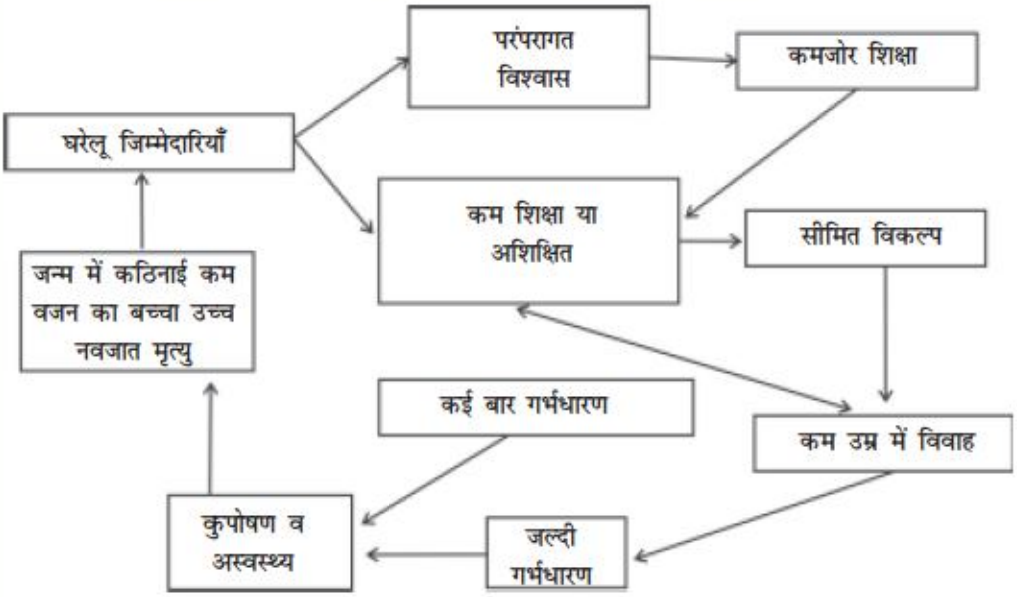

आकृति 8 संस्कृति समाज के दुष्चक्र में फँसी स्त्रियों की दशा

प्रगति जाँच-3

निम्नांकित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिये।

1. निम्न में से कौन सा समाज में स्त्रियों की दशा का सूचक नहीं है।
   (अ) संपति पर अधिकार (ब) शिक्षा
   (स) मातृभाषा का ज्ञान (द) लिंग अनुपात
2. लिंग अनुपात को परिभाषित किया जाता है
   (अ) प्रत्येक 1000 बालकों के लिए बालिकाओं की संख्या
   (ब) प्रत्येक 10000 बालिकाओं के लिए बालको की संख्या
   (स) प्रत्येक 10000 बालकों के लिए बालिकाओ की संख्या
   (द) प्रत्येक 1000 बालिकाओ के लिए बालकों की संख्या
3. निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है
   (अ) भारत के विकसित राज्यों में भी लिंग अनुपात घट रहा है
   (ब) पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की शैक्षणिक स्तर थोड़ा उच्च है।
   (स) उच्च वेतन वाले प्रोफेशन में महिलाओं की संख्या पुरूषों की अपेक्षा अधिक है।
   (द) कम उम्र में बालिकाओ का विवाह करने से गर्भधारण से उत्पन्न होने वाले कठिनाइयों से बचा जा सकता है।

टिप्पणी

4. हमारे समाज में महिलाओं को उपेक्षित करना संबंधित है-

   (अ) अनुभव की कमी

   (ब) पूर्वाग्रह

   (स) शसक्तहीन

   (द) उपरोक्त सभी

5. महिलाओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।

   (अ) निम्न शिक्षा स्तर उनके विकल्प को कम करता है।

   (ब) घरेलू जिम्मेदारियों और परंपरागत विश्वास के कारण विद्यालयी शिक्षा से वंचित हो जाती है।

   (स) कम उम्र में विवाह करने से जल्दी गर्भधारण और कमजोर स्वास्थ्य होता है।

   (द) उपरोक्त सभी कथन सत्य है।

6. निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है।

   (अ) उच्च शिक्षा प्राप्त महिलायें सुखद जीवन निर्वाह नहीं करती है।

   (ब) बेरोजगार महिलायें भी देश के आर्थिक विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देती है।

   (द) हमारे देश की आर्थिक उन्नति के लिए जेन्डर विभाजित कार्य अच्छा है।

11.4.6 जेन्डर भेदभाव पर विजय प्राप्त करना

जेन्डर भेदभाव पूर्वाग्रह को सुदृढ़ करता है तथा अनुचित और असमान समाज को बढ़ावा देता है। हमे इस असमानता को दूर करना होगा क्योंकि यह अनुचित और गलत है। जेन्डर भेदभाव एक व्यक्ति (लड़किया और महिलायें) का सम्मान उनकी इच्छाओं, योग्यताओं शक्ति के अनुसार नहीं करता है। इसके विपरीत यह व्यक्ति देश के विकास को रोकता है समाज के सतत विकास व उद्‌भव को रोकता है।

जेन्डर समानता आर्थिक व मानव के विकास का केन्द्र है। जब स्त्रियों और पुरूषों को समान नजर से देखा जाता है तब आर्थिक विकास तेज होता है, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। जेन्डर समानता एक महत्वपूर्ण मानव धिकार है। जेन्डर असमानता समाज की उन्नति का बाधक है क्योंकि यह जनसंख्या के आधे लोगों के मिलने वाले अवसर को सीमित करता है। मानव संख्या के आधे लोगों के विरूद्ध भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण रखने से और उनको सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से दूर रखने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके है। यदि महिलाओं को उनकी शक्तियों को पूर्ण अभिव्यक्ति करने के लिए रोकते है तो यह शक्ति पूरे समाज के विकास के लिए निरर्थक साबित होता है। यदि एक प्रकार के असमानता को आप

न्यायसंगत ठहराते है तो दूसरा भी न्यायपूर्ण होगा अत: सभी प्रकार के असमानता को मिटाने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। जेन्डर समानता से दोनों स्त्रियों और पुरूषों को विभिन्न प्रकार के शोषण दबाव और रूढ़िगत मान्यताओं से मुक्त करता है और बेहतर सामाजिक वर्ग का निर्माण करता है। हमें जेन्डर पक्षपात, से मुक्त शिक्षा और जेन्डर संवेदनशीलता व जेन्डर ज्ञान को शैक्षिणिक तंत्र से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।

11.4.7 कक्षाकक्ष में जेन्डर भेदभाव:-

शिक्षा, जेन्डर संबंधो व जेन्डर शक्ति को पुन: परिभाषित करता है। इससे सामाजिक परिवर्तन ला सकते है। यद्यपि विद्यालय अध्यापक ओर पाठ्यचर्या लड़के और लड़कियों के बीच असमानता और पक्षपात को बरकरार रखता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि

(i) लड़के अध्यापको का ध्यानाकर्षण होते है।

(ii) अध्यापक लड़कों की तारीफ अधिक करते है।

(iii) लड़के शिक्षा संबंधी सहायता अधिक प्राप्त करते है।

(iv) कक्षा में चर्चा के दौरान लड़को के विचार व आइडिया को अधिक महत्व दिया जाता है।

(v) लड़कों को चर्चा करने और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करने का अधिक अवसर प्राप्त होता है।

(vi) लड़कियों को जेन्डर अनुरूप भूमिका से हटकर कार्य करने पर अध्यापक द्वारा आलोचना करना

(vii) अध्यापक के द्वारा लड़कियों से निम्न शैक्षणिक उपलब्धि की आशा करना

(viii) पाठ्यक्रम में जेन्डर भेदभाव को संदेह की दृष्टि से देखे बिना पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को पढ़ाना व सीखाना

(ix) लड़को को पक्षपातपूर्ण ढंग से शिक्षण सहायक सामग्री को अध्यापक द्वारा देना।

(x) लड़कियों की जरूरतों के प्रति अध्यापकों/अध्यापिकाओं का असंवेदशील होना

(xi) कक्षा के भीतर व बाहर अध्यापकों द्वारा अभद्र व लैंगिक शब्द का इस्तेमाल करना।

भेदभाव असमानता, पक्षपात बच्चों के विकास और शिक्षा पर अत्यन्त दुष्प्रभाव डालता है। ये कटुता वैमनस्यता, अलगाव विद्यालय में खराब प्रदर्शन, असफलता और हताशा को बढ़ावा देता है।

समता और समानता

जेन्डर समता स्त्रियों और पुरूषों के प्रति निष्पक्ष होने की प्रक्रिया है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक व सामाजिक हानियों के लिए क्षतिपूर्ति हेतु माप संस्तर की व्यवस्था अवश्य करना चाहिए तथा एक समान अधिकार क्षेत्र की रचना करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना चाहिए। समता समानता और न्यायोचित परिणाम लाने का एक तरीका है।

टिप्पणी

11.4.8 जेन्डर निष्पक्ष समाज की रचना में अध्यापकों की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्त्रियों की दशा में मूलभूत परिवर्तन के लिए शिक्षा का उपयोग एक एजेन्ट के रूप में किया जायेगा। बीते हुए वर्षो में स्त्रियों के विरूद्ध एकत्रित विकृतियों को समाप्त करने के लिए स्त्रियों के लिए एक सुविचारित लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र स्त्रियों की सशक्तिकरण के लिए सकरात्मक रूप से हस्तक्षेप नीति अपनायेगा। यह पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तकों की नई ढंग से प्रस्तुत करके अध्यापको को प्रशिक्षित करके प्रशासकों, निर्णयकर्त्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके तथा शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके नये मूल्यों के विकास को पोषित करेगा।

उपरोक्त के संदर्भ में कुछ प्रश्न उभरेगा। क्या हमारे शैक्षणिक संस्थान परिवर्तन के लिए तैयार है? क्या हमारे शैक्षणिक संस्थान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए तैयार है? क्या शैक्षणिक संस्थाये अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है? क्या उनके पास जेन्डर अनुक्रियाशील वातावरण बनाने के लिए तथा अधिगम अनुभव को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक संसाध न है? समस्या यह है कि अध्यापक स्वयं जेन्डर भेदभाव और जेन्डर असवंदनशीलता के चुंगल में फँसे हुए है। इन सब स्थिति को जेन्डर संवदेनशील अध्यापक की निष्ठा तथा विद्यालयो के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है। अध्यापक व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से एक समान अधिकार प्राप्त समाज में लाभप्रद व स्वस्थ रूप से स्त्रियों व पुरूषों के रहने के लिए ज्ञान, कौशल व्यवहार और मूल्यों के विकास करने के लिए वातावरण तैयार कर सकते है। इसके लिए जेन्डर संवेदनशीलता आवश्यक है।

विद्यार्थियों की जेन्डर भूमिका में अध्यापकों का प्रभाव उनके शैक्षणिक परिणाम तथा समकालीन समाज को गहन रूप से प्रभावित करती है। शैक्षणिक प्रक्रिया दृश्य परिवर्तनकारी होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी को वर्तमान में प्रचलित जेन्डर संबंधों तथा पुरूषत्व व स्त्रीत्व की धारणा को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने के लिए तैयार करने में सहायता मिले।

विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जहाँ लड़के और लड़कियों को नये संबंधों और नई पहचान बनाने के लिए नये दृष्टिकोण, प्रश्न करने के लिए वाद विवाद के लिए अवसर प्राप्त हो। इसलिए अध्यापक की भूमिका अत्यंत जिम्मेदारी पूर्ण हो जाता है। अध्यापक कक्षाकक्ष के भीतर व बाहर लड़के और लड़कियों के मध्य सामाजिक संबंधों को न्यायोचित रूप देने में विशिष्ट भूमिक निभा सकता है। वे महत्वपूर्ण ढंग से जेन्डर संबंध

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है यह दिन समान अधिकार के लिए तथा उनके विकास के अवसर के लिए महिलाओं के संघर्ष को निरूपित करता है। यह वह दिन है जब स्त्रियों और पुरूषों को जेन्डर समान समाज की रचना करने की उनके जिम्मेदारियों के प्रति उन्हें सचेत करता है। जर्मनी की एक साम्यवादी नेता clara zet kin IWD इसे मनाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। क्या आप अपने विद्यालय में इस दिन कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते है?

टिप्पणी

ों के पुननिर्माण को प्रभावित करते है और जेन्डर समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर सकते है। यह सत्य है कि अध्यापक समाज में व्याप्त जेन्डर असमानता को समाप्त करता है। वे जेन्डर भेदभाव को रोकने के लिए अध्यापक का प्रयास एक महत्वपूर्ण परिणाम प्रदान कर सकते हैं। वे अपने कक्षाकक्ष में जेन्डर असमानता को मिटाने के लिए सचेत रूप से प्रयास कर सकते हैं। वे सचेत होकर पक्षपात असमानता को अपने अध्यापन विधि, कक्षा प्रबंधन संसाध न वितरण, श्रम विभाजन में उचित परिवर्तन ला कर कर सकता है। निम्नांकित बातों को ध्यान में रखकर अध्यापक को जेन्डर समानता व जेन्डर निष्पक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।

- कक्षा के भीतर व बाहर लड़के व लड़कियों से समान अधिकार प्राप्त विद्यार्थी के रूप में अध्यापक को उन से व्यवहार करना चाहिए।
- वे स्वयं अपने और बच्चों के व्यवहार को लगातार अवलोकन करे ताकि जेन्डर भेदभाव तथा जेन्डर पक्षपात पूर्ण व्यवहार से बचा सके।
- लिंगवादी भाषाओं का प्रयोग करने से बचे। अध्यापक जेन्डर निष्पक्ष भाषा का प्रयोग अवश्य करे तथा विद्यार्थियों को भी ऐसी भाषा का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करें।
- अध्यापक को लड़के व लड़कियों को सामूहिक कार्य में भागीदारी को बढ़ावा देने तथा बैठने की व्यवस्था में भेदभाव करने से बचना चाहिए।
- अध्यापक को कार्य विभाजन में जेन्डर भेदभाव न करें उदाहरण के लिए सफाई के लिए लड़कियों को नियुक्त करना तथा लड़कों को मरम्मत करने संबंधी कार्य देना। प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए मिश्रित दल तैयार किया जा सकता है।
- अध्यापक को चाहिए कि वे लड़के और लड़कियों से समान अपेक्षा करना चाहिए। लड़कों से कठिन और अधिक शारीरिक श्रम की अपेक्षा न करे तथा लड़कियों से आसान और कोमल कार्य करने की आशा न करें। अध्यापक सिर्फ लड़को को ही ऐसा खेल खेलने न दे जिसमें अधिक शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता हो इसमें लड़कियों को भी शामिल करे। अध्यापक इसकी चर्चा कक्षा में करें और यह स्पष्ट रूप से बताये कि जेन्डर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।
- अध्यापक पाठ्यक्रम की, जेन्डर संवेदन होकर और जेन्डर न्यायोचित ढंग से, चर्चा करें। अध्यापक अपने आपको लड़के और लड़कियों के समक्ष जेन्डर निष्पक्ष होकर व्यवहार करने के आदर्श प्रस्तुत करें।
- उपलब्धि में जेन्डर अंतर को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जेन्डर की धारणा को चुनौती देकर यह कार्य दिया जा सकता है। इसके लिए न्यायोचित कदम उठाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

टिप्पणी

- जेन्डर भेदभाव व पक्षपात की चर्चा विद्यार्थियों में अवश्य करें तथा इसको मिटाने के लिए लड़के और लड़कियों के प्रति रूढिबद्ध धारणा को बदलने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना चाहिए।
- लड़कियों को कक्षा-कक्ष क्रियाकलापो में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें उनकी झिझक दूर करें। उनकी गलतियों तथा अस्पष्ट उत्तर देने के लिए अनावश्यक रूप से आलोचना न करें।
- नेतृत्व क्षमता और विद्यार्थियों की अन्य जिम्मेदारियाँ निभाने से सहपाठियों और अध्यापकों से प्रशंसा व सम्मान मिलता है, तथा इससे आत्मसम्मान, सक्षम होने की भावना उत्पन्न होता है। कक्षा क्रियाकलापों को इस प्रकार आयोजित करें जिससे लड़कियों का आत्मसम्मान समान रूप से सुदृढ़ हो सकें।
- कई लड़कियों विद्यालय के सभी क्षेत्रों में जाने से हिचकिचाती है या उन्हें वहाँ जाने की इजाजत नहीं होती या सभी अनुदेशात्मक व्यकरणों का इस्तेमाल वे नहीं कर सकती है। स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने में पाबंदी लगाने व संसाधनो से दूर रखना ताकत, नियंत्रण और अपेक्षाओं के बारे में एक सख्त सबक समान अधिकार के लिए सिखाता है। अध्यापकों की यह जिम्मेदारी है कि विद्यालय के सभी क्रियाकलापों में लड़के व लड़कियों की समान भूमिका सुनिश्चित करें। विद्यालय के संसाधनों में लड़के व लड़कियों का समान अधिकार है।
- आज की लड़कियाँ और कल की महिलाओं को चाहिए कि वे लड़कों की तरह कई प्रकार के नौकरियों के लिए अपने आपको तैयार करें। अध्यापक को लड़कियों के कैरियर विकास हेतु उचित भूमिका निभाना चाहिए।
- लड़को और अध्यापकों द्वारा लड़कियों का मौखिक और शारीरिक प्रताड़ना विश्वस्तरीय है। लिंगवादी टिप्पणी हिंसा और धमकी लड़कियों के विकास में बाधा बनते है। वे इस कारण मुक्त रूप से विद्यालय के क्रियाकलापों में भाग नहीं ले पाती है। अध्यापकों को चाहिए कि वे ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके।
- हमारे देश के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उन्नति में महिलाओं का योगदान और उपलब्धियों को सम्मानजनक स्थान व पहचान दिलाने में अध्यापको की एक विशेष भूमिका है। विश्व महिला दिवस, महिला वैज्ञानिकों और नेताओं का जन्मदिन मनाना आदि लड़कियों और लड़कों के मनमस्तिष्क में एक सकारात्मक और प्रेरणात्मक छवि बनती है।

प्रगति जाँच-4

1. निम्न कुछ शब्द दिये गये है। इनको जेन्डर समावेशी उपयुक्त शब्दों में बदलिये

जेन्डर बहिष्कृत शब्द	जेन्डर समावेशी शब्द
कांग्रेस मेन	
मेनपावर मालिक	
गृहस्वामिनी	
पोस्टमेन	
स्पोर्टमेन	
चेयरमेन	
मेन मेड	
वर्किंग मेन	
सफाई महिला	

2. निम्नांकित प्रश्नों के चार संभावित उत्तर दिये है उनमें से एक उपयुक्त उत्तर चुनिये।

(i) निम्नांकित में से कौन सी स्थिति विद्यालय में जेन्डर पक्षपात और असमानता को बढ़ावा देता है।

(अ) पाठ्यपुस्तक में लड़को व लड़कियों की रूढ़िबद्ध भूमिका

(ब) लड़कियों के विरूद्ध पक्षपातपूर्ण अध्यापन पद्धति

(स) लड़कियों और लड़को के लिए अलग-अलग प्रकार के विद्यालय वर्दी

(द) उपरोक्त सभी

(ii) जेन्डर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन भाषायी पक्षपात से मुक्त है।

(अ) पुरूष जैसे दिखना (ब) स्त्रियोचित कोमबता

(स) लड़कियों की तरह (द) मानव

(iii) अध्यापक द्वारा दिये गये कौन सा एक कथन जेन्डर पक्षपातपूर्ण नहीं है?

(अ) लड़की होकर भी, आप अपने कार्यो में इतना अव्यवस्थित कैसे हो सकती है।

(ब) आखिरकार वह एक लड़का वह इससे बच जायेगा।

(स) लड़को और लड़कियों दोनो को सभी विषयों में, गणित सहित, अच्छा प्रदर्शन करना आवश्यक है।

टिप्पणी

(द) लड़के कक्षा के सभी फर्नीचर को बाहर रखेंगे और लड़कियाँ कमरों की सफाई करेंगी।

3. निम्न कथनों में लिंगवाद की एक तत्व है। इसको पहचानिये और उसे सुधारकर निष्पक्ष कथन बनाइये।

(अ) विद्यालय विकास और मानीटरिंग कमेटी के चेयरमेन ने अभिभावको को संबोधित किया।

(ब) एक वैज्ञानिक प्रकृति के अध्ययन में रूचि रखता है। वह ऐसे नियम की खोज करता है जिससे प्राकृतिक घटनायें संचालित होती है।

(स) प्लास्टिक और सीमेन्ट मेन-मेड वस्तुएँ है।

(द) आदमी खेत पर कार्य करते है और महिलाएँ खाना बनाती है और बच्चों की देखभाल करती है।

11.5 सारांश

लिंग प्रकृतिप्रदत्त है जबकि जेन्डर समाज और संस्कृति द्वारा निर्मित है। जेन्डर भेदभाव से स्त्री व पुरूष दोनों प्रभावित होते है हालाँकि वर्तमान में यह महिलाओं के विरूद्ध अधिक प्रबलकारी है। महिलाओं की दशा को कई सूचको के माध्यम से जाना जा सकता है इसमें शामिल है शिक्षा का स्तर, लिंग अनुपात: मातृत्व मृत्युदर, बालिका शिशु मृत्युदर, कार्यदल में भागीदारी, संपत्ति का स्वामित्व, राजनैतिक भागीदारी और उनके विरूद्ध हिंसा व अपराध। जेन्डर पक्षपात और भेदभाव का इतिहास काफी लम्बा है और आज की स्थिति बीते हुए कल की संकलित विकृतियाँ है। जेनडर भेदभाव के कई रूप हो सकते है और यह सामाजिक संस्थानों द्वारा संचालित होते है। जेन्डर असमानता, व्यक्तियों, परिवारों समाज अर्थव्यवस्था और मानव प्रगति को प्रभावित करता है। जेन्डर असमानता परिवर्तनीय है और इसे बदलना चाहिए। जेन्डर पुर्नसंरचना तथा सामाजिक बदलाव लाने में अध्यापक को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है।

11.6 प्रगति जाँच के उत्तर

प्रगति जाँच-1

1. सत्य/असत्य	2. जेन्डर गुण/जैविक गुण
(अ) असत्य	(अ) जेन्डर गुण
(ब) सत्य	(ब) जैविक गुण
(स) सत्य	(स) जैविक गुण

(द) असत्य	(द) जेन्डर गुण
(इ) सत्य	(इ) जेन्डर गुण
(इ) सत्य	(क) जेन्डर गुण
(ई) असत्य	(ख) जैविक गुण
	(ग) जेन्डर गुण
	(घ) जेन्डर गुण
	(ड.) जेन्डर गुण
	(च) जेन्डर गुण

प्रगति जाँच-2

I सत्य/असत्य

1. सत्य
2. असत्य
3. सत्य
4. असत्य
5. सत्य
6. सत्य
7. असत्य
8. असत्य

II वर्णन कीजिये क्या निम्न जेन्डर भेदभाव का एक उदाहरण है

1. जेन्डर भेदभाव कार्य
2. जेन्डर भेदभाव नहीं है
3. जेन्डर भेदभाव नहीं है
4. जेन्डर भेदभाव कार्य
5. जेन्डर भेदभाव कार्य नहीं है
6. जेन्डर भेदभाव नहीं है
7. जेन्डर भेदभाव नहीं है
8. जेन्डर भेदभाव कार्य

टिप्पणी

III 1- (ब) 2- (स) 3- (द)

प्रगति जाँच-3

1. (स) 2. (अ) 3. (ब) 4. (द) 5. द) 6. (ब)

प्रगति जाँच-4

1. कांग्रेसमेन – कांग्रेस पर्सन
   मेनपावर – मानव शक्ति
   लैंड लार्ड – लैंड होल्डर
   गृहस्वामिनी – गृहनिर्माता
   पोस्टमेन – पोस्ट पर्सन
   स्पोर्ट्समेन – स्पोर्ट्सपर्सन
   चेयरमेन – चेयरपर्सन
   मेनमेड – मानव निर्मित
   वर्किंग मेन – वर्किंग मानव
   सफाई महिला – सफाई दल

2. (i) - द (ii) -द (iii) -स

3. (अ) विद्यालय विकास और मानिटरिंग कमेटी के चेयरपर्सन ने अभिभावकों को संबोधित किया।

   (ब) एक वैज्ञानिक प्रकृति के अध्ययन में रूचि रखता है। वह (He/She) प्राकृतिक घटनाओं को संचालित करने वाले नियम को खोजने का प्रयास करता/करती है।

   (स) प्लास्टिक और सीमेन्ट स्त्री और पुरूष द्वारा निर्मित वस्तुएँ है।

   (द) स्त्री और पुरूष दोनों खेत में कार्य करते है तथा दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते है व खाना बनाते है।

11.7 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Repest of National Focus Croup on Gender issues in Education NCERT, 2005

2. Gender Sensitivity : A training Manual, UNESCO, 2004

3. Girl's Education in the 21st century Gender Equality Empowerment, and Economic Growth, world Bank, 2004

4. UNICEF - Girl's Education (www.unicef.org/girleducation)

5. UNESCO Education for all (http://www.unesco.org/education/efa)]

6. The United Nations Girl's Education initiative (UNGEI) [http://www.ungei.org/]

7. Sarva Shiksha Abhiyan, MHRD, Govt. of India [http://ssa.nic.in/news/girls-education-in-india]

11.8 अन्त्य इकाई अभ्यास

1. लिंग और जेन्डर के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये।

2. अपने कक्षा के लड़के और लड़कियों के बीच जेन्डर अंतर की सूची बनाइये

3. जेन्डर भेदभाव क्या है? दो उदाहरण दीजिये।

4. कम से कम चार सूचको के माध्यम से हमारे समाज में स्त्रियों की दशा का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

5. लड़कियों की शिक्षा का सार्वभौमिकरण के रास्ते में आने वाले मुख्य सामाजिक प्रतिबंध क्या है?

6. अध्यापक के रूप में आपके अनुभव के आधार पर पाँच ऐसे तरीकों की सूची बनाइये जिसमें विद्यालय में जेन्डर समस्यायें उभर कर सामने आती है।

7. कुछ ऐसी स्थितियाँ है जिसके कारण विद्यालय में लड़कियाँ मुक्त रूप से विद्यालय क्रियाकलापों में भाग नहीं ले पाती है। क्या आप ऐसी स्थितियों को लड़कियों के पक्ष में बदल सकते है? आप इसे कैसे करेंगे?

   (अ) विद्यालय ने बच्चों के भ्रमण की व्यवस्था किया है लेकिन कुछ अभिभावक अपनी लड़कियों को भ्रमण पर भेजना नहीं चाहते है

   (ब) एक लड़की को उसके सहपाठी द्वारा तंग किया जा रहा है।

   (स) विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कियों को इनडोर खेल खेलने की इजाजत दी जाती है।

   (द) आपकी कक्षा की कुछ लड़कियाँ गणित में ठीक प्रदर्शन नहीं कर रही है।

   (इ) कक्षा में कुछ लड़के लड़कियों के विरूद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे है।

टिप्पणी

8. आपके राज्य में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं की सूची बनाइयें जो स्त्रियों और लड़कियों के प्रति भेदभावपूर्ण है?

9. आपकी कक्षा में जेन्डर पक्षपात को आप कैसे दूर करेगें वर्णन कीजिये?

प्रोजेक्ट कार्य

1. आपके द्वारा पढ़ाये जाने वाला एक पाठ्यपुस्तक ले यदि उसमें जेन्डर पक्षपात संबंधी चित्र, भाषा, पाठ्यवस्तु हो तो उन्हें पहचानिए। अपने अवलोकन का एक रिपोर्ट तैयार करें।

2. किसी भी दिन का अखबार हो। उसमें जेन्डर पक्षपात संबंधी चित्र, विषयवस्तु भाषा हो तो उसे पहचानिये। यदि आपको इसे बदलने का मौका दिया जाये तो आप भाषा और विषयवस्तु को किस प्रकार बदलेंगे।

3. समाचार पत्रों में छपे आलेखों, चित्रों, जो हमारे समाज में स्त्रियों की दशा को प्रदर्शित करते है, को काटकर अपने स्क्रेच बुक पर चिपकाइये।

4. ऐसे स्लोगन व वाक्य एकत्रित करें जो जेन्डर पक्षपात पर प्रश्नचिन्ह लगाता हो और जेन्डर समानता को बढ़ावा देता हो।

टिप्पणी

इकाई 12 : बालिका सशक्तीकरण

संरचना

12.0 प्रस्तावना

12.1 अधिगम उद्देश्य

12.2 सशक्तीकरण की अवधारणा

12.3 बालिकाओं का सशक्तीकरण

12.3.1 सशक्तीकरण का अर्थ

12.3.2 महिलाओं की सशक्तीकरा का सूचक

12.3.3 बालिकाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता

12.3.4 बालिकाओं के सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका

12.3.5 पारंपरिक व गैर पारंपरिक शिक्षा के लिए सशक्तीकरण

12.4 जीवन कौशलों का विकास

12.4.1 संविधान का आदेश

12.4.2 सरकार के मुद्दे और नीतियां

12.4.3 ग्रामीण बालिकाओं के लिए कार्यक्रम

12.5 महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण में ऐजेन्सियों की भूमिका

12.6 सारांश

12.6.1 सरकार की भूमिका

12.6.2 एनजीओ (NGO)

12.6.3 स्थानीय निकाय समुदाय (SDMC) की भूमिका

12.6.4 बालिकाओं के सशक्तीकरण में अध्यापक तथा विद्यालय की भूमिका

12.7 प्रगति जाँच के उत्तर

12.8 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

12.8 अन्त्य इकाई अभ्यास

12.1 प्रस्तावना

दुनिया की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है, इसके बावजूद भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से वे सबसे बड़ी बहिष्कृत वर्ग है। वे 2/3 कार्य करती है लेकिन पारिश्रमिक का केवल 1/3 हिस्सा ही प्राप्त करती है तथा जमीन जायदाद में केवल 10% मालिकाना हक रखती है। पूर्व के इकाई में हम सीख चुके है कि किस प्रकार हमारे समाज में जेन्डर भेदभाव महिलाओं का दमन व शोषण करती है। परंपरागत भेदभाव तथा जेन्डर भेदभाव के कारण अधिकांश महिलायें गरीबी के अस्वीकार्य परिस्थितियों में जीती है। इसका कारण है आर्थिक अवसर और स्वतंत्रता का अभाव, आर्थिक स्रोत का अभाव, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। विकास और निर्णय प्रक्रिया में उनकी कोई अवाज नहीं है। अत: समाज अवसर और शिक्षा तथा

टिप्पणी

सशक्तीकरण के द्वारा अधिकारों को व्यावहारिक रूप से प्राप्त करने की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इस इकाई में हम सशक्तीकरण की अवधारणा, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण करने में शिक्षा की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन कौशलों के विकास की आवश्यकता तथा लड़कियों व महिलाओं के सशक्तीकरण में सरकार व NGO के पहले की आवश्यकता के बारे में जानेंगे।

12.2 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप सक्षम होंगे:

- सशक्तीकरण का अर्थ बताने में
- सशक्तीकरण के विभिन्न प्रतिमानों को पहचानने में
- बालिकाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता का विश्लेषण करने में
- बालिका सशक्तीकरण में शिक्षा का महत्त्व तथा भूमिका जानने में
- शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों और अन्य पहल के बारे में जानकारी प्राप्त करने में
- ग्रामीण बालिकाओं और महिलाओं के लिए सरकारी, कार्यक्रम की सूचीकरण करने में
- लड़कियों और महिलाओं के सशक्तीकरण में NGO की भूमिका को पहचानने में
- बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में अध्यापक की जिम्मेदारियां और भूमिका को समझने में
- जीवन कौशलों के महत्व को समझने में

12.3 सशक्तीकरण की अवधारणा

आइये सशक्तीकरण की अवधारणा को समझने से पहले रमा के केस स्टडी पर विचार करें

हलियापुरा एक बड़ा गांव है जिसमें विद्यालय, चिकित्सा केंद्र और पंचायत आफिस है। राधा तीन बच्चों की मां है तथा एक अशिक्षित गरीब विधवा है। उसकी पति की मृत्यु के पश्चात उसे जमींदार के खेतों में दैनिक मजदूरी करनी पड़ती है। उसमें इतने कम पैसों में घर को संभालने में कठिनाई महसूस किया। अत: उसने अपने 9 वर्षीय पुत्री रमा को अपने साथ खेत में काम करने के लिए ले आने का निर्णय लिया तथा अपने दो छोटे बेटों सिद्धू (7 वर्ष) और बाबू (4 वर्श) को स्कूल भेजने का निर्णय लिया।

एक सप्ताह के बाद अध्यापिका को इसके बारे में पता चला। जब उन्होंने रमा की स्थिति को जाना तो उसे बहुत बुरा लगा। और रमा के घर जाने का निर्णय लिया। पहले वह महिला संघ के सदस्याओं के पास गयी तथा उनसे रमा की मां को मनाने का अनुरोध किया। सभी राधा के पास पहुँचे तथा रमा को वापस स्कूल भेजने के लिए उसे समझाने का प्रयास किया। एक घंटे तक विस्तृत बातचीत करने के बाद वह शिक्षा के महत्व के बारे में आश्वस्त हुई तथा रमा को स्कूल भेजने के लिए सहमत हुई। इसके बदले में संघ के सदस्यों ने विषम परिस्थितियों में

उसकी सहायता करने तथा विधवा पेन्शन दिलाने का वादा किया। इस प्रकार स्थिति में सुधार हुआ। रमा ने सक्रिय अध्यापिका की सहायता व प्रेरणा से अपनी शिक्षा को जारी रखा। बारह वर्षों की शिक्षा प्राप्ति के बाद रमा एक प्रशिक्षित फार्मेरिस्ट के रूप में हलियापुरा वापस आयी। उसने अपने गांव के लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया तथा स्थानीय बैंक से वित्तीय सहायता लेकर, एक मेडिकल स्टोर खोला। शुभारंभ समारोह के दिन गांव के पंचायत सरपंच ने रमा को बधाई दिया तथा उसे एक सशक्त महिला बताया तथा रमा को गांव की लड़कियों के लिए रोल माडल कहा। राधा बाई ने अपने बेटी पर गर्व महसूस किया।

सरपंच ने रमा को सशक्त महिला क्यों कहा? इसका क्या अर्थ है? आइये सशक्तीकरण शब्द को समझते है।

12.3.1 सशक्तीकरण का अर्थ

सशक्तीकरण शब्द का अर्थ है शक्तिशाली बनाना। सशक्तीकरण की जड़ में ताकत है। ..... ताकत चार अलग-अलग तरीकों से संचालित होता है।

1. शक्ति प्रदर्शन–इसमें व्यक्तियों या समूहों के मध्य संबंधों में अधीनता या प्रभुत्व का समावेश होता है।
2. शक्ति प्रदान–ताकत निर्णय लेने का अधिकार देता है, समस्या समाधान के लिए देता है और सृजनशील और सक्षम हो सकता है।
3. अंतर्निहित शक्ति–यह आत्मविश्वास, स्वज्ञान और स्वाभिमान से संबंधित है।
4. शक्ति युक्त–यह व्यक्तियों को समान उद्देश्य के साथ सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यवस्थित करता है।

दूसरों के ऊपर शासन करने की ताकत के विकल्प के रूप में उपरोक्त वर्णित शक्तियों के प्रकार-शक्ति प्रदान करना, अन्तर्निहित शक्ति और शक्ति मुक्त का विकास किया जा सकता है। दूसरों शब्दों में सशक्तीकरण में सभी प्रकार के शोषण की चुनौती को समावेश करता है। महिला सशक्तीकरण की अवधारणा का विकास सामाजिक ताकत और संसाधनों पर नियंत्रण को, महिलाओं के पक्ष में पुन: वितरित करने की प्रक्रिया के रूप में किया गया है। संसाधनों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक संसाधन जैसे जमीन, पानी और वन, बौद्धिक संपदा जैसे सूचना, ज्ञान, मानव-संसाधन जैसे व्यक्ति, श्रम और कौशलें तथा वित्तीय संसाधनों जैसे रुपये, पैसे, और जमीन जायदाद। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में महिलायें इन संसाधनों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करती है और उन शक्ति तंत्र जो उनको अधीन बनाता है को चुनौती देती है। इस प्रकार यह उनको अधिक ज्ञान की पहुंच के लिए, तथा व्यक्तिगत मामलों में अधिक, स्वायत्तता, तथा घरेलू और राजनीतिक क्षेत्रों में ताकत का बंटवारा करने के योग्य बनाता है। सशक्तीकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो महिलाओं की स्वतंत्रता, चुनाव करने की स्वतंत्रता और जिंदगी की सभी क्षेत्रों में समानता की ओर लक्ष्य करता है। अंतत: इनके साथ महिलाएँ अपने जिंदगी में परिवर्तन लाती है।

इस प्रकार सशक्तीकरण की अवधारणा बहुआयामी है। हम सशक्तीकरण को दो स्तरों पर देख सकते हैं–1. व्यक्तिगत सशक्तीकरण और 2. सामूहिक सशक्तीकरण।

टिप्पणी

व्यक्तिगत सशक्तीकरण में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण शामिल है। सामूहिक सशक्तीकरण में सामूहिक सहमति और क्रियान्वयन शामिल है।

सशक्तीकरण की प्रक्रिया धरातल से शुरू होकर ऊपर की ओर अग्रसर होता है न कि कुछ ऐसा जिसे शीर्षस्थ रणनीति के रूप में बनाया जा सके। महिलायें स्वयं को सशक्त बनाये। सभी बाह्य हस्तक्षेप इस प्रक्रिया में सहायता करता है। सशक्तीकरण को किसी विशिष्ट क्रियाकलापों या अन्त परिणाम के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें एक प्रक्रिया का समावेश होता है जहां महिलायें स्वतंत्र रूप से अपनी रूचि व जरूरतों को दूसरी के दवाब के बगैर विश्लेषण, व विकास कर सके तथा अपनी आवाज उठा सके। धरातल से उच्च स्तरीय सशक्तीकरण की प्रक्रिया में महिलायें स्वयं निर्धारित करती है कि उनकी आवश्यकता क्या है? रमा के केस में शिक्षा ने उसकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया। उसके पास अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने के लिए चुनाव की स्वतंत्रता थी।

12.3.2 महिलाओं की सशक्तीकरण का सूचक

उपरोक्त केस स्टडी में ग्राम सरपंच ने रमा को सशक्त महिला कहा। उसने उसे ऐसा क्यों कहा? क्या उसके ग्राम विकास में योगदान देने की इच्छा शक्ति या उसके संसाधन जुटाने की क्षमता या उसके व्यापार शुरू करने का आत्मविश्वास है? हां ये सब महिलाओं के सशक्तीकरण के सूचक हैं।

नीचे दिये गये चित्र 1 को देखिये यह स्वयं में व्याख्या कर रहा है महिलाओं के सशक्तीकरण के सूचकों को। सशक्तीकरण महिलाओं के आत्म सम्मान, आत्म विश्वास, को बढ़ाता है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। सशक्तीकरण के अन्य सूचक हैं विकास की प्रक्रिया में, घर के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में और राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी, शिक्षा व स्वास्थ्य में अधिक सुविधायें व पहुंच, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी। सशक्तीकरण की प्रक्रिया महिलाओं को उनके वर्तमान स्थितियों को समझने तथा उनकी स्थितियों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के योग्य बनाता है। यह परिस्थितियों का उचितरूप से जवाब देने की क्षमताओं को बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में वे उचित पहचान पाते है और उनके कार्यों का उचित मूल्यांकन होता है।

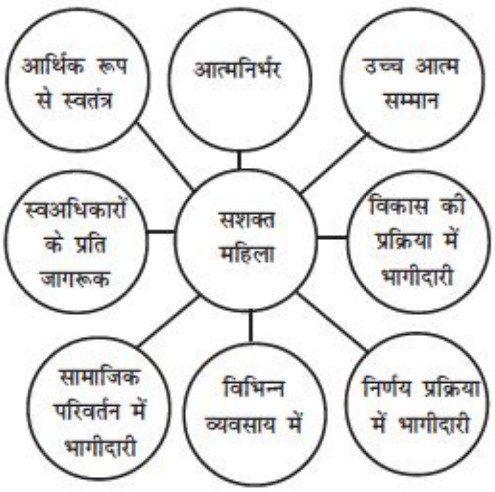

चित्र 1 सशक्त महिला की सूचकें

टिप्पणी

12.3.3 बालिकाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता

उपरोक्त केस स्टडी में किसने जिंदगी की चुनौतियों का प्रभावकारी ढंग से सामना किया है? राधा बाई या रमा? आपके पास नि:संदेह उसका उत्तर है रमा, वह शिक्षित, सशक्त और जिंदगी की चुनौतियों को सामना करने के लिए अधिक सक्षम है।

ज्ञान शक्ति है। परन्तु हमारे पुरुष प्रधान समाज में अधिकांश महिलाओं को, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारणों से, शिक्षा से वंचित किया जात है। उससे रूढ़िबद्ध भूमिका, जैसे माता, पत्नी और पुत्री को निभाने की उम्मीद की जाती है। यहां तक कि कार्यरत महिलायें अध्यापिका, नर्स से अधिक नहीं है। लड़के और लड़कियों का समाजीकरण समाज के नियमों और मापदंडों को बिना प्रश्न किये अनुकरण, करके किये जाता है।

यद्यपि हमारा संविधान जेन्डर समानता को बढ़ावा देता है इसके बावजूद महिलाओं और लड़कियों की दशा निम्नतर है। मुख्य अवरोध शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। पारंपरिक प्रथाओं के बेड़ियों, जो कि लड़कियों के सशक्तीकरण और शक्ति असंतुलन के बारे में प्रश्न करने के रास्ते में आता है, को तोड़ने के लिए लड़कियों को सशक्त बनाने की जरूरत है। शक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसका व्यापार किया जाये, इसको प्राप्त किया जाता है और उपयोग किया जाता है। सशक्तीकरण के द्वारा लड़कियां अपनी परिस्थितियों के ऊपर, जो उनके जीवन को प्रभावित करता है, अधिक नियंत्रण रखती है। ज्ञान और संसाधन तक उनकी पहुंच बढ़ती है। वह अपने व्यक्तिगत मामालें में अधिक स्वायत्तता प्राप्त करती है और पक्षपात पूर्ण प्रथाओं और प्रतिबंधों से मुक्ति पाती है। यह उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता देती है।

विकास के दृष्टिकोण से जब तक 50% बहिष्कृत जनसंख्या के ऊपर ध्यान न दिया जायेगा देश का पूर्णत: विकास संभव नहीं है। अत: जेन्डर समान समाज की लक्ष्य प्राप्ति के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है।

12.3.4 बालिकाओं के सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका

हमने देखा कि किस तरह से शिक्षा के कारण रमा के जीवन में बदलाव आया। पति के मृत्यु के पश्चात राधा बाई अपने तीन बच्चों के जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्षरत थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था तथा शिक्षा के अभाव ने उसकी स्थिति को और अधिक नाजुक बना दिया था।

बिना परिणाम जाने वह अपने पुत्री को विद्यालय जाने से रोक देती है। यह चक्रव्यूह इसी प्रकार चलता रहता है। भारत में स्त्री और पुरुष के लिंग अनुपात में गिरावट, निम्न साक्षरता दार, महिलाओं के विरुद्ध उच्च अपराध दर, निम्न जीवन संभावना, बेरोजगारी, उच्च मातृत्व मृत्युदर, निम्न जीवन संभावना, बेरोजगारी, उच्च मातृत्व मृत्यु दर, निम्न चिकित्सा सुविधायें आदि कुछ ऐसे सूचक है जो समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति का वर्णन करती है। उसकी निम्न सामाजिक स्थिति जेन्डर, भेदभाव के कारण है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा कई विकासात्मक पहल करने के बावजूद जेन्डर भेदभाव अभी भी विद्यमान है, ग्रामीण क्षेत्रों और असहाय समुदायों में वह अधिक है। यह महसूस किया गया कि केवल भौतिक ढांचा बनाने और

टिप्पणी

लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रम व नीतियां ही उनके जीवन के स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकता है। इसका केवल एक ही विकल्प है महिलाओं को, सही चुनाव करने के लिए और उनके विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए, सशक्त बनाना है। इस समय शिक्षा को, जागरूकता बढ़ाने के लिए, सूचना व ज्ञान प्राप्ति के जीवंत स्रोत के रूप में देखा जाता है जो असमानता और शोषण को चुनौती देने के लिए शक्ति प्रदान करता है।

12.3.5 पारंपरिक व गैर-पारंपरिक शिक्षा के द्वारा सशक्तीकरण

हम सीख चुके है कि महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिए शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण औजार है। आइये देखें अब पारंपरिक और गैर-पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से बालिकाओं की शिक्षा को संभालता है। पारंपरिक शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ा है। 6-14 आयु वर्ग के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान लेने के बावजूद भी लड़कों के तुलना में बड़ी संख्या में लड़कियां, विद्यालय से बाहर है। इसके दो वर्ग है–वे जो कभी विद्यालय ही नहीं गये और वे जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। पारंपरिक शिक्षा की शैक्षणिक व्यवस्था, निर्धारित पाठ्यचर्या, पूर्ण कालिक विद्यालय अधिकांश ग्रामीण, गरीब और असहसाय लड़कियों के लिए शिक्षा को असुविधाजनक बनाता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रभावित करने वाले कारक है परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, और माता-पिता का परंपरावादी दृष्टिकोण। एक लड़की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने परिवार की पारिश्रमिक या अपारिश्रमिक कार्यों के द्वारा सहायता करती है। पीने का पानी लाना, पशुओं के लिए चारा लाना, चूल्हे के लिए लकड़ी लाना, और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना अन्य प्रतिबंध है। ग्रामीण क्षेत्रों में समय से पहले विवाह करना बहुत बड़ी समस्या है। इस प्रकार पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था ऐसे पहुंच से दूर बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने में असफल हुई है।

60 के उतरार्द्ध और 70 के पूर्वार्द्ध में गैर-पारंपरिक शिक्षा (formal education-NPC) की अवधारणा उभर कर सामने आया। सरकार ने शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्यों में विद्यालय से बाहर के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए NPE केंद्रों की शुरूआत किया। इन केंद्रों को पारंपरिक शिक्षा के विकल्प के रूप में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (UEE) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया। NPE तंत्र लचीला, शिक्षार्थी केंद्रित और भागीदारीपूर्ण है। अधिगम प्रक्रिया सैद्धान्तिक होने के बजाय अधिक व्यावहारिक है। यह तंत्र अधिक मितव्ययी है क्योंकि यह विद्यमान सुविधाओं का उपयोग करती है। यह उन लड़कियों के लिए अधिक उपयुक्त है जो विद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ चुके है क्योंकि यह प्रवेश के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं करता है और न ही इसका कोई निश्चित समय है। कक्षायें सुबह, दोपहर या शाम को बच्चों के सुविधानुसार लगायी जा सकती है। पाठ्यचर्या आवश्यकता आधारित है और जीवन कौशल शिक्षा का समावेश करती है।

चूंकि किसी प्रशिक्षित व्यावसायिक अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एक स्थानीय दिग्दर्शक मानदेय के आधार पर कार्य करता है।

NPE कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं (NGO) के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा का उद्देश्य पूरक है। दोनों गुणवत्ता को बेहतर बनाने और जीवन जीने

के स्तर को बेहतर बनाने को लक्षित करता है। दोनों बालिकाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में योगदान जीवन मूल्य, अभिवृत्ति और अन्य जीवन कौशलों का विकास के माध्यम से करता है।

प्रगति जांच-1

1. मिलान कीजिये

(1) शक्ति प्रदर्शन	(a) महिला मंडल
(2) शक्ति युक्त	(b) आत्मविश्वास
(3) अन्तर्निहित शक्ति	(c) चुनाव की स्वतंत्रता देना
(4) शक्ति प्रदान	(d) निर्बल पर प्रभुत्व
(5) सशक्तीकरण	(e) वित्तीय संसाधन तक पहुंच बनाना
(6) शक्ति का पुन: वितरण	(f) महिलाओं की निम्न स्तर
(7) शक्ति असंतुलन	(g) समानता की ओर अग्रसर

2. रमा और राधा बाई के क्षमताओं को सूचीबद्ध कीजिये। विश्लेषण करें कि कौन अधिक सशक्त है?

.....

.....

.....

3. निम्नांकित कथनों के कारण स्पष्ट कीजिये।

बालिकाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है क्योंकि.....

(a) यह उनकी क्षमताओं को बढ़ाता है

(b) यह बेहतर रोजगार के अवसरों की ओर अग्रसित करता है।

(c) ....

(d) ....

(e) ....

(f) ....

4. अपने क्षेत्र में आपके द्वारा अवलोकन किये गये बालिका शिक्षा से संबंधित प्रतिबंधों की सूची बनाइये?

.....

.....

.....

टिप्पणी

12.4 बालिकाओं को सशक्त बनाने की पहल

12.4.1 संविधान का आदेश

संविधान ने कई महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को प्रस्तावित किया है जो शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

अनुच्छेद 45 शिक्षा की जिम्मेदारी प्रत्यक्षत: राज्य के ऊपर आरोपित करता है। राज्य को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 10 वर्ष के भीतर नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जवाबदेह बनाया गया है।

अनुच्छेद 15 लोक संसाधन तक पहुंच बनाने के संदर्भ में लिंग आधारित जेन्डर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।

अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के हितार्थ के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए राज्य को अधिकार देता है। इसके परिणाम स्वरूप लड़कियों की शिक्षा की पहुंच का विस्तार करने की प्रक्रिया और शर्तों में छूट और विशेष आबंटन प्राप्त हुआ।

भारत ने 1980 में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता CEDAW (Committee on Elimination of all kinds of Discrimination against women) पर हस्ताक्षर किया और क्रियान्वित करने के लिए संकल्पबद्ध है। यह राज्य को जेन्डर भेदभाव को समाप्त करने के लिए उचित वैधानिक और अन्य कदम उठाने के लिए बाध्य है। शिक्षा के संदर्भ में यह लड़कियों के लिए समान अवसर और समान पहुंच को सुनिश्चित करता है।

भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE 2009) पास किया जो 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार इस अधिनियम के साथ सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है तथा यह मातापिता और राज्य की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करायें।

12.4.2 सरकार के मुद्दे और नीतियां

स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने शिक्षा तंत्र की पुन: समीक्षा व सुझाव देने हेतु कई समितियों और आयोगों का गठन किया। इनकी सिफारिशों के आधार पर लड़कियों के लिए कई प्रावधान बनाये गये जैसे नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क शिक्षण सामग्री, छात्रवृत्ति, हॉस्टल सुविधायें, यातायात सुविधायें, अध्यापिकाओं की नियुक्ति और जेन्डर संवेदनशील पाठ्यचर्या का विकास आदि है।

सरकार ने दो महत्त्वपूर्ण नीतियां बनाई जिसका सीधा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ता है। ये हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति और महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) – NPE का गठन 1986 में किया गया तथा 1992 में क्रियान्वयन योजना के साथ Revised किया गया। इसने शैक्षणिक पहुंच और उपलब्धि में परंपरागत जेन्डर

असंतुलन का हल निकालने की आवश्यकता को पहचाना। इसने महिलाओं की दशा सुधारने के लिए शिक्षा का उपयोग करने का सुझाव दिया। शिक्षा व्यक्ति के तार्किक विचार कौशल और स्वाभिमान को बढ़ाता है और फलस्वरूप उनके जीवन में बदलाव लाने हेतु उन्हें सशक्त बनाता है जो कि अन्ततः समाज व देश के समग्र विकास में योगदान देता है। इस प्रकार महिलाओं की अशिक्षा को दूर करने और शिक्षा के रास्ते में आए अवरोधों को हटाने में विशेष सहायता सुविधाओं और प्रभावकारी निरीक्षण तंत्र के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में धारण को उच्च प्राथमिकता प्राप्त है।

महिलाओं के सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति–सन् 2001 में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाया गया इसमें महिलाओं की शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को परिभाषित किया गया जैसे समान पहुंच, भेदभाव को समाप्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम, शिक्षा का सार्वभौमीकरण। जेन्डर संवेदनशील पाठ्यचर्या शिक्षा में जेन्डर अंतर को कम करना आदि।

इस नीति के अंतर्गत कई कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, श्रमिक विद्यापीठ, विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन को बढ़ावा, महिला सामाख्या कार्यक्रम, सतत शिक्षा और मीडिया के द्वारा अधिगम।

12.4.3 ग्रामीण बालिकाओं के लिए कार्यक्रम

हम जानते है कि शिक्षा में जेन्डर अंतर है। परन्तु यह अन्तर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है। लड़कियों का प्रवेश बढ़ाने और विद्यालय में उन्हें रोकने के लिए कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये गये हैं। उसमें से कुछ प्रमुख हस्तक्षेपों के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे।

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
(National Programme for education of Girls at Elementary Level)

यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम उन लड़कियों के लिए है जिन तक पहुंच अत्यंत कठिन है, विशेषकर वे जो विद्यालय से बाहर है। सन् 2003 में सर्वशिक्षा अभियान (SSA) के एक भाग के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत विशेषकर, शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में, जहां ग्रामीण बालिकाओं की साक्षरता दर का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है तथा जेन्डर, अन्तर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, में किया गया। 24 राज्यों के 3272 ब्लाकों में इस कार्यक्रम को चलाया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है विद्यालय में लड़कियों को रोकने और अधिगम की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। यह लड़कियों की शिक्षा में व्यय किये जा रहे राशि के अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराता है।

यह कार्यक्रम प्रत्येक क्लस्टर में निम्नांकित मापदंडों के साथ 'आदर्श विद्यालय' के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराता है।

- लड़कियों के प्रवेश पर सख्त निगरानी
- समुदाय एकत्रीकरण

टिप्पणी

- अध्यापकों को जेन्डर संवेदनशीलता बढ़ाना
- जेन्डर संवेदनशील अधिगम सामग्रियों का विकास करना।
- आवश्यकता आधारित लाभ जैसे सुरक्षा, किताब कापियां आदि का प्रावधान
- अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान
- धीमी गति से सीखने वालों के लिए सुधारात्मक शिक्षा
- लड़कियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग
- ECCE (Child care Centres बाल रक्षा केंद्र) सहायता संरचना के रूप में
- महिलाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहयोग और सहायता के द्वारा ग्राम्य स्तर पर विद्यालय विकास एवं निरीक्षण समिति का मासिक बैठक का आयोजन करना, शिक्षक अभिभावक संघ (PTA) की बैठक और माता शिक्षक संघ (MTA) बैठक का आयोजन करना।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

यह भारत सरकार का एक अन्य कार्यक्रम है जो प्राथमिक शिक्षा में जेन्डर अन्तर को कम करता है। सन् 2004 में SSA के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत दर से कम है और जेन्डर अन्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक है में शुरू किया गया। (KGBV) आवासीय विद्यालय है जिसकी क्षमता 100 बालिकायें है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बनाया गया है।

इन विद्यालयों में निम्नांकित विशेषतायें हैं:-

- कम जनसंख्या वाले पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लड़कियों के लिए शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में प्रवेश न लेने वाली और बड़ी लड़कियों के लिए अवसर उपलब्ध कराना
- विद्यालय बीच में छोड़कर जाने वालों को सामान्य विद्यालय के धारा में ब्रिज कोर्स के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करना
- घरेलू कार्यों और छोटे भाई बहनों की देखभाल से मुक्त मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना।
- अधिगम के लिए मुक्त वातावरण की रचना हेतु आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना
- धीमी गति से खीने वाले शिक्षार्थी और रिपिटर के लिए अतिरिक्त कोचिंग की व्यवस्था करना

टिप्पणी

- जीवन कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना
- बालिका सहयोगी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना

महिला समाख्या (MS)

1986 का NPE बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में एक land mark है। यह पहचानता है कि केवल ढांचा बनाने से ही जेन्डर असमानता को दूर नहीं किया जा सकेगा। महिलाओं की अशिक्षा को दूर करना और प्राथमिक शिक्षा की रास्ते में उनकी पहुंच को रोकने वाले अवरोधों को दूर करना भी अत्यंत आवश्यक है। सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष सहायता सुविधाओं के साथ कई प्रावधान बनाये है। क्रियान्वीकरण की योजना महलाओं के सशक्तीकरण पर केंद्रित है। जेन्डर समानता के लिए सशक्तीकरण एक महत्त्वपूर्ण पूर्व शर्त है। इसको मूर्त रूप देने के लिए 1989 में 3 राज्यों (गुजरात, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश) के 10 जिलों में पायलट प्रोग्राम के रूप में महिला समाख्या (MS) की शुरूआत की गई। आज यह 9 राज्यों के 83 जिलों के 21707 गांवों में यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों जैसे SSA, DPEP, MS के साथ जुड़कर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर इंगित करता है। SSA, DPEP और MS स्वायत्त निकाय के रूप में एक गैर सरकारी संस्थान (NGO) की तरह कार्य करती है, परन्तु इसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों के प्रतिनिधि होते है।

MS विश्वास करता है कि समानता प्राप्ति के लिए महिलाओं को शिक्षा सशक्त बनाती है। यह कार्यक्रम लचीला और लक्ष्य मुक्त है। इसने प्रोग्राम के क्रियान्वीकरण हेतु नवीन उपागम को अपनाया है। शिक्षा की अवधारणा का अर्थ केवल साक्षरता कौशल की प्राप्त करना नहीं है वरन एक प्रक्रिया के रूप में जहां प्रश्न करना सीखना है, समस्याओं और मुद्दों का तार्किक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है, और उनका समाधान ढूंढ़ना है।

MS एक वातावरण तैयार करने में विश्वास करता है जहां महिलायें अपनी गति से सीखती है, और अपनी प्राथमिकताओं ज्ञान और सूचनाओं का निर्धारण करती है जिससे कि वे ज्ञानपूर्ण चुनाव करने में सक्षम हो सके।

महिला संघ (ग्राम्य स्तर पर महिला संगठन) सभी क्रियाकलापों का एक महत्त्वपूर्ण नोडल केंद्र है। यह महिलाओं को उनसे जुड़े मुद्दों पर बात करने, बैठक करने और सामूहिक क्रिया के द्वारा अपनी जरूरतों को बारे में बात करने के लिए एक स्थान उपलब्ध कराता है। MS संघ को संसाधन और प्रशिक्षण सहयोग उपलब्ध कराता है तथा ब्लाक और जिला स्तर पर एक दबाव समूह के रूप में संगठित होने का मार्ग प्रशस्त करता है। वे सभी शैक्षणिक तथा विकासात्मक क्रियाकलापों में भाग लेती है जो उनके बच्चों/पुत्रियों तथा स्वयं के जीवन के ऊपर नियंत्रण रखने के योग्य बनाती है।

इसके अतिरिक्त MS किशोर लड़कियों के साथ काम करती है तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, महिला शिक्षण केंद्र (विद्यालय छोड़ देने वाले बालिकाओं हेतु) आवासीय पाठ्यक्रम चलाती है। यह अपने क्षेत्र में NPEGEL तथा KGBV का क्रियान्वीकरण करके सरकार की सहायता करती है।

टिप्पणी

इस उपागम का प्रभाव MS क्षेत्र में दृष्टिगोचर है। संघ द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों को कई मुद्दों में देखा जा सकता है जैसे–

- उनके बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के लिए शैक्षणिक अवसरों को सुनिश्चित करना
- स्वयं के लिए साक्षरता और विज्ञान से अनभिज्ञता कौशलों का अनुभव करना
- सामाजिक मुद्दों जैसे, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, दहेज, देवदासी आदि को हल करना
- राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण करना
- स्वास्थ्य व पोषण पर नियंत्रण करना
- संसाधनों तक पहुंचना व नियंत्रण करना
- नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना

इन सबके फलस्वरूप उनकी जिंदगी की स्थिति बदल गयी है। बालिकाओं और महिलाओं के शिक्षा के संदर्भ में मांग उठाये जाने लगे है।

प्रगति जांच-2

1. प्रत्येक कथन के नीचे दिये गये विकल्पों में से उचित विकल्प चुन कर निम्नांकित कथनों को पूरा करें।

   (1) ..... के अनुसार भारत शिक्षा में जेन्डर भेदभाव को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है।

   a) अनुच्छेद 45 b) CEDAW

   c) RTE अधिनियम d) अनुच्छेद 15(3)

   (2) RTE अधिनियम ..... आयु वर्ग के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।

   a) 8-14 वर्ष b) 6-18 वर्ष

   c) 6-14 वर्ष d) 6-12 वर्ष

   (3) हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार शिक्षा ..... की जिम्मेदारी है।

   a) राज्य b) समुदाय

   c) अध्यापक d) माता-पिता

2. बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता को किस नीति ने पहचाना इन नीतियों के मुख्य बिन्दुओं की सूची बनाइये।

टिप्पणी

.....

.....

.....

3. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिये

1) बालिका की शिक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है?

(a) मातापिता (b) समुदाय

(c) राज्य (d) इनमें से कोई नहीं

(e) इनमें से सभी

2) ''कठिनाई से पहुंच'' लड़कियों के लिए शैक्षणिक हस्तक्षेप

(a) मोरारजी देसाई विद्यालय (b) KGBV's

(c) NPEGEL (d) महिला समाख्या

3) ..... माडल क्लस्टर विद्यालय को सहायता उपलब्ध कराता है।

(a) KGBV (b) MS

(c) NPEGEL (d) महिला शिक्षण केंद्र

4) अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय

(a) KGBV (b) नवोदय विद्यालय

(c) NPEGEL (d) इनमें से कोई नहीं

5) ''शिक्षा समानता के लिए'' किसका आदर्श वाक्य है?

(a) KGBV (b) MS

(c) NPEGEL (d) इनमें से कोई नहीं

12.5 महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण में ऐजेन्सियों की भूमिका

सशक्त बनने के लिए बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त कई प्रकार के कौशलों को सीखना आवश्यक है। एक अध्यापक को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वह बच्चों विशेषकर लड़कियों के व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका निभाता है। जीवन कौशल शिक्षा कई प्रकार के क्रियाकलाप उपलब्ध कराता है जो कि जागरूक बनाता है। साहसीपन का विकास करता है, उनकी गतिशीलता को बढ़ाता है और अभिव्यक्ति के लिए उन्हें सशक्त बनाता है। यह

टिप्पणी

उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाता है। यह परिस्थितियों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाता है। जीवन कौशल प्रशिक्षण में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शामिल है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें लड़कियों को जीवन कौशल शिक्षा देने के लिए ध्यान केंद्रित कर रही है। उद्देश्य है सामंजस्यता की योग्यता और सकारात्मक व्यवहार विकसित करना, जिससे वे अपने जीवन परिस्थिति को प्रभावकारी ढंग से संभालने योग्य बन सके। जीवन कौशल विकास के 10 मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है ये निम्नांकित है।

- समस्या समाधान
- विश्लेषणात्मक सोच
- प्रभावकारी संप्रेषण कौशल
- निर्णय निर्माण
- सृजनात्मक सोच
- अंतवैर्यक्तिक संबंध कौशल
- स्व-जागरूकता निर्माण कौशल
- दूसरों के प्रति संवेदना
- तनाव व भावनाओं से

इन कौशलों के माध्यम से यह अपेक्षित है कि लड़कियां प्राप्त अवसरों का समुचित लाभ उठाये, विकल्प तलाशें और मुद्दों को सुलझाने के लिए उचित निर्णय ले।

प्रगति जांच-3

1. सही है या गलत बताइये?

   लड़कियों को जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता है क्योंकि.....

   (a) यह उनकी गतिशीलता को बढ़ाता है

   (b) यह धनराशि और ईज्जत देता है

   (c) यह उनके संप्रेषण कौशल को बढ़ाता है

   (d) यह उनके आत्म विश्वास को बढ़ाता है

   (e) शिक्षित पति प्राप्त करना आसान होता है

   (f) यह उनके विश्लेषण शक्ति को बढ़ाता है

   (h) यह उनके निर्णय करने की योग्यता को बढ़ाता है

टिप्पणी

12.6 महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण में एजेंसियों की भूमिका

12.6.1 सरकार की भूमिका

बालिकाओं की शिक्षा सरकार के उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अब शिक्षा 6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का मूलभूत अधिकार बन चुका है। और इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य की है।

यह महसूस किया गया कि सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा एक औजार है। लड़कियों की स्थिति में शिक्षा उनको उनके जीवन में बदलाव लाने और गुणवता हासिल करने के लिए सशक्त बनाता है। इस प्रकार सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार शैक्षणिक पहुंच में जेन्डर भेदभाव को समाप्त करने और शिक्षा में जेन्डर समानता लाने के लिए बाध्य है। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए सरकार को निम्नांकित कदम उठाने है।

1. प्राथमिकता के आधार पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
2. उचित नीतियों और क्रियान्वयन रणनितियों के द्वारा प्रवेश के लिए समान पहुंच तथा विद्यालय न छोड़ने की स्थिति सुनिश्चित करना।
3. सभी हितधारकों जिसमें शैक्षणिक विशेषज्ञ, NGO और महिलाओं की संस्थाओं को कार्यक्रम की योजना बनाने में, क्रियान्वीकरण और जांच प्रक्रिया में शामिल करना, तथा जेन्डर संवेदनशील पाठ्यचर्या का विकास करना शामिल है।
4. मुफ्त लाभार्थ जैसे किताबें, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधायें जैसे लड़कियों के लिए हास्टल, यातायात सुविधायें, बच्चा देखभाल केंद्र आदि उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान बनाना।
5. 50% अध्यापिकाओं की भर्ती करना
6. शिक्षा के संदर्भ में जेन्डर मुद्दों पर अध्यापकों, शिक्षाविदों, और योजना बनाने वाले को संवेदनशील बनाना
7. नवीन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना
8. कार्यक्रमों का निश्चित समयावधि में नियमित रूप से समीक्षा करना

12.6.2 गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका (NGO)

गैर सरकारी संस्थायें सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की राज्य की जिम्मेदारी को वहन नहीं कर सकता है। ये सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य कर सकते है। चूंकि वे प्रत्यक्ष रूप से समुदाय के संपर्क में रहते है अत: वे बालिकाओं की शिक्षा के लिए उचित वातावरण का निर्माण कर सकते है। ये बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण हेतु अलग भूमिकायें निभाते है जैसे–

टिप्पणी

1. बालिकाओं के शिक्षा के प्रति समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करना और परंपरागत पक्षपातपूर्ण प्रवृति को बदलना
2. सरकारी शैक्षणिक कार्यक्रमों का क्रियान्यवन करके सरकारी पहल की सहायता करना। सभी हितधारकों के लिए जेन्डर संवेदनशीलता कार्यक्रम का आयोजन करना, समुदाय का सहयोग प्राप्त करना, और जेन्डर संवेदनशील पाठ्यचर्या का विकास करना।
3. शैक्षणिक कार्यक्रमों का स्वतंत्र रूप से क्रियान्वयन करना जैसे वैकल्पिक विद्यालय, अनौपचारिक केंद्र, असुविधाग्रस्त बालिकाओं के लिए हॉस्टल खोलना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाना, नवीन शिक्षण विधि का विकास करना, सहयोगी सेवा उपलब्ध कराना, जैसे बाल देखभाल केंद्र किशोर बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा उपलब्ध कराना।
4. शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कुछ NGO के उदाहरण है–एकलव्य, प्रथम, महिला सामाख्या, लोक जुंबिश।

12.6.3 स्थानीय निकाय, समुदाय SDMC की भूमिका

स्थानीय निकाय जैसे पंचायत/निगम का ''सभी के लिए शिक्षा'' के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इनके सदस्य सभी माता-पिता को उनके पुत्रियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित कर सकते है। वे शैक्षणिक गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अध्यापकों की सहायता कर सकती है। स्थानीय निकाय की यह जिम्मेदारी है, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा एवं हितों को सुनिश्चित करना। पीने के पानी की सुविधा जैसे कार्यक्रमों का एकीकरण करके लड़कियों के कार्य बोझ को कम करना जो कि दूसरे तरफ कक्षाकक्ष में उनकी उपस्थिति एवं कार्य निष्पादन को बढ़ाता है।

समुदाय के सक्रिय भागीदारी से किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाता है। अत: शैक्षणिक कार्यक्रमों और बैठकों में समुदाय की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जोकि लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनके परंपरागत दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है।

स्कूल डेवलपमेंट और मानिटरिंग कमेटी (SDMC) एक-एक फोरम है जहां पर माता-पिता, प्रतिनिधि और विद्यालय स्टाफ आपस में बातचीत करते है। इससे न केवल विद्यार्थियों के प्रगति, कार्य संपादन तथा विद्यालय क्रियाकलापों की निरीक्षण करने में सहायता मिलती है परन्तु स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित योजना बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह फोरम आवश्यक विद्यालयी सुविधाओं जैसे लड़कियों के लिए शौचालयों पीने के पानी की व्यवस्था आदि की पहचान करके विभाग को क्रियान्वीकरण हेतु सिफारिश करता है। यह स्थानीय सहायता तथा सुविधाओं को संगठित करने में सहायता करता है।

12.6.4 बालिकाओं के सशक्तीकरण में अध्यापक तथा विद्यालय की भूमिका

एक सामाजिक संस्था होने के नात विद्यालय को बच्चों में जेन्डर पहचान के विकास में, महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है। परिवर्तन अभिकर्त्ता के रूप में अध्यापक के प्रभाव को

नकारा नहीं जा सकता है। बच्चों की मानसिकता को नये विचार, नई आईडिया और अभ्यासों के माध्यम से बदलने की आवश्यकता है।

1. एक सामान्य कक्षा संचालन में अध्यापक शायद लड़कों को सफलता प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित करें जबकि लड़कियों को शायद न करें। सामान्यत: लड़के अध्यापकों से अधिक ध्यान प्राप्त करते है। अध्यापक लड़कों से अधिक प्रश्न पूछते हैं, उन्हें उत्तर देने के लिए अधिक अवसर और अभिप्रेरणा दिया जाता है। विशेषकर यह विज्ञान और गणित की कक्षाओं में अधिक होता है। इस प्रकार का जेन्डर पक्षपातपूर्ण अभिवृत्ति बच्चे के व्यक्तित्व विकास को सीधा प्रभावित करता है। बालिकाओं की भागीदारी कम होती जाती है और इससे इनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। अत: एक अध्यापक के लिए जेन्डर संबंधी मामले के लिए संवेदनशील होना आवश्यक है। उसे इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से संसाधित होना चाहिए। उसे चाहिए कि लड़कों तथा लड़कियों दोनों के लिए समान रूप से विकास के अवसर प्रदान करें तथा उन्हें समान रूप से अभिप्रेरित करें। सशक्तीकरण के रास्ते में अध्यापक अपरंपरागत क्रियाकलापों को बढ़ावा दें।

2. एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के लिए स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अत: उसकी अभिवृत्ति, क्रियाकलाप, व्यवहार, दृष्टिकोण, उपागम, विधियां बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, विशेषकर लड़कियों के, में सहायता करेगा। ग्रामीण अंचल में अध्यापिकाओं और छात्राओं के नामांकन के मध्य सह संबंध है। कुछ रूढ़िवादी अभिभावक नहीं चाहते है कि उनकी पुत्रियों को पुरुष अध्यापक पढ़ाये। वे अध्यापिकाओं के साथ अधिक मुक्त और सुरक्षित महसूस करते है।

3. विद्यालय के सभी क्रियाकलापों में लड़कियों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक/आध्यापिकाओं को विशेष भूमिका निभाना है। बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उनके लिए सुविधासंपन्न वातावरण उपलब्ध कराना अधिक महत्त्वपूर्ण है।

4. एक अध्यापक होने के नाते, अध्यापक समुदाय के साथ अच्छा संबंध रखता है तथा वह माता-पिता के पक्षपातपूर्ण रवैया को बदल सकता है और उनको समझा सकता है कि वे अपने पुत्रियों को विद्यालय भेजें। वह समुदाय से इस संदर्भ में सहयोग प्राप्त कर सकता है।

प्रगति जांच-4

1. आपके क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थानों के नाम लिखिये तथा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान पर टिप्पणी लिखें।

.....

.....

.....

टिप्पणी

2. एक अध्यापक के रूप में आप निम्नांकित समस्याओं को हल करने के लिए कहां जाते है? निम्न में से सही उत्तर चुनें।

(a) ग्राम पंचायत (b) समुदाय

(c) शिक्षा विभाग (d) SDMC

(e) महिला और बाल विकास विभाग (f) सामाजिक विकास आफिसर

(i) लड़कियां अपने छोटे भाईयों की देखभाल करती है इसलिये वे नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाती।

(ii) शौचालय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण बालिकायें दोपहर भोजन अवकाश के पश्चात घर चली जाती है।

(iii) लड़कियां ठीक प्रकार से प्रदर्शन नहीं कर रही है

(iv) गर्मी में पानी की कमी हो जाती है, लड़कियां पानी एकत्रित करने में व्यस्त हो जाती है अत: उपस्थिति कम हो जाती है।

(v) लड़कियां मजदूरी करने जाती है अत: उपस्थिति कम हो जाती है।

(vi) आप अध्यापक के रूप में लड़कियों के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने भूमिका को आप किस नजरिये से देखते हैं?

12.6 सारांश

- शक्ति के असमान वितरण के कारण समाज में जेन्डर भेदभाव व्याप्त है। असमानता के कारण पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का शोषण व दमन होता है।
- शक्ति तंत्र को चुनौती देने और जेन्डर भेदभाव को दूर करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है। शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने का एक महत्त्वपूर्ण जरिया है।
- सशक्तीकरण महिलाओं के क्षमताओं को बढ़ाता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्रोत की पहुंच को बढ़ावा है तथा अवसर, प्रदान करता है। यह स्वाभिमान और निर्णय लेने की क्षमता को व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन दोनों क्षेत्रों में बढ़ाता है।
- लड़कियों की शिक्षा समानता प्राप्त करने के लिए है।
- सरकार लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देती है तथा वह सभी लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए संकल्पबद्ध है।
- ग्रामीण अंचल के महिलाओं व बालिकाओं की शिक्षा व सशक्तीकरण के लिए महिला सामाख्या, KGBV, NPEGEL कार्यक्रम चलाये गये है।

टिप्पणी

- लड़कियों की सशक्तीकरण के लिए जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- लड़कियों की सशक्तीकरण में अध्यापक/अध्यापिकाओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

12.7 प्रगति जांच के उत्तर

प्रगति जांच-1

1. निम्नांकित को मिलाइये

   1-d, 2-a, 3-b, 4-e, 5-c, 6-g, 7-f

प्रगति जांच-2

1. कथनों की पूर्ति

   1. b, 2. c, 3. c

3. प्रश्नों के उत्तर दीजिए

   1. e, 2. c, 3. c, 4. a, 5. b

प्रगति जांच-3

1. सत्य का असत्य बताइये

   a. t, b. f, c. t, d. t, e. f, f. t. g. t, h. t

प्रगति जांच-4

1. 1. e, 2. a, 3. b व d, 4. a, 5. b

12.8 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986– http://education.nic.in/policy/npe86-mod92
2. Nutrial Policy for Empowerment of woman, 2001 http://wed.nic.in/empowernen.htm
3. NPEGEL http://ssa.nic.in/girls-education/npegel
4. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya-educationa.nic.in/kgbr-guidlines.asp

   Mahila Samakhya–http://www.education.nic.in/ms/ms.asp

टिप्पणी

12.9 अन्त्य इकाई अभ्यास

प्रोजेक्ट कार्य

अखबारों तथा पत्र-पत्रिकाओं से काटकर ऐसे असाधारण कार्य करने वाली महिलाओं का चित्र एकत्रित करें तथा अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए सशक्त महिलाओं का एक चार्ट बनायें–

उदाहरण :

क्रमांक	फोटो	व्यक्तिगत नाम	क्षेत्र	उपलब्धि
1		कल्पना चावला	अंतरिक्ष विज्ञान	अंतरिक्ष इंजीनियर
2		.....	.....	.....
3		.....	.....	.....

इकाई 13 बाल अधिकार एवं हकदारी

संरचना

13.0 प्रस्तावना

13.1 अधिगम उद्देश्य

13.2 बच्चे के अधिकार की अवधारणा

13.2.1 अधिकार और मानव अधिकार का अर्थ

13.2.2 बच्चे का अधिकार

13.2.3 बच्चे के अधिकार पर UN की पहल

13.2.4 बच्चों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और बच्चे का अधिकार

13.3 बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा

13.3.1 बच्चे के अधिकारों का हनन

13.3.2 विद्यालय में बच्चे के अधिकारों का हनन

13.3.3 बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा:- आयोग व वैधानिक प्रावधान

13.3.4 बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा में अध्यापक की भूमिका

13.4 सारांश

13.5 प्रगति जाँच के लिए उत्तर

13.6 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

13.7 अन्त्य इकाई अभ्यास

13.0 प्रस्तावना

आप पूर्व के खण्ड में समावेशी शिक्षा के बारे में अध्ययन कर चुके है और अधिकांश ने यह महसूस किया कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। आपने यह भी समझ लिया है कि सीखने के लिए उचित वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य

टिप्पणी

है बच्चे का सर्वांगीण विकास। इस लक्ष्य को उत्तम ढंग से प्राप्त किया जा सकता है जब विद्यालय और समाज हाथ मिलाकर कार्य करें। यह संभव हो सकता है जब बच्चे को उसके बचपन का भरपूर आनंद लेने दिया जाये। वर्तमान में विश्व के अधिकांश भाग में यह नहीं हो रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह महसूस किया कि सभी देश अपने बच्चों को उनके बचपन का आनंद लेने दिया जाये। इस इकाई में हम बच्चे के अधिकार, बच्चे के अधिकारों का हनन बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा, और प्रत्येक बच्चे के अधिकारों को सुनिश्चित करने में अध्यापक की भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं।

13.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप योग्य होगें

- बच्चे के अधिकार और मानव अधिकार, अधिकार का अर्थ बताने में
- एक बच्चे के विभिन्न प्रदत्तों की सूची बनाने में
- विद्यालय में बच्चे के अधिकारों के हनन को बढ़ाने वाले विद्यालय कार्य को सूचीबद्ध करने में
- बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता की व्याख्या करने में
- बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधानों का वर्णन करने में
- बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा में अध्यापकों की भूमिका की व्याख्या करने में

13.2. बच्चे के अधिकार की अवधारणा

आइये बच्चों के अधिकारों की अवधारणा के अर्थ से प्रारम्भ करते हैं

13.2.1 मानव अधिकार और अधिकार का अर्थ

बच्चे के अधिकार को समझने के लिए आइए अधिकार और मानव अधिकार के अर्थ को समझते हैं। निम्नांकित विवरण को पढ़िये

राधा और राफिया पड़ोसी हैं। वे कक्षा VII में पढ़ते हैं। एक दोपहर को जब वे दोनों लंच के बाद विद्यालय जा रहे थे उनके मातापिता पंचायत घर तक उनके साथ खाली बर्तन व बाल्टी साथ लेकर गये। उनके माता पिता पंचायत घर के सामने खाली बर्तन व बाल्टी के साथ बैठे बहुत से स्त्रियों और पुरूषों के साथ बैठ गये और जल आपूर्ति के लिए नारे लगाने लगे। राधा और राफिया ने इसको देखा लेकिन देर हो जाने के कारण वे विद्यालय के लिए भागे। कक्षा में देर से पहुँचने के कारण अध्यापक ने उनके देर से आने का कारण पूछा। उन्होंने पंचायत घर के सामने के दृश्य का वर्णन किया। अध्यापक ने बच्चों के अनुभवों का उपयोग किया और निम्नांकित प्रश्न कक्षा में चर्चा करने के लिए उठाया

किस कारण से लोग खाली बर्तन व बाल्टियाँ लिये हुये थे?

वे पंचायत के पास क्यो गये?

क्या लोग पंचायत घर के आगे इस प्रकार इकठ्ठे हो सकते हैं?

मुझे यकीन है आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। हाँ लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत घर के आगे इकठ्ठे होने का अधिकार है। अधिकार एक शर्त है जो न्यायोचित हो और लोग इसके हकदार हैं। इसे अर्थपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक व मूलभूत समझा जाता है और लोगों के लिए देय होता है। अधिकार वे स्वतंत्रतायें है जो व्यक्ति तथा समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। हम अब लोगों के इन अधिकारों को पहचानें जो उपरोक्त वर्णन में है।

क्या आप उनमें से कोई दो, जिसे आप जानते हैं, लिख सकते हैं।

1. .....

2. .....

आपने शायद लिखा हो कि लोग पानी की माँग कर सकते हैं, लोग शंतिपूर्वक इकठ्ठे हो सकते हैं। यदि हाँ तो आप सही है। आप पढ़ चुके है कि भारत में संविधान ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक मूलभूत अधिकारों के साथ जीवन जी सकता है। ये अधिकार नीचे दिये हुए हैं।

- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरूद्ध अधिकार
- धर्म अपनाने की स्वतंत्रता का अधिकार
- सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार
- संवैधानिक सुधार का अधिकार

निम्नांकित चित्रों को देखकर बताइये कि लोग किन अधिकारों का आनंद ले रहे हैं

(नृत्य का चित्र)

..... का अधिकार

(धार्मिक स्थलों का चित्र)

..... का अधिकार

(बालश्रम का चित्र)

..... का अधिकार

टिप्पणी

उपरोक्त सभी अधिकार मानव अधिकार हैं। एक मानव के रूप में जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए हम उन्हें मानव अधिकार कहते हैं। विश्व के सभी व्यक्तियों को इन अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। हाँलांकि दुनिया में लोगों की स्थिति सभी जगह समान नहीं है। व्यक्तियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। लोगों को उनके अधिकारों के साथ जीवन जीने का सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणपत्र (UDHR) (Universal Deelaratiri of human rights) को 10 दिसंबर 1948 को अपना कर घोषणा किया। इसमें मानव अधिकारों की एक सूची है जिसमें सभी देशों के सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्धि का एक सर्वमान्य मापदंड निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसके सदस्य देशों का कहा गया है कि वे अपने लोगों के प्रति जवाबदेह बने। इस घोषणा की विश्वभर में ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा देश का UDHR हस्ताक्षरकर्त्ता सदस्य है अत: सरकार का यह उत्तदायित्व बनता है कि प्रत्येक नागरिक को इन अधिकारों का लाभ प्राप्त हों। इसके बावजूद भी इन अधिकारों के हनन के मामले सामने आते हैं। आपके अनुसार ये हननकर्त्ता कौन हैं? ये व्यक्ति, संस्था या सरकार हो सकते है। यदि ऐसा है तो अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? भारत में संघीय संरचना के साथ केन्द्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य में राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। जिला स्तर पर भी मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कार्यालय है। ये संस्थायें लोगों के अधिकारों के हनन के मामले दर्ज करते हैं तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करते हैं, हो सकता है कि आपने अपने क्षेत्र में मानवाधिकार के हनन के कुछ मामले देखा हो। इस तरह के कोई एक मामले से संबंधित सूचनायें एकत्रित करें तथा खोजें कि किस तरह अधिकारों की सुरक्षा की गई। आशा है आप अब अधिकारों और मानवाधिकारों का अर्थ समझ चुके है।

क्रियाकलाप-1

1. कुछ कथन निम्नांकित है। उन पर (सही) निशान लगाये जो अधिकारों का वर्णन करते हों

   लोगों के लिए है

   व्यक्तियों को समृद्ध जीवन जीने के योग्य बनाता है

   व्यक्ति जैसे जीना चाहता है उसमें सहायता करता है

   व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा की माँग कर सकते हैं

2. रिक्त स्थानों को भरिये

   (अ) सभी को ..... को अधिकार उपलब्ध कराना चाहिए

   (ब) UDHR का पूरा नाम ..... है

   (स) जीवन को ..... रूप से जीने के लिए मानवाधिकार आवश्यक है

(द) प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस ..... मास के ..... तिथि को मनाते है

(इ) राज्य स्तर पर मानवाधिकार के संरक्षण के लिए सृजित की गई एजेंसी .... है।

13.2.2 बच्चे का अधिकार

इससे पूर्व के उपभाग में आपने अधिकार व मानवाधिकार के बारे में पढ़ा। इस भाग में हम बच्चा कौन है, उसके अधिकार क्या है, उसे अधिकारों की आवश्यकता क्या है? के बारे में जानेंगे।

आइये एक घटना माध्यम से एक बच्चा कौन है? को समझते हैं। एक परिवार था जिसमें माता पिता और बच्चे जान और जेनी थे। जान 19 वर्ष के है तथा जेनी 12 वर्ष की थी। एक दिन दोनों बच्चे अपने माता पिता को डरावनी फिल्म दिखाने की जिद करने लगे जो एक निकट के थियेटर में चल रहा था। माँ ने कहा कि डरावनी फिल्म बच्चों के लिए नहीं होती है। चूंकि जेनी 12 वर्ष की थी। अत: माँ ने कहा कि आप डरावनी फिल्म के बजाय बच्चों की फिल्म देखों जिसमें बहुत मजा आयेगा । जान और जेनी सहमत हो जाते हैं तथा चारों 'Baby's Day ant' फिल्म देखने चले गये। आइये उपरोक्त घटना का विश्लेषण करें।

आपके विचार से माँ ने जेनी को डरावनी फिल्म देखने के लिए क्यों मना किया?

आशा है आपको प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। यह वांछनीय नहीं है कि बच्चे डरावनी फिल्में देखें क्योंकि ये फिल्में बच्चों के मन मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाती है। सामान्यत: 18 वर्ष से छोटे आयु के व्यक्ति को बच्चा समझा जाता है। बच्चे भविष्य के महत्वपूर्ण मानवसंसाधन है और इसलिए विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से विश्वभर के बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। चूंकि विश्व के कई भागों में बच्चों की स्थिति कई कारणों से अत्यंत नाजुक है अत: बच्चों की बेहतरी व विकास की आवश्यकता को महसूस किया गया। इसको प्राप्त करने का एक तरीका है बच्चों को एक ऐसा उचित वातावरण उपलब्ध कराया जाए जहां पर उन्हें बच्चों की तरह बड़ा होने के अवसर प्राप्त हो। नीचे चित्रों को देखिये। क्या ये बच्चों के आनंदपूर्वक बचपन का वर्णन नहीं कर रहे हैं? प्रत्येक बच्चा इसका हकदार है। अधिकारों को पहचानिये और उनको चित्र के नीचे दिये गये रिक्त स्थान भरिये।

(खेलते बच्चे)

(स्कूल जाते बच्चे)

(बच्चे पोषक भोजन कर रहे हैं)

.....का अधिकार .....का अधिकार .....का अधिकार

टिप्पणी

उपरोक्त स्थिति के लिए आपने शायद खेल, शिक्षा और भोजन लिखा होगा। आप सही है। परन्तु बच्चों के अधिकार इन तक सीमित नहीं है। और भी अधिकार है कुछ यहाँ पर नीचे दिये गये हैं।

- उचित स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त करना।
- बच्चों की इच्छा के विरूद्ध माता पिता से अलग न करना।
- माता पिता के द्वारा बच्चों की देखभाल करना।
- नाम होना।
- मातृभाषा में आधार भूत शिक्षा प्राप्त करना।
- जीवन जीने का अधिकार।
- शोषण के सभी रूप से सुरक्षा प्राप्त करना।
- शारीरिक दंड से सुरक्षा प्राप्त करना।
- किसी भी प्रकार से शारीरिक दंड अमानवीय क्रूरता, तंग करना, अपमानित करने वाले व्यवहार से सुरक्षा करना।
- विश्राम, खेल, और मनोरंजन का अधिकार।
- अवैध दवाईयों, नशायुक्त दवाईयों और अन्य नशीली पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करना और ऐसी दवाईयों, पदार्थों के निर्माण व बेचने में बच्चों का इस्तेमाल न करने की सुरक्षा प्रदान करना।

सभी व्यक्तियों, विद्यालयों, संस्थाओं तथा सरकार उपरोक्त लिखित अधिकारों को लाभ उठाने से बच्चों को वांचित न करने की स्थिति सुनिश्चित करना चाहिए। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किये जा चुके है।

इसके बारे में अगले उप-भाग में पढ़ेगे

क्रियाकलाप-2

I. निम्न कथन सत्य है या असत्य है। सत्य के लिए T और असत्य के लिए F कथन के सम्मुख दिये कोष्ठक में लिखें।

1. बच्चा होने की अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष है ( )
2. बच्चों को दूसरों के बारे में निन्दनीय बातें कहने का अधिकार है ( )
3. बच्चों के अधिकार की आवश्यकता को हमेशा महत्व नहीं देना चाहिए ( )
4. विश्व के कई भागों में बच्चे सुरक्षित नहीं है ( )
5. सरकार बच्चों के बेहतरी के लिए कार्य करने के लिए बाध्य है ( )

टिप्पणी

II. निम्न में से कौन सा बच्चे का अधिकार है? निशान लगायें

1. कुछ समय विश्राम के लिए प्राप्त करना
2. परिवार में रहना
3. शोषण से सुरक्षा
4. शिक्षा प्राप्त करना

13.2.3 बच्चे के अधिकारों के लिए UN की पहल

संयुक्त राष्ट्र संघ एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था होने के नाते अपने शुरूआती दिनों से विश्व के बच्चों के अधिकारों के प्रति कई कदम उठाये हैं। कई कार्यक्रमों में बच्चे की विशेष देखभाल की आवश्यकता का जिक्र किया है। 1948 के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा में बच्चे के अधिकारों को पहचाना गया। 1959 में आमसभा असेम्बली द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषण को अपनाया गया। 1966 में Internationl Govermant on civil and Political Rights में को जनरल असेम्बली द्वारा अपनाया गया 1966 में ही Internationl Goverment on Eccnomic, Social and Cultural Rights को जनरल असेम्बली द्वारा अपनाया गया तथा बच्चे के अधिकारों को मान्यता दिया। इन सबमें 1989 Convertion on Rights of the child (CRC) को अपनाना एक बड़ा कदम था।

मानवाधिकार आयोग Convention on the Rights of child (CRC) की रूपरेख तैयार किया गया। 20 नवम्बर 1989 को UN जनरल असेम्बली द्वारा इस संधि को अपनाया गया और सदस्य देशों की स्वीकृति व हस्ताक्षर के बाद 2 सितम्बर 1990 से इसे लागू किया गया है।

Convention स्पष्ट करता है कि बच्चा कौन है? उसका अधिकार क्या है? और किस तरह का उचित वातावरण तैयार करना चाहिए? जिसमें बच्चे को उसके अधिकार मिल सके। दूसरे शब्दों में किसी भी तरीके से बच्चे के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सभी सदस्य देशों की जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किये है जिम्मेदारी है कि वे अपने जमीन पर किसी भी बच्चे को उसके अधिकारों से वंचित न करने दे। अर्थात बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना इन देशों की जिम्मेदारी है। भारत इस Convention पर हस्ताक्षर किया है अत: भारत यहाँ रहने वाले सभी बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है।

UN की और विशेष संस्थायें तथा अन्य अन्तरर्राष्टीय संस्थायें बच्चों के बेहतरी के लिए चिंतित है। कुछ संस्थायें जैसे UNESCO, UNICEF, WHO और I LO के कार्यक्रम व सिद्धांत दुनिया के बच्चों के बहतरी की ओर लक्षित है। ये अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के अधिकारों को सुनिश्चित करते है। आप इन संस्थानों के द्वारा बच्चे के अधिकारों के क्षेत्र में किये गये कार्यों को जानने के लिए शायद उत्सुक होंगे। उनके बारे में जानने का प्रयास करें।

टिप्पणी

क्रियाकलाप-3

रिक्त स्थानों को भरिये

1. बच्चे के अधिकारों Convention की रूपरेखा आयोग द्वारा ..... को तैयार किया गया।
2. बच्चे के अधिकारों का Convention वर्ष ..... से लागू हुआ
3. CRC में बच्चा कौन है, ... और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार का वातावरण तैयार करना है शामिल हैं।
4. UN के दो एजेंसी ..... और ..... है जो बच्चों के बेहतरी के लिए कार्य करती है।

13.2.4 बच्चों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और बच्चे का अधिकार

इसके पूर्व के उपभाग में आप द्वारा बच्चे के अधिकारों के बारे में उठाये गये कदमों के बारे में पढ़ चुके है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा, उन अधिकारों में से, बच्चे का एक अधि कार है। हाँलाकि विद्यालय जाने योग्य कई बच्चे हमारे देश में, विद्यालय में नहीं हैं प्राथमिक स्तर पर नि:शुल्क शिक्षा होने के बावजूद बच्चे विद्यालय में नहीं है इसके क्या कारण हो सकते हैं? सोचिये? क्या आपके क्षेत्र में ऐसे बच्चे है जो विद्यालय नहीं जाते हैं? इसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं? नीचे सूचीबद्ध करें।

.....

.....

.....

.....

.....

एक कारण समुदाय हो सकता है या अभिभावक माता पिता शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया हैं। 1940 में जब हमने संविधान तैयार किया तो इसके अनुच्छेद 45 में राज्य से अपेक्षा किया गया कि 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान बनाया जाये। परन्तु आज तक इसे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया है।

किसी भी देश के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश के लिए यह और अधिक आवश्यक है। यदि व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो प्रजातंत्र पंगु हो जायेगा। इन सब को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कई प्रयास

टिप्पणी

किये गये है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) यह 1 अप्रेल 2010 से लागू हुआ। उस दिन से प्राथमिक शिक्षा मूलभूत अधिकार बन गया

अधिनियम अनिवार्य करता है कि राज्य 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये तथा संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप पाठ्यचर्या तैयार करे। यह विद्यालयों में एक निर्धारित मापदंड व गुणवत्तापूर्ण अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य रखता है। यह अधिनियम सामाजिक सुधार व बच्चों की सुरक्षा को लक्षित करता है। यह परीक्षा के प्रताड़ना, दबाव को हटाता है तथा सामाजिक संगठनों के लिए विधि अनुसार भूमिका उपलब्ध कराता है। यह अधिनियम सरकार, स्थानीय निकाय, विद्यालयों, अध्यापकों, अभिभावकों माता पिता और समुदाय के जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख करता है।

इस अधिनियम के प्रावधानों का गहन अध्ययन करने पर कोई समझ सकता है कि RTE अधि नियम और बच्चे के अधिकारों के मध्य निकट का संबंध है। RTE अधिनियम समानता, जरूरतमंदों के लिए विशेष प्रशिक्षण, शिक्षार्थी केन्द्रित शिक्षा, व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना, दंड तथा प्रताड़ना से मुक्ति, स्वतंत्र अभिव्यक्ति आदि उपलब्ध कराता है। इन सबको बच्चे के शिक्षा के अधिकार से जोड़ा गया है। सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है कि विद्यालय जाने योग्य सभी बच्चे विद्यालय में नामांकन ले। उनके लिए समान शिक्षा हो किसी प्रकार की शारीरिक दंड न हो या मानसिक प्रताड़ना न हो तथा नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो

क्रियाकलाप-4

1. रिक्त स्थान भरिये

   (अ) RTE एक्ट ..... से लागू हुआ

   (ब) RTE सभी बच्चों के लिए ..... और ..... शिक्षा उपलब्ध कराता है

   (स) RTE एक्ट के अन्तर्गत ..... से ..... आयुवर्ग के बच्चे आते हैं।

   (द) RTE एक्ट ..... केन्द्रित शिक्षा पर बल देता है।

13.3 बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा

13.3.1 बच्चे के अधिकारों का हनन

बच्चे के अधिकारों के संबंध में बनाये गये नियमों और नीतियों के बावजूद भी उनको उनके सही अर्थों में उपयोग नहीं किया जा रहा है। विश्व में ऐसे लाखों बच्चे है जिन्हें मानव की भाँति जीने के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनसे कार्य करवाया जाता है तथा उन्हें

टिप्पणी

आनंदपूर्वक बचपन गुजारने नहीं दिया जाता है। नीचे बने चित्रों को देखिये। ये क्या संकेत करते हैं? क्या हमारे बच्चे अपने अधिकारों का लाभ उठा रहे हैं?

(स्रोतः-गूगल)

हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लाखों बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय उनसे काम कराय जाता है तथा वे बालश्रम में संलिप्त है।

सामान्तः बालश्रम का अर्थ है कोई भी कार्य जिसमें बच्चों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक रूप से शोषण होता है या नुकसान पहुँचता है या उनके शिक्षा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न होता है। हाँलाकि सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत 'बालश्रम' की कोई परिभाषा नहीं है। विभिन्न परिभाषाएँ इस संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रेड यूनियनों और अन्य हितकारी समूहों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सन 2000 में अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILD) ने 5 से 17 आयु वर्ग के लगभग 2460 लाख श्रमिक बच्चों को बालश्रम में संलग्न होने का अनुमान लगाया जिसमें से 1710 लाख बच्चे ऐसे कार्यों में संलग्न है जो उनके सुरक्षा व शारीरिक मानसिक और नैतिक विकास के लिए अत्यंत खतरनाक है। इसके अतिरिक्त 84 लाख बच्चे तथाकथित निकृष्ट बालश्रम में संलग्न है। जिसमें बंधुआ मजदूरी और जबरदस्ती कार्य कराना, सशस्त्र युद्ध क्षेत्र में बच्चों का उपयोग, बच्चों को खरीदना बेचना, और व्यावसायिक यौन शोषण शामिल है।

आज के बच्चे देश का भविष्य हैं, आज और 2020 के मध्य अधिकांश श्रमिक, नागरिक और नये उपभोक्ता- जिनका कौशल और आवश्यकतायें विश्व के आर्थिक व समाज की रचना करेंगे-विकासशील देश से होंगे। कितने हैं, जिन्हें अपने स्वास्थ्य या शिक्षा को नष्ट करके, अपने जीवने के प्रारम्भिक अवस्था में कार्य करना पड़ेगा? यदि हमारे बच्चों का संपूर्ण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा खतरे में हो तो क्या हम हमारे देश के लिए सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करने की स्थिति में होंगे?

बच्चों के इस उम्र में अनुचित कार्य करने का मुख्य कारण गरीबी को समझा जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी कई कारण है जैसे परिवार की उपेक्षा और परंपरा, बच्चे का शोषण, अच्छे विद्यालय तथा दैनिक सेवा की कमी, स्वास्थ्य सेवा की कमी, मालिक का बेरूखा व्यवहार, मातापिता की अल्प रोजगार आदि।

क्या आपके राज्य में बालश्रम है? यदि हाँ तो कोई चार कारण लिखिये

1. .....

टिप्पणी

2. .....

3. .....

4. .....

राज्य स्तर के अतिरिक्त राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर बालश्रम को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा को सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बनाया गया और 2009 में एक अधिनियम पारित किया गया। कई गैर सरकारी संस्थायें है जो कि समाज सेवा का कार्य कर रही है तथा बच्चों और परिवारों को कई मुसीबतों जैसे बीमारी, घर या आश्रय की हानि की स्थिति में सहायता करते हैं। I LO के बालश्रम के उन्मूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ने बालश्रम की सहायता के लिए कई रास्तों का तलाश किया है।

आप वेबसाइट www. ilo. org पर जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी IPEC डक्यूमेंट में प्राप्त कर सकते हैं किन्ही दो कार्यक्रम के बारे में लिखिये जो बालश्रम समाप्त करते हैं।

1. .....

2. .....

1989 के बच्चे के अधिकारों के सम्मेलन में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बच्चों को शामिल करने को कहा जिनसे उनका जीवन प्रभावित होता है। भारत सरकार ने 1979 में एक समिति का गठन किया जिसने बालश्रम के समस्याओं का अध्ययन करके इसे हल करने के लिए रणनितियों का सुझाव दिया। 1987 में बालश्रम पर राष्ट्रीय नीति का गठन किया गया जो खतरनाक व्यवसाय में कार्य करने वाले बच्चों की पुनर्स्थापना पर केन्द्रित है। 1988 से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लगभग 100 ऐसे उद्योग विशेष राष्ट्रीय बालश्रम प्रोजेक्ट चलाये है जो बच्चों की पुनर्स्थापना करने में सहायक रहा है।

कई NGO जैसे CARE INDIA, CHILD RELIEF AND You ,Global march against child labour, Prathm, आदि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

कई ऐसे उदाहरण है जहाँ उन्हें विद्यालय जाने से, खेलने, आराम करने, से वंचित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐसे स्थानों पर कार्य करने के लिए रखा गया है जो उनके स्वास्थ्य व जिन्दगी के लिए अत्यंत खतरनाक है।

बच्चों के अधिकारों का हनन कई कारणों से हो सकता है। जैसे गरीबी, भेदभाव और अज्ञानता। उन्हें अपने भूख मिटाने के लिए भीख मांगने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उन्हें मारापीटा और भूखा रखा जाता है। उन्हें भारी बोझ उठाने के तथा लंबे समय तक कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

अधिकांश बच्चों को उचित स्वास्थ्य सेवा भी शायद उपलब्ध नही होता है। इन सभी स्थितियों में बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। क्या हमें एक विद्यालय, बिरादरी और सरकार के रूप

टिप्पणी

में इन समस्याओं के बारे में कुछ करना चाहिए? क्या आपने अपने क्षेत्र में बच्चे के अधिकारों के हनन से संबंधित घटनाओं को देखा है? किसी एक केस के बारे में सूचना एकत्रित कीजिए।

बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित न रखने के लिए कई सुरक्षा अधिनियम बनाये गये हैं। परन्तु क्या हम बालश्रम को समाप्त कर पाये हैं? अपने राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश के अधिनियमोके के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो बालश्रम से बच्चों की रक्षा करते है।

बच्चों के अधिकारो का हनन, परिवारों, में, विद्यालय में, बिरादरी में और कई स्थानों पर कई तरीकों से किया जाता है। अगले उपभाग में हम यह जानेंगे कि विद्यालय में हनन किस प्रकार होता है?

प्रगति जाँच-5

1. नीचे दिए गये चित्र को देखिये

2. बच्चे के किस अधिकार का हनन उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है?
3. कुछ बच्चों से संबंधित कथन नीचे दिये गये है, उनमें से कौन बच्चों के अधिकारों के हनन को संकेत करता है? निशान लगायें
   (a) राधा को विद्यालय भेजा जाता है।
   (b) इशान को काम करने के लिए गैराज में भेजा जाता है।
   (c) खाली समय में इस्माइल व केटी पेड़ पर चढ़ते हैं।
   (d) कैथरीन को बुखार है परन्तु उनके माता पिता के पास पैसा न होने के कारण डाक्टर के पास नहीं ले जाते हैं।
   (e) जसप्रीत को बासी खाना दिया जाता है।
   (f) दुग्गा अपना नाम बदलना चाहता है।
   (g) रेनु के मातापिता अलग रहते है वह अपनी माँ के पास रहना चाहती है परन्तु उसके पिताजी उसे ले जाते है।
4. IPEC का पूरा नाम लिखिये।
5. खतरनाक व्यवसाय में काम करने वाले बच्चों की पुनस्थापना करने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर किस नीति को पारित किया गया ?

टिप्पणी

13.3.2 विद्यालय में बच्चे के अधिकारों का हनन

अब तक आपने जाना कि बच्चों के अधिकारों का हनन किसे के द्वारा और कैसे किया जाता है? क्या आप विश्वास करते है कि विद्यालय में भी बच्चों के अधिकारों का हनन होता है? इसके कई उदाहरण है। आइये विद्यालय में बच्चों के अधिकारी के हनन के बारे में जानें।

हम सब जानते हैं कि बच्चे विद्यालय का एक अहम हिस्सा होते है और भिन्न-भिन्न सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। विद्यालय एक छोटा समाज होता है। जिसमें कई प्रकार की अनेकता होती है इसके बावजूद एक ही कक्षा के सभी बच्चों को समान पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए, समान कार्य करने के लिए, समान नियमों का पालन और उच्च उपलब्धि स्तर प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। यदि वे अपेक्षित परिणाम नहीं देते है तो कई बार उनको दंड दिया जाता है।

विद्यालयों में दंड देने के रूप भिन्न-भिन्न है जैसे खड़ा होने के लिए कहना, या अन्य ढंग से त्रस्त करना। विभिन्न संचार माध्यमों ने बच्चों को दंड देने के तरीकों और उनके अधिकारों के हनन का खुलासा किया है। बच्चों को डस्टर, स्केल या कक्षा में अध्यापक के हाथों जो कुछ लग जाता है उससे पिटाई की जाती है। बच्चों को धूप में खड़ा करना/ दौड़ाना/ या घुटने के बल खड़ा करने के कई उदाहरण है। कई प्रकार के प्रतिबंध लगाये जाते है जिसमें किसी भी प्रकार से शैक्षणिक मूल्य नहीं है। बच्चों को आराम करने के समय पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है। उन्हें दूसरों के सामने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे विद्यालय है जिसमें प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है यद्यपि बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शौचालय की स्थिति बद्तर है तथा पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। चाहे बारिश हो या सर्दी अधिकांश प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे जमीन पर बैठते हैं। कई बच्चों को ऐसी भाषा में पढ़ाया जाता है जो उनके समझ में नहीं आती हैं।

विद्यालय खुशनुमा होने के बजाय दंड और प्रताड़ना का स्थल बन गया है। बच्चों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। क्या आप इन वास्तविकताओं से सहमत है? क्या विद्यालय में ये बच्चों के अधिकारों का हनन है?

किस प्रकार से आपके विद्यालय में बच्चों के अधिकारों का हनन होता है? कोई तीन के बारे में लिखिये

1. .....

2. .....

3. .....

क्या ये बच्चों में विद्यालय के प्रति रूचि उत्पन्न करता है? क्या वे विद्यालय आना पसंद करते हैं या इससे दूर रहना? बच्चे दिन के अंत में लंबी घंटी की आवाज सुन कर विद्यार्थी क्यों खुश होते हैं? जब अध्यापक छुट्टी पर होते है तो बच्चे क्यों खुश होते हैं? वे क्यों छुट्टी का बेसब्री से इंतजार करते है।

टिप्पणी

हम सभी जानते हैं कि बच्चे को कोई भी विद्यालय दंड नहीं दे सकता है। बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई आयोग ओर नीतियाँ है। आइये अगले उपभाग में इनके बारे में अध्ययन करें।

प्रगति जाँच-6

1. एक विद्यालय में निम्नलिखित स्थितियाँ प्रचलन में हैं। इनमें से कौन सी स्थिति बच्चों के अधिकारों का हनन करती है? निशान लगाइये
   (a) सभी बच्चे अपने कक्षाकक्ष में झाड़ू लगाते है
   (b) कुछ बच्चे अध्यापकों के खाने के टेबल की सफाई करते हैं।
   (c) मिड-डे-मिल के समय प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को कक्षा सात के बच्चे पानी पिलाते हैं।
   (d) दसवीं कक्षा के विद्यार्थी प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके प्लेट साफ करने में उनकी सहायता करते है।
   (e) जो बच्चे विद्यालय असेम्बली में देर से आते है उन्हें विद्यालय मैदान के 10 चक्कर लगाने के लिए कहते है
   (f) बच्चों को खेलने की सामग्री नही दी जाती बच्चे इनके बिना खेलते हैं
   (g) पौधे लगाने के लिए
   (h) फातिमा को बुर्का पहनने नहीं दिया जाता है

13.3.3 बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा:- आयोग एवं वैधानिक प्रावधान

हमारे देश में कई संस्थायें: जिसमें भी NGO (गैर सरकारी संगठन) भी शामिल है, जो बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। भारत एक संघीय गणराज्य होने के कारण केन्द्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (NCPCR) है तथा राज्यस्तर पर राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (SCPCR) का गठन किया गया है। NCPCR का गठन 5 मार्च 2007 को हमारे संविधान में बच्चों के अधिकारों के लिए दी गई गारंटी की जाँच हेतु किया गया। इसमें कानून के निगाह में सभी बच्चों को समानता का अधिकार, 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बाल अवैध व्यापार पर प्रतिबंध व बँधुआ मजदूरी तथा बालश्रम पर प्रतिबंध शामिल है। यह शारीरिक दंड को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने संबंध नीतियाँ तथा दिशा-निर्देश जारी करता है। SCPCR का कार्य NCPCR के कार्यो के अनुरूप होता है क्या आपके राज्य में SCPCR है? इसकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करें।

एक जाना माना NGO है जिसे Child Rights and You (CRY) के नाम से जाना जाता है। यह UNCRC द्वारा परिभाषित चार मूलभूत अधिकारों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। ये अधिकार है- जीने का अधिकार, विकास, सुरक्षा और बच्चों की भागीदारी का अधिकार। क्या आपके राज्य या पड़ोस के राज्य में कोई ऐसा NGO है जो बाल अधिकार की रक्षा हेतू कार्य करती है? उस संस्था द्वारा बाल अधिकार सुरक्षासे संबंधित कोई किये गये कार्य के बारे में

जानकारी प्राप्त करें। बच्चों के अधिकारों को नकारा नहीं जाना चाहिए। उनको अधिकारों से वंचित रखने की स्थिति में बच्चे के बचाव के लिए कई वैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। बालश्रम के विरूद्ध कानून है। बालश्रम उन्मूलन के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। अधिनियम भी बाल अधिकारों की रक्षा करता है। किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दिया जायेगा। प्रत्येक बच्चा एक मानव है तथा बच्चों के विरूद्ध आक्रामक होना या उन्हें अपमानित करना अमानवीय है। अत: विद्यालय को समझना चाहिए कि कोई भी बच्चों को दंड न दें। विद्यालय की जिम्मेदारी है कि बच्चों को मूलभूत सुविधायें, विशेष प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करें।

कुछ राज्यों में बालअधिकार सेल भी है। यदि बाल अधिकारों का हनन होता है। फोन के द्वारा यहाँ पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। क्या आपके राज्य में इस प्रकार के सेल है?

प्रगति जाँच-7

1. भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त बाल अधिकारी में से एक अधिकार है .... का निषेध
2. 2007 में भारत सरकार ने बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा हेतु ..... का गठन किया
3. SCPCR का पूरा नाम ..... है
4. निम्नांकित में से किस अधिकारों का जिक्र UNCRC द्वारा किया गया गया है? उस पर वृत्ताकार घेरा लगायें

   जीने का अधिकार, उच्च शिक्षा, सुरक्षा, विदेश यात्रा
5. किसी भी विद्यालय को बच्चों को तंग या ..... नहीं करना चाहिए

13.3.4 बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा करने में अध्यापकों की भूमिका

पूर्व के भाग में आपने देखा कि विद्यालय के भीतर प्राय: कुछ अधिकारों से बच्चों को वंचित रखा जाता है। विद्यालयी तंत्र में एक अध्यापक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और उनके संर्वांगीण विकास में सक्रिय भूमिका निभाता हैं। बच्चों को उनके अधिकार दिये जाये तो उनका समूचित विकास होता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार से बाल अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकता है। कुछ तरीकों की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में किया गया है।

बच्चे के सम्मान का अधिकार :- प्रत्येक बच्चा विद्यालय का एक अद्वितीय अस्तित्व है। CRC कहता है कि बच्चे के मानवीय सम्मान उपलब्ध कराने तथा स्वानुशासन की भावना जागृत करना है। विद्यालय के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रियायें CRC के अनुरूप होना तथा बच्चे के मानवीय सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए

हम अध्यापकों को चाहिए कि बच्चों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दंड न दें। बल्कि

टिप्पणी

बच्चों में अनुशासन का भाव जागृत करना चाहिए। हमें दिखाना चाहिए कि हम बच्चों का ध्यान रखते हैं क्योंकि विद्यालय में संबंधों का विकास प्रत्येक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अध्यापक के किन्हीं दो व्यवहारों को लिखिये जिससे यह प्रदर्शित हो कि अध्यापक बच्चे के सम्मान का ध्यान रखता है।

1. .....

2. .....

विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाना

CRC विद्यालय में प्रजातांत्रिक वातावरण की स्थापना करने पर बल देता है। यह अपेक्षा करता है कि बच्चों को उनके विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा उन्हें उचित स्थान दिया जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक वातावरण बनाने के लिए अध्यापक को योगदान देना चाहिए और विद्यार्थियों की कक्षाकक्ष क्रियाकलापों में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। यह मानव अधिकार को सुनिश्चित करता है बच्चों को प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान तथा समझने में सहायता करता है तथा अंत:क्रियात्मक अधिगम प्रक्रिया के लिए परिस्थिति का निर्माण करता है। विद्यार्थी परिषद बनाकर विद्यालय प्रक्रियाओं में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए ये प्रक्रियायें बच्चों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए। उनमें से एक है विद्यालय में राष्ट्रीय त्योहार का आयोजन करना। अपने विद्यालय की किन्ही दो क्रियाकलापों का नाम लिखिए जिसमें बच्चों को सम्मिलित किया जा सके।

1. .....

2. .....

भयमुक्त, तनावमुक्त, चिंतामुक्त वातावरण बनाना :-

कई विद्यालयों में बच्चे कुछ अध्यापकों से डरते हैं, कुछ विषय और कुछ क्रियाकलापों से डरते हैं। परीक्षा के दिनों में गंभीर रूप से चिंताग्रस्त हो जाते हैं। सभी विद्यालय में प्राय: सभी बच्चों को उनके अलग-अलग उपलब्धि स्तर होने के बावजूद एक ही प्रकार का टेस्ट पेपर दिया जाता है।

यदि बच्चों ने ठीक ढंग से तैयारी नहीं किया तो यह उनमें चिंता व तनाव उत्पन्न करता है। हम बच्चों की जरूरतों और उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर परीक्षण और मूल्यांकन प्रेक्टिस के द्वारा उनके लिए आरामदायक वातावरण बना सकते हैं।

आपके विद्यालय के बच्चों में उच्च स्तर की चिंता उत्पन्न होती है?

इनके चिंता को कम करने के लिए किन्ही दो तरीकों का वर्णन करें-

टिप्पणी

1. .....

2. .....

लैंगिक समानता का प्रदर्शन

लैंगिक समानता सभी बच्चों का अधिकार है। विद्यालय लड़के और लड़कियों दोनों से समान ढंग से व्यवहार करे। खासकर जिम्मेदारियों का बँटवारा करने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है (जैसे लड़कियाँ झाड़ू पोछा का कार्य करेगी जबकि लड़के बेन्च उठाने का कार्य करेंगे) से बचना चाहिए।

जहाँ कही भी आवश्यक हो सकारात्मक भेद,

निःशक्त समूह के बच्चों को विशेष सुविधायें और लाभ पहुँचाकर, अपनाना चाहिए। जैसे लड़कियों के लिए विद्यालय में आरामकक्ष का निर्माण करना।

आपके अनुसार विद्यालय में लड़के और लड़कियों के लिए और क्या चीजें अलग होनी चाहिए?

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

इस प्रकार से विद्यालय में एक अध्यापक बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा करने में विशेष योगदान दे सकता है। यह न केवल विद्यालय को आनंददायक ही बनाता बल्कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में भी योगदान देता है।

प्रगति जाँच-8

1. सही उत्तर पर (सही) निशान लगाइये

   बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा आवश्यक है क्योंकि

   — वे अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते है

   — वे अपने अधिकारों का उपयोग करना नहीं जानते है

   — वे बड़ों को सुनते हैं

   — वे अपरिपक्व है।

2. निम्न में से कौन सा बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के अनुरूप नहीं है

टिप्पणी

— विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देना

— आराम के समय बच्चों को पढ़ाना

— बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना

— व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना

3. निम्न में से कौन सा अध्यापक के प्रेक्टिस को दर्शाता है कि वे बच्चे के अधिकारों का सम्मान करते हैं?

— शिक्षार्थी केन्द्रित उपागम

— निम्न उपलब्धि करने वालों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना

— व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना

— रूढिबद्ध परीक्षण कार्यक्रम

— खेल की सामग्री उपलब्ध कराना

— बीमार बच्चे को मेडिकल उपचार के लिए निर्देशित करना

— विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विशेष विद्यालय में जाने के लिए सलाह देना

13.4 सारांश

इस इकाई में आपने बच्चे के अधिकारों व बाल अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ा। जैसा कि आप जानते है। अधिकार व्यक्ति के हित तथा समाज के हित के लिए आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में विश्व के लोगों को अधिकार उपलब्ध कराने के लिए कई प्रयास किये। एक महत्वपूर्ण कदम है 1948 में मानवधिकार की घोषणा। इसमें हस्ताक्षर करने वाले देखों को उनके देश के नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने और उनके अधिकारों के हक के लिए उचित वातावरण तैयार करने को कहा गया है। यद्यपि में UNDHR ने बच्चे के अधिकारों, विश्व के गरीब बच्चों की स्थिति का अवलोकन करना, शामिल है। UN— ने बच्चों के अधिकारों पर बल देने की आवश्यकता को महसूस किया।

इसलिए 1989 में UN Convention on Right of Child का आयोजन किया और हस्ताक्षर करने वाले देशों को बच्चे के अधिकारों जिसका जिक्र उनके देशों के CRC में किया गया है, का सम्मान करना आवश्यक बनाया है।

UN के प्रयासों को भारत हस्ताक्षरित देश होने के नाते प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक बच्चा अपने बचपन का आनंद उठाये और बालश्रम का उन्मूलन करने का प्रयास कर रहा है। उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए कई कार्यक्रम और नीतियों को क्रियान्वित किया गया है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। इसलिए अध्यापक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के लिए आनंददायक व सुविधायुक्त वातावरण विद्यालय में तैयार करे जहां पर बच्चा आनंदपूर्वक अर्थपूर्ण ढंग से शिक्षा ग्रहण कर सकें।

टिप्पणी

13.5 प्रगति जाँच के उत्तर

प्रगति जाँच-1

1. कुछ कथन नीचे दिये गये है। अधिकारों का वर्णन करने वाले कथनों पर (सही) का निशान लगाये

   वे व्यक्तियों को देय है।

   लोग अपने अधिकारों की माँग कर सकते है

2. कुछ अधिकार नीचे दिये गये है। मानवधिकारों को पहचान कर उसके आगे H लिखिए

   भोजन लेना H

   स्वच्छ पीने का पानी की व्यवस्था H

   अपने भावों को अभिव्यक्ति करना H

3. रिक्त स्थानों को भरिए

   a. व्यक्ति/नागरिक

   b. सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा

   c. 10 दिसम्बर

   d. राज्य मानवाधिकार सुरक्षा आयोग

प्रगति जाँच-2

1. नीचे दिये गये कथन सत्य या असत्य है बताइये? सत्य के लिए T तथा असत्य के लिए F लिखें

   a. बच्चे होने की अधिकत आयु 18 वर्ष है (T)

   b. बच्चे को दूसरों के बारे में बुरा बोलने की स्वतंत्रता है (F)

   c. बच्चे की अधिकारों का सदैव सम्मान करने की आवश्यकता है (F)

   d. विश्व के कई भागों में बच्चे सुरक्षित नहीं है (T)

   e. बच्चों के हित के लिए कार्य करने के लिए सरकार बाध्य है (T)

2. निम्नांकित में से कौन सा बच्चे का अधिकार है? निशान लगाइये

   a. आराम के लिए समय मिलना

टिप्पणी

b. परिवार में रहना

c. शोषण से सुरक्षा प्राप्त करना

d. शिक्षा प्राप्त करना

प्रगति जाँच-3

रिक्त स्थानों को भरिये

a. मानव अधिकार

b. 1990

c. बच्चों के क्या अधिकार है?

d. UNESCO और UNICEF

प्रगति जाँच-4

1. रिक्त स्थानों को भरिये

   a. 1 अप्रैल 2010

   b. नि:शुल्क और अनिवार्य

   c. 6 से 14 वर्ष

   d. बाल केन्द्रित शिक्षा

प्रगति जाँच-5

1. बालश्रम के विरूद्ध अधिकार

2. कुछ बच्चों के संबंध में कथन नीचे दिये गये है। इनमें से कौन सा बच्चे के अधिकारों का हनन है? निशान लगायें

   a. इस्लाम को काम करने के लिए गैराज पर भेजा गया।

   b. कैथरीन बुखार से पीड़ित है तथा उसके मातापिता के पास उसे डाक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं है।

   c. जसप्रीत को बासी खाना दिया जाता है।

   d. रेनू के माता पिता अपने साथ ले जाते हैं।

3. बालश्रम उन्मूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

4. 1987 में राष्ट्रीय बालश्रम नीति बनाया गया

प्रगति जाँच-5

1. एक विद्यालय में नियमित रूप से निम्नांकित परिस्थितियाँ विद्यमान रहती है। इनमें से कौन सा विद्यालय के भीतर बच्चे के अधिकारों के हनन का संकेत करता है? निशान लगाइयें

b. अध्यापकों के खाने की मेज को कुछ बच्चे साफ करते है

e. जो बच्चे विद्यालय सभा में देर से आते है उन्हें मैदान के चारों ओर 10 चक्कर लगाने को कहा जाता हैं

f. बच्चों को खेलने की समाग्री दिये बिना खेलने को कहा जाता है

h. फातिमा को बुर्का पहनने की आज्ञा नही दी जाती है।

प्रगति जाँच-6

1. बालश्रम
2. बालश्रम अधिकार सुरक्षा राष्ट्रीय आयोग
3. राज्य बालश्रम अधिकार सुरक्षा आयोग
4. निम्न में से कौन सा UNCRC द्वारा जिक्र किया गया है? घेरा लगाये जीने का अधिकार, उच्च शिक्षा, सुरक्षा, विदेश यात्रा
5. दंड देना या तंग करना

सही उत्तर पर निशान लगायें

1. a
2. b
3 निम्न में से अध्यापकों की कौन सा प्रेक्टिस प्रदर्शित करता है कि वे बच्चे के अधिकारों का सम्मान करते हैं?

शिक्षार्थी केन्द्रित उपागम

व्यक्तिगत आवश्यकताओकं की पूर्ति करना

खेल सामग्री उपलब्ध कराना

बीमार बच्चे को चिकित्सा हेतु भेजना

13.6 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

टिप्पणी

Dev Arjun, Dev Indies & Das Gupta (1996) Human Rights- A Saverce book, New Delhi NCERT

NPE (1986) Nationl Policy on Educetion, New Delhi MHRD Ruo. Digumarti Bhalkarl (2011) Right to Education Hyderabad, Neelkamal Publication Pvt. Ltd.

Gazilte (2009) The Gazelte of Indis New Delhi Autherity 27th August.

13.7 इकाई अन्त्य अभ्यास

1. हमारे लिए मानव अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है?
2. अपने विद्यालय में मानवधिकार दिवस आप कैसे मनायेंगे?
3. विद्यालय में बच्चे के अधिकारों के हनन का कोई एक उदाहरण लिजिए। व्याख्या कीजिये कि आप बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार करते?
4. कुछ बालश्रमिकों के पास जाकर पता लगाइये कि इनके विद्यालय न जाने क्या कारण है? इस प्रकार के बच्चों के लिए विद्यालय क्या कर सकता है?
5. विश्व के सभी बच्चों के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए UN ने क्या किया है?
6. ऐसे किन्ही दो अधिकारो का नाम बताइये जो विद्यालय में अवश्य ही उपलब्ध कराना चाहिए। इन अधिकारों का लाभ बच्चों को मिले इसके लिए आप किस प्रकार का वातावरण बनायेंगे? व्याख्या कीजिये।
7. बच्चे के लिए आनंददायक विद्यालय बनाने में अध्यापक की भूमिका की चर्चा करें।
8. सहशिक्षा विद्यालय में लड़के व लड़कियों को समान रूप से सम्मान देने के लिए एक क्रियान्वयन योग्य कार्यक्रम की रूपरेखा बनाइये।
9. बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में RTE अधिनियम 2009 क्या करता है?
10. प्रत्येक राज्य में राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन करना क्यों आवश्यक है?